खण्ड-104, अंक-4
गुरूवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1874
(17 जुलाई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 104 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १७ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाँडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खाँ, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भरनाथ सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
मान्धता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
महम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखपाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पियल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

अलमोड़ा तथा नैनीताल जिलों में मनुष्य-भक्षी बाघों से हानि

*१--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल में जिला अल्मोड़ा व नैनीताल के कई क्षेत्रों में आदमखोरों ने मनुष्य तथा जानवरों का नुकसान किया है?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--जी हां।

*२--श्री खुशीराम--यदि हां, तो प्रत्येक जिले में कितना कितना नुकसान हुआ है और वास्तव में वह कौन सा जानवर है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--(अ) अल्मोड़ा जिले में १० व्यक्ति मारे गये और ७ घायल हुए। नैनीताल जिले में २ व्यक्ति घायल हुए। जानवरों के नुकसान के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ब) यह उपद्रव बाघों द्वारा हो रहे हैं।

श्री खुशीराम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो आदमी अल्मोड़ा और नैनीताल में मारे गये हैं वह किस पट्टी और तहसील में मारे गये और कितने मारे और घायल किये गये?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह अल्मोड़ा जिले की पिट्टी तल्लीदेह, तहसील चंपावत के जंगलों के नजदीक मारे गये। वहां ज्यादातर लोग मारे गये हैं।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन जंगलों में जो बाघ उपद्रव मचा रहे हैं वे साधारण बाघों में से हैं या किसी और रूप के हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ये साधारण बाघ ही हैं।

*३---श्री खुशीराम---क्या सरकार यह बतायेगी कि इसको मारने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इन जानवरों के मारने के लिये पुरस्कार घोषित कर दिये गये हैं। फौज के अधिकारियों, प्रसिद्ध शिकारियों तथा हथियार के लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों से इनको मारने का अनुरोध किया गया ह। फलस्वरूप कुछ बाघ मारे भी गये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकारी वहां काम कर रहे हैं उनको सरकार की ओर से क्या क्या सहूलियतें दी जाती हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---एक तो इनाम दिया जाता है जो शेर के लिये २०० रुपया, शेर के बच्चे के लिये ८० रुपया, चीते के लिये १३० रुपया और चीते के बच्चे के लिये ४० रुपया है। ५०० रुपया तक इनाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे सकता ह। इसके अलावा पटवारी आदि को सरकार की ओर से आदेश है कि वे हर प्रकार की मदद दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में शिकारियों का प्रबन्ध नहीं हो सका है वहां पर सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---उत्तर में यह बता दिया गया है कि लाइसेंस वालों को यह आदेश दे दिये गये हैं कि वे उन बाघों को मारने का प्रयत्न करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने कुमायूं के मशहूर शिकारी श्री इब्राहीम को भी इस काम के लिये मुकर्रर किया है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। लेकिन बड़े बड़े सब शिकारियों को वहां मुकर्रर कर दिया गया है उनमें उनका भी नाम होगा।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि जो कुछ उत्तर में कहा गया है कि कुछ बाघ मारे गये, उन बाघों को मारने वाले कितने हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस वक्त व्यौरेवार तो नहीं बताया जा सकता लेकिन वे पाँच-सात हैं।

श्री राम कुमार शास्त्री---क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि इन बाघों को मारने के लिये इनाम भी दिया गया और अगर दिया गया तो किसको कितना दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह मैं बता चुका हूं कि इनाम दिया गया लेकिन किसको कितना दिया गया है इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---क्या बाहर से कोई शिकारी जाना चाहे तो सरकार उसको सुविधा देगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां, सुविधा देगी। लेकिन बाहर वाले आदमी वहां जा ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर बहुत दिनों तक ठहरना पड़ता है।

बस्ती जिले के जुलाहे

*४—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में जुलाहों की संख्या कितनी है और उनके पास कितने करघे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—बस्ती जिले में जुलाहों की संख्या १३,६०० है और उनके पास १०,३८१ करघे हैं।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १३,६०० जो सरकार ने संख्या बतलाई है, वह परिवार हैं या मनुष्य हैं?

श्री हुकुम सिंह—जुलाहे हैं।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि १०,३८१ करघों में से कितने करघे चल रहे हैं और कितने बन्द हैं?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री सुलतान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह कृपा करके बतलायेगी कि इसमें जो लफ्ज जुलाहा रखा गया ह, उससे मतलब बुनकर ही हैं?

श्री हुकुम सिंह—जुलाहे का जो शब्द प्रश्न में है और वहां उसकी जो मंशा है, वही मंशा इस जवाब में भी है।

श्री राम कुमार शास्त्री—क्या सरकार को मालूम है कि इन १०,३८१ करघों में से कुछ फर्जी करघे भी हैं?

श्री हुकुम सिंह—मैंने फर्जी करघों का नाम भी नहीं सुना।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार पुनः इनकी गणना कराना चाहती है। अगर कराना चाहती है तो कब तक?

श्री हुकुम सिंह—पुनः कराने की कोई आशा मालूम नहीं होती।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जुलाहों को सिखाने के लिये वह कोई ट्रेनिंग स्कूल भी खोलने की व्यवस्था कर रही है?

श्री हुकुम सिंह—जगह जगह पर स्कूल हैं।

*५-७—श्री नारायण दत्त तिवारी—[१४ अगस्त, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*८-९—श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—[७ अगस्त, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य म्यूजियम, लखनऊ और आरकालाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबन्धकारिणी समितियों, भारतीय मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

अध्यक्ष—मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि कुछ समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये, जो १ बजे तक का समय नामांकन पत्र प्राप्त होने का नियत किया गया था, उसमें नामांकन पत्र प्राप्त हुए और उसके अनुसार यह उसका फल रहा:

उत्तर प्रदेश राज्य म्यूजियम, लखनऊ में एक स्थान के लिये एक ही नामांकन पत्र, जो महंत जगन्नाथ दास के पक्ष में है, प्राप्त हुआ है। नामांकन पत्र नियमानुकूल है और महंत जगन्नाथ दास को उचित रीति से निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

[अध्यक्ष

दूसरी आरकालाजिकल म्यूजियम, मथुरा समिति में एक स्थान के लिये एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है जो श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी के पक्ष में है। नामांकन पत्र ठीक है और श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी को उचित रीति से निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

भारतीय मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, में दो स्थानों के लिये चार सदस्यों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार हैं—

१—श्री मुरलीधर कुरील,
२—श्री बशीर अहमद हकीम,
३—श्री धर्मदत्त वैद्य, और
४—श्री लक्ष्मणराव कदम।

ये नामांकन पत्र ठीक हैं। अब इनमें से दो सदस्य चुने जाने वाले हैं। अगर समय पर वापसी न हुई, तो इनका चुनाव होगा।

चौथी उत्तर प्रदेश भारतीय अपराध निरोधक समिति में चार स्थानों के लिये इन १० सदस्यों के पक्ष में नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं—

१—श्री पुत्तू लाल
२—श्री रामस्वरूप गुप्त
३—श्री शिवराम पांडेय
४—श्री श्रीचन्द
५—श्री गज्जू राम चौधरी
६—श्री गंगा प्रसाद
७—श्रीमती लक्ष्मीदेवी
८—श्री केशव प्रसाद पांडेय
९—श्री विष्णु दयाल
१०—श्री उमा शंकर।

ये सब नियमानुकूल हैं। चार सदस्यों को चुनना है। अगर वापसी की तारीख तक बाकी नाम वापस नहीं लिये गये, तो इनका चुनाव होगा। नामों की वापसी का अंतिम समय १८ जुलाई, १९५२ ई० को ३ बजे तक है। सदन को मैं यह सूचना देना चाहता हूं।

विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव होंगे। इसके लिये समय का विभाजन करना है। जो माननीय सदस्य इस विषय में अपने सुझाव देना चाहते हों दे सकते हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या ४१ और ५० के लिये पौने दो-दो घंटे रख दिये जायं और अनुदान संख्या ४९ और ८ के लिये आध-आध घंटे रख दिये जायं। सम्भवतः चार अनुदान आज हो सकेंगे।

अध्यक्ष—आखिर में अनुदान संख्या ५१ भी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—कल के अनुदान आज आ गये हैं। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि चार अनुदान आज लिये जायं और पांचवां छोड़ दिया जाय।

अध्यक्ष—लिये तो सब जायंगे। आज समाप्ति का दिन है, इसलिये कोई अनुदान छोड़ा नहीं जायगा। क्या आप चाहते हैं कि उसको कोई समय न दिया जाय? केवल पाँच मिनट का समय दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं यह प्रस्ताव कर रहा था कि कल के अनुदान आज आ गये हैं .....।

अध्यक्ष--पांचों लिये जायंगे।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--जो ऊपर के दो अनुदानों के लिये डेढ़-डेढ़ घंटे रख दिये जायं।

अध्यक्ष--पौने पांच घंटे का समय है। ऊपर की दो अनुदानों के लिये जो आपने समय रखा है, उसमें से आप पाव-पाव घंटे कम करना चाहते हैं यानी डेढ़-डेढ़ घंटे रखना चाहते हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--जी हां।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--अनुदान संख्या ४१ और अनुदान संख्या ५० ये दोनों मिली जुली हैं, क्योंकि अनुदान संख्या ५० में व्यापार की योजनाओं के ऊपर खर्च है और अनुदान संख्या ४१ में उसके कर्मचारिवर्ग पर जो खर्चा होगा वह है। इसलिये इन दोनों के लिये ३ घंटे का समय रख दिया जाय। अनुदान संख्या ४९ के लिये १५ मिनट, अनुदान संख्या ८ के लिये १ घंटा, अनुदान संख्या ५१ के लिये १/२ घंटा। तो इस तरह से पौने पांच घंटे का जो समय है, उसका विभाजन हो जाता है।

अध्यक्ष--क्या माननीय मंत्री जी को अनुदान संख्या ४१ और ५० के मिला देने में कोई आपत्ति है?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जी नहीं।

अध्यक्ष--(श्री राम नारायण त्रिपाठी से) क्या आपको कोई आपत्ति है?

श्री राम नारायण त्रिपाठी--जी हां, है।

अध्यक्ष--अच्छा तो यह रहा--

अनुदान संख्या ४१ में डेढ़ घंटा।
अनुदान संख्या ५० में डेढ़ घंटा।
अनुदान संख्या ४९ में पंद्रह मिनट।
अनुदान संख्या ८ में एक घंटा।
अनुदान संख्या ५१ में आधा घंटा।

अनुदान संख्या ४९ में अधिक समय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेंशन के लिये एक ही कटमोशन है। इसलिये केशव गुप्त जी का जो सुझाव है, वह ठीक है और ये सब अनुदान अलग-अलग लिये जायंगे।

(२) वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक--६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत ३,५६,६६,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--

अध्यक्ष--एक ही एक लेना है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--परन्तु ये दोनों तो एक ही विषय पर हैं।

अध्यक्ष--मगर तय यही हुआ है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी, बहुत अच्छा, मेरे समझने में गलती हुई।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता था कि ये दोनों अनुदान एक साथ लिये जायंगे। चूंकि इन अनुदानों पर कई सदस्य बोलना चाहेंगे, मैं अधिक समय अलग-अलग अनुदानों पर बोल कर नहीं लूंगा। मैं इसी अनुदान पर विभाग से संबंधित बातों का विवरण इस भवन के सामने उपस्थित कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि मुझे ऐसा करने के लिये आपकी आज्ञा है।

अध्यक्ष--आज्ञा है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह विभाग, जिसका अनुदान मैंने अभी उपस्थित किया है और दूसरा थोड़ी देर के बाद उपस्थित करूंगा, हमारे प्रदेश की उन समस्याओं से संबंधित है, जिनका मनुष्य के जीवन से बहुत घनिष्ट संबंध है। खाने और कपड़े की समस्यायें ऐसी हैं जो मनुष्य के रोजमर्रा जीवन में उसे बारम्बार एहसास कराती हैं कि वह अपने जीवन को किस तरह से बरते। अन्न का वितरण, शक्कर का वितरण, कपड़े का वितरण, सीमेंट का वितरण, लोहे का वितरण, दवाओं का वितरण और मकानों का नियंत्रण, ये तमाम बातें इन अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। ऐसा विभाग, जिसे इन तमाम बातों की जिम्मेदारी उठानी पड़े और जिसके अन्दर तमाम बातों के नियंत्रण और वितरण के लिये रोजमर्रा के कार्यों को करना पड़े, उसे कितनी जिम्मेदारियों को सम्हालना होता है, इसका अनुमान हमारे इस भवन के सदस्यगण खुद ही अच्छी तरह से लगा सकते हैं। मैं उसके संबंध में अधिक नहीं कहूंगा।

मैं खाने और खाद्यान्न की समस्या के सिलसिले में बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि १५-१६ रोज हुए मैंने इस विषय पर अपनी प्रदेश की जनता के सामने रेडियो पर ब्राडकास्ट किया था। मुझे आशा है कि वह मेरी ब्राडकास्ट टाक आप लोगों की नजरों से गुजर चुकी होगी और विभाग द्वारा वितरित पुस्तिका द्वारा भी आप पढ़ चुके होंगे।

आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि १९५१ में, जहां तक हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या का संबंध है, अधिक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सन् १९५१ में प्रारंभ से ही गल्ले की बहुत ज्यादा कमी महसूस होने लगी, क्योंकि १९५० में अच्छी पैदावार नहीं हुई क्योंकि सूखा पड़ गया था और उस साल हम कुल ८५ हजार टन चावल ही इकट्ठा कर पाये थे। साथ ही बाहर से गल्ला आने की समस्या कठिन होती जाती थी। उस समय इतनी कठिनाइयां थीं कि हमारी केन्द्रीय सरकार गल्ले की कमी को पूरा करने का आश्वासन नहीं दे पा रही थी। इसलिये १९५० में जो खाद्यान्न के संबंध में खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन बम्बई में हुआ था, उसमें यह निर्णय किया गया कि सबको एक साथ त्याग करना चाहिये। देश में गल्ले की कमी थी और बाहर से आने में दिक्कत थी। इसलिये यह तय हुआ कि हर प्रदेश के रहने वाले को उतना ही गल्ला मिलना चाहिये जितना कि केंद्रीय सरकार सबको बराबर बराबर वितरण करे। यही वजह थी कि फरवरी, १९५१ में हमारे यहां भी निर्णय कर दिया गया कि बजाय छः छटांक गल्ले के जो हमारे यहां राशनिंग टाउन्स में मिल रहा था साढ़े चार छटांक की दर से दिया जायगा। उस समय यह बात हमारे प्रदेश के रहने वालों को अखरी थी, परन्तु सारे देश की समस्या को सामने रखकर इस प्रदेश के रहने वालों ने इसको स्वीकार किया और अपने त्याग का परिचय दिया। साढ़े चार छंटाक से उदर-पूर्ति तो हो सकती है, परन्तु इससे जितनी इंसान की भूख है अगर उसको मिटाया जाय तो नहीं मिट सकती है। परन्तु इस प्रदेश के रहने वालों ने त्याग और सहानुभूति का परिचय दिया और देशव्यापी समस्या को हल करने में मदद पहुंचाई।

अक्सर कुछ जिम्मेदार लोग यह तक कहते हैं कि इस प्रदेश के लोग और सरकार आल इंडिया स्तर पर उतना त्याग करने के लिये उद्यत नहीं होती है, जितना कि दूसरे प्रदेश के रहने वालों को करना पड़ता है। मैं आज इस भवन में इस कथन का

विरोध करना चाहता हूं। इस प्रदेश की जनता वर्षों से सारे देश के लिये त्याग करती रही है। आज बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको यह प्रदेश पैदा करता है और सारे देश को खिलाता है। हमारे प्रदेश में अधिक मात्रा में तिलहन होती है, हमारे प्रदेश में अधिक मात्रा में गुड़ होता है, हमारे प्रदेश में अधिक मात्रा में शकर होती है। क्या यह तमाम वस्तुएं हम सारे देश को नहीं भिजवाते हैं और फिर क्या यह वास्तविकता नहीं है कि पिछले वर्ष जब कि सारे देश में चावल की बहुत कमी थी, तो इस प्रदेश की जनता ने अपना पेट काटकर दूसरे प्रदेशों के रहने वालों को , जहां बहुतायत से चावल खाया जाता था, चावल भेजा और इस प्रकार मद्रास जैसे प्रदेश की समस्या को हल करने में मदद पहुंचाई। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि कुछ जिम्मेदार व्यक्ति और बाहर के रहने वाले लोग मौके बे मौके यह बात किया करते हैं कि इस प्रदेश की जनता और सरकार अपने यहां के रहने वालों के लिये ही नियम वगैरह बनाया करती है और उन्हें सारे देश की जनता का ध्यान नहीं रहता है। क्या हमारे भवन के सदस्यगण नहीं जानते कि हमारे यहां चावल की लिमिट डेढ़ छटांक थी, उसे घटा कर हमने आधी छंटाक फी आदमी रक्खा और इस प्रकार चावल बचा कर अन्य प्रदेशों को भेजा। इस साल ७ लाख टन के ऊपर चावल हम बाहर भिजवा चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर जो यह एतराजात हमारी सरकार के ऊपर लगाये जाते हैं। वे बेबुनियाद हैं, साथ ही इस अवसर पर मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि अक्सर यह भी एतराज किया जाता है कि हमारे प्रदेश में आवश्यकता से अधिक गल्ला पैदा होता है, परन्तु हम अपने यहां के रहने वालों को और अधिक गल्ला देना चाहते हैं। इसीलिये हम दूसरे प्रदेशों को गल्ला नहीं भिजवाते।

अभी थोड़े दिन पहले एक बहस हुई थी। उस बहस में इस बात को साबित करने की कोशिश की गई थी कि कई वर्ष से हमारे प्रदेश में जरूरियात के मुताबिक गल्ला नहीं पैदा होता है। आज भी वास्तव में गल्ला इतना पैदा नहीं हो रहा है, यद्यपि हमने अधिक मात्रा में गल्ला पैदा करने की चेष्टा की है। हमने १० लाख एकड़ नई जमीन तोड़ी है और १२ लाख एकड़ के वास्ते हमने सिंचाई का इंतजाम किया है, ताहम ऐसी कठिनाइयों समय समय पर उपस्थित होती रही हैं कि हम अधिक मात्रा में गल्ला पैदा नहीं कर पाये हैं। कौन नहीं जानता कि समय समय पर बहिया आई हैं और सूखा पड़ गया है। यद्यपि हमने अधिक गल्ला पैदा करने की कोशिश की लेकिन इन कारणों से उसमें सफल नहीं हुए। अतः जो एतराज बाहर की दुनिया में हमारे और हमारी सरकार के ऊपर लगाया जाता है वह बेबुनियाद है। मैं कहना चाहता हूं और कई मर्तबा इस भवन में कह चुका हूं कि हमारे प्रदेश में आज हमारी जरूरियात के मुताबिक गल्ला पैदा नहीं हो रहा है। वास्तव में वह हो भी कैसे सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे प्रदेश में बहुत सी चीजें ऐसी पैदा होती हैं जिनको हम बाहर के प्रदेशों में भेजते हैं। अगर हमारी जमीन और चीजों की पैदावार में लग जाती है तो हम उस पैदावार में वृद्धि कैसे कर सकते हैं जिस पैदावार की हमें आवश्यकता है।

मैं यह बतला रहा था कि पिछले साल हमें काफी कठिनाइयां गल्ले के संबंध में उठानी पड़ीं। गल्ला कम पैदा हुआ, हमारा प्रोक्योरमेंट [अन्न संग्रह] कम हुआ। चावल की पैदावार कम हुई, खरीफ की पैदावार कम हुई। इस कारण १९५१ का जो प्रोक्योरमेंट हुआ वह पिछले कई बरसों के प्रोक्योरमेंट से कम हुआ। नतीजा यह हुआ कि हमें केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करनी पड़ी कि हमें अपने यहां के गल्ले की समस्या को हल करने के लिये बाहर से मंगाये हुए गल्ले में हिस्सा दिया जाय और उन्होंने पिछले वर्ष करीब २ लाख ६० हजार टन गल्ला दिया।

इस बरस हमने इस बात की कोशिश की कि गल्ला ज्यादा पैदा हो। रबी का प्रोक्योरमेंट इस साल हर साल से बहुत अधिक मात्रा में हुआ और पहली जुलाई को हमारे गोदामों

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में साढ़े ५ लाख टन के ऊपर गल्ला मौजूद था। अब हमने ३० जून को यह निर्णय किया कि जो रैस्ट्रिक्शंस (निबंधन) पहले गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लगे हुए थे उनको हमने हटा लिया। हमारे पास इस साल आठ महीने तक के लिये गल्ला मौजूद है और ऐसा समय हमारे बीच में आ गया है कि जब कि बहुत सी चीजों की कीमतें कम हो रही हैं और गल्ले को लाने और ले जाने के लिये भी साधन उपलब्ध हैं। पहले जब हमारे प्रदेश में डिकंट्रोल हुआ था उस समय गल्ले को लाने लेजाने के साधन बहुत सीमित थे और उसमें जो कार्यशैली थी वह बहुत संतोषजनक नहीं थी। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष हमें कदाचित् उन कठिनाइयों का सामना न करना पड़ेगा और इसलिये हमने यह निर्णय किया है कि जो सुविधा हम अपने प्रदेश के कुछ नगरों को दिये हुए थे, जिसके अन्तर्गत लोग सरकारी दूकानों के साथ ही खुले बाजार में भी गल्ला खरीद सकते थे, वह सारे प्रदेश में लागू कर दी जाये।

इस कदम को उठाने के बाद यद्यपि आज जो आंकड़े कीमतों के अखबारों में आ रहे हैं, वे हर्षवर्धक नहीं हैं, लेकिन अभी उनकी बुनियाद पर कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उनसे हमारे व्यवसाय में थोड़े समय के बाद इन कीमतों में स्थायित्व आयेगा और कीमत आगे नहीं बढ़ने पायेंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ और व्यापारी और किसान गल्ले को रोकना चाहेंगे और ऐसे कार्य करेंगे कि मुनासिब कीमत पर गल्ला न बिक सके, तो हम उनका मुकाबिला करेंगे। हम ऐसी व्यवस्था इस प्रदेश में पैदा नहीं होने देंगे। वे शक्तियां, संस्थायें और व्यक्ति, जो इस बात की कोशिश करेंगे कि कीमतें जानबूझ कर बढ़ें, तो हमने जैसा पहले कहा था और आज भी उसको दोहराना चाहते हैं कि हम उस सारे गल्ले को छीन लेंगे और उनको वह कीमत देंगे जो कि हमने निश्चित की है, गेहूं की अधिक से अधिक जो कीमत हमने १४ रुपया फी मन रखी है, यही हम उनको देंगे और उसको इकट्ठा करके हम उसका वितरण इसी कीमत पर करायेंगे। यह बात हम कई दफा कह चुके हैं और आज भी उस चेतावनी को हम दोहरा देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के नागरिक, व्यापारीगण और गल्ले को पैदा करने वाले किसान आज यह समझ लें कि यदि वे यह चाहते हैं कि इस प्रदेश में मुनासिब कीमत गल्ले की रहे, यदि वे चाहते हैं कि आम आदमी तकलीफ से अपनी जिन्दगी न बितायें, तो उनका कर्त्तव्य है कि जानबूझकर कीमत न बढ़ायें, गल्ले को इकट्ठा करके उससे नफा पैदा करने की कोशिश न करें। यदि वे इसके विपरीत करेंगे भी तो उनकी चेष्टा विफल कर दी जायगी। हमने अपने हाथ में ऐसे तमाम कानूनी अधिकार रख छोड़े हैं जिनके अन्तर्गत हम उनके सारे गल्ले को ले सकते हैं और उसका वितरण मुनासिब कीमत पर करा सकते हैं। हमारे यहां लाइसेंसिंग नियम इस तरह के रहे हैं कि जिसके अन्दर हर एक व्यापारी को अपना स्टाक डिक्लेयर (घोषित) करना पड़ता है। जो केन्द्रीय सरकार ने अब किया है वह हमारे प्रदेश में पहले से ही चालू है। यह अधिकार भी हमने अपने रूल्स और रेग्यूलेशन के जरिये से ले रखा है कि जो बैंक्स व्यापारियों को जितना रुपया एडवान्स करें, जिस गल्ले की बुनियाद पर एडवान्स करें, उतना गल्ला गोदामों में रहे और जिस जगह पर उसे रखें उसका खाका हफ्तेवार या पन्द्रह दिन में हमारे पास भेजते रहें, जिससे हमको यह मालूम होता रहे कि उनके पास कितना गल्ला है और बैंकों से कितना रुपया गल्ला प्राप्त करने के लिये व्यापारियों ने लिया है। इस प्रकार की सूचना हमको समय समय पर मिलती रहती है। हम आशा करते हैं व्यापारी और किसान इस बात की कोशिश करेंगे कि गल्ले की कीमत बढ़ने न पाये। आशा है हमने जो नया प्रयास जनता के सुभीते के लिये किया है उसमें उनका सहयोग मिल सकेगा। गल्ले का जहां तक संबंध है, मैं और अधिक बातें कहना नहीं चाहता हूं।

जहां तक चीनी के वितरण का संबंध है, उससे माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं। चीनी की कमी हमारे प्रदेश में नहीं है। इस वर्ष शुगर इतनी अधिक मात्रा में पैदा हुई है जो हमारी

जरूरत से बहुत ज्यादा है---करीब करीब साढ़े तीन लाख टन ज्यादा पैदा हुई है। इसलिये उसके वितरण की समस्या हमारे बीच में नहीं है। खुले बाजार में उसकी कीमत कम हो जाने पर गुड़ और खंडसारी की कीमत और भी बहुत कम है। इसलिये उसके विषय में मैं अधिक नहीं कहूंगा। चीनी का जितना कोटा है, वह हमारे प्रदेश में आता रहता है। इसलिये चीनी की कमी हम अनुभव नहीं करते हैं।

नमक के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक साल पहले हमारे प्रदेश में काफी मात्रा में सांभर का नमक आया करता था, परन्तु सांभर से अब उतनी मात्रा में नमक हमें नहीं मिलता जितना कि पहले मिला करता था। पहले हमें सांभर से १८ या १९ हजार वैगन नमक के मिलते थे, परन्तु बरसात न होने की वजह से सांभर नमक की पैदावार कम हो गयी है और इसीलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमारा कोटा सांभर नमक का घटा दिया है और अब केवल १० हजार वैगन का कोटा हमारा रह गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे प्रदेश के बहुत से जिलों में जहां पहले से सांभर नमक जाता था वह अब नहीं पहुंच पाता है। अब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक 'जोनल स्कीम' बनाई है जिसके अनुसार विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न स्थानों से नमक की सप्लाई बांध दी गयी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि बहुत से ऐसे स्थान जहाँ पर सांभर का उपभोग होता था, अब सांभर नहीं पहुंच पाता है। वहां अब धरन्धरा, बम्बई और कलकत्ते से समुद्री नमक और राक साल्ट जाता है। सांभर की कमी होने के कारण मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ा है। समय समय पर कभी कभी ऐसी स्केरसिटी पाकेट्स [कमी के क्षेत्र] भी बन जाती है, जहां नमक नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह वैगन का न मिलना ही होता है। पिछले ४-५ महीनों में कई बार ऐसे मौके आये हैं कि जब हमें दूसरे स्थानों से ऐसी जगहों पर नमक भेजने का इंतजाम करना पड़ा है।

सीमेंट का एलाटमेंट कोटा हमारे सूबे के लिये काफी है और जितना एलाटमेंट अब तक था अब उससे अधिक सीमेंट हमारे यहां आता रहा है। कभी कभी पूर्वी जिलों में या और दूसरे हिस्सों में उसकी कमी महसूस होने लगती है। इसकी वजह यही होती है कि समय से रेल के वैगन नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा होता है कि जब १५ वैगन की आवश्यकता होती है तो उन्हें एक दो वैगन ही रोज मिल पाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उन स्थानों में सीमेंट की कमी हो जाती है और वहां के रहने वाले लोगों को सीमेंट की समस्या बढ़ जाती है।

लोहे और इस्पात का जहां तक संबंध है, उसमें भी हमारे प्रदेश के एलाटमेंट कोटा में काफी बढ़ती हुई है। यह बात सही है कि पापुलर वेराइटी का कोटा जो लोहे का है वह अधिक मात्रा में नहीं आ पाता है, जैसे आजकल कारोगेटेड आइरन शीट्स नहीं आ पा रही है। इसकी वजह यह कही जाती है कि आजकल इनके उत्पादन में कमी हो गयी है, क्योंकि उनके उत्पादन के लिये जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह बाहर के देशों से नहीं आ पा रही है। पाइप्स जो यहां बनते हैं उनकी कीमत विलायती पाइप्स के अनुपात में कम होती है। उनकी भी बहुत कमी है। इस समय जो हमारा एलाटमेंट कोटा है उससे अधिक मात्रा ही में हमने अपना कोटा प्राप्त किया है। हमारे प्रदेश में आयरन का एलाटमेंट कोटा ४५,१९६ टन है और वह हमारे प्रदेश में ५२,००० टन के करीब आया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिस वेराइटी [किस्म] की जिस मात्रा में जरूरत थी वह नहीं आ पाई है।

'कोल डस्ट' की हमारे यहां बहुत कमी रही और जितनी कोल डस्ट हमें एलाटेड थी उससे बहुत कम आई। इसी वजह से हमारे सूबे में ईंटों की कीमत बढ़ गई और जिस नियत से हमने 'ब्रिक कंट्रोल' [ईंटों का नियन्त्रण] को हटाया था उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली। यदि कोल डस्ट ज्यादा मात्रा में आ पाता तो ईंटों की कीमत न बढ़ती। इसी के फलस्वरूप

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हमने जो नये मकानों पर से कंट्रोल हटाया था उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली। इस कीमत के बढ़ने के कारण ही नये मकान भी अधिक मात्रा में नहीं बन सके।

हमारे यहां कोल डस्ट का टोटल एलाटमेंट सन् १९५० में ३०,१४४ वैगन था जिसमें आया २१,३४७ वैगन ही, सन् १९५१ में एलाटमेंट ३४,८०८ वैगन था और आया १३,४६४ वैगन और सन् १९५२ के जून तक १०,२३१ वैगन एलाटमेंट होते हुए १,८७७ वैगन ही आ पाये। इन आंकड़ों से माननीय सदस्य यह महसूस कर लेंगे कि हमारे यहां समय समय पर 'कोल डस्ट' की कमी क्यों रहती है। "साफ्ट कोक" भी हमें हमारे प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात से नहीं मिलता। बम्बई, कलकत्ता वगैरह में वह अधिक मात्रा में वितरण किया जाता है। इसलिये हमारे प्रदेश में इसकी कमी रहती है। वह बड़े बड़े शहरों में ही बंटवाया जा सकता है। बड़े बड़े शहरों में लकड़ी की कीमतें बढ़ जाने से अक्सर लोगों को "साफ्ट कोक" की जरूरत पड़ती है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने हमारी पुस्तिका में देखा होगा २४ नगरों में ही लकड़ी का कंट्रोल है। यह लकड़ी सरकारी जंगलों से आकर बिकती है और प्राइवेट फ्यूएल वुड [जलाने की लकड़ी] की कीमत को कम रखने में सहायक होती है। हमने १८ नगरों के आंकड़े एकत्रित किये हैं जहां कि लकड़ी के ऊपर कंट्रोल है। वहां हमने देखा है कि सरकारी नियंत्रित लकड़ी प्राइवेट लकड़ी की कीमत कम रखने में मदद पहुंचाती है। ये आंकड़े बतलाते हैं कि करीब ५१ लाख १६ हजार मन लकड़ी वहां आई थी उन जिलों में और उसमें से २६ लाख ६१ हजार मन लकड़ी सरकारी थी जो नियंत्रित थी और जिसका खर्चा अनुपात के हिसाब से करीब ४६.५ फीसदी होता है। प्राइवेट फारेस्ट से जो लकड़ी बिकने के लिये आती थी उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं जिससे उस लकड़ी की पैदावार कम हो गयी है और इस कारणवश लकड़ी की कीमत जगह जगह पर बढ़ी भी है। सरकारी जंगलात की लकड़ी ने उस कीमत को कम करने में सहायता दी है।

इन अनुदानों में रेंट कंट्रोल का भी विषय है। मकानों की कमी के कारण किराये बढ़ने के कारण हमने यह लगाया था। इसने मध्यमवर्ग और गरीब तबके के लोगों को काफी मदद पहुंचाई है। मकानों के किराये बढ़ने नहीं पाये हैं। उसका नतीजा तो हम इसी बात से जान लेते हैं कि जो हमारे प्रदेश में कैन्टूनमेंट्स में मकान थे उन पर भी नियंत्रण था। जब केन्द्रीय सरकार ने वह नियंत्रण हटवा दिया तो वहाँ किराये बढ़े और लोगों ने शोर मचाया और फिर केन्द्रीय सरकार को अपनी तरफ से रेंट कंट्रोल लगाना पड़ा। वह उन्होंने हमारे ऐक्ट की लाइन्स पर बनाया। इससे पता चलता है कि आज हमें मकानों के किराये के नियंत्रण की आवश्यकता है। मकानों के रहने के नियंत्रण के लिये भी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि मिडिल क्लास के आदमी वे किराये नहीं दे सकते जो नियंत्रण हट जाने के बाद मकानों के मालिक मांगने लगेंगे। इससे गरीब लोग और मिडिल क्लास के लोग परेशानी में पड़ जावेंगे।

कपड़े का नियंत्रण आज कुछ ढीला पड़ गया है क्योंकि आजकल मार्केट में काफी कपड़ा आ गया है। कपड़े में मंदी है। पिछले वर्ष इसकी काफी दिक्कत थी। वितरण में भी दिक्कत थी और पैदावार भी कम हुई थी। इसका कारण एक यह था कि विलायती रुई की कीमत बढ़ गयी थी, इसलिये उससे तैयार होने वाले कपड़े की कीमतें भी बहुत ऊंची रखनी पड़ी थीं। इसका नतीजा यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार को अपने एक्सपोर्ट (निर्यात) के नियंत्रण में ढील देनी पड़ी। ४० फीसदी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी, लेकिन बाद को घटा कर यह २० फीसदी कर दी गयी। मिलों के उत्पादन पर भी नियंत्रण रहा। उनसे एक खास परसेंटेज धोती वगैरह माल, जो रोजाना के इस्तेमाल में आता है, तैयार करने के लिये कहा गया। प्रदेश की सरकार को भी पिछले साल कपड़े के वितरण में दिक्कत हुई, क्योंकि कपड़ा बहुत कम मात्रा में तैयार हुआ। उस कपड़े को शहरों में कंट्रोल की दूकानों और देहातों में पंचायतों द्वारा वितरण किया गया। जिन जगहों पर

राशन नहीं था उन जगहों पर शकर के कार्डों पर बटवाया गया। इसके साथ ही साथ प्रदेश में प्रांविशियल मारकेटिंग फेडरेशन की दूकानें खुलवाई गईं जिससे मुनासिब कीमत पर कपड़ा मिल सके। कुछ मिलों की दूकानें भी खुलवाई गईं जहां कपड़ा नियंत्रित कीमत से कुछ कम दामों पर मिलता था। इस प्रकार पिछले वर्ष जब कि कपड़े की कमी रही, कपड़े के उचित वितरण की कार्यवाही की गयी। यह मैंने संक्षेप में और मोटे तौर पर कपड़े के नियंत्रण के बारे में बताया।

एक बात इसके बारे में और कहूंगा कि जब कभी नियंत्रण की बात आती है तो भ्रष्टाचार और बेईमानी के बारे में बहुत कहा जाता है। जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है मैं आज यहां खड़ा होकर यह दावा करने के लिये तो उद्यत नहीं हूं कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया है या भ्रष्टाचार हमारे बीच से बिल्कुल हट गया। आज की व्यवस्था में यह ऐसी चीज नहीं है जो महज कहने भर से हट सकती हो। हमने भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न किया है। जिन अधिकारियों ने नियमों का पालन नहीं किया या कोई बेईमानी करते पकड़ा गया है उसको हमने सजा देने में कमी नहीं की है। आगे जो मैं आपको आंकड़े बतलाऊंगा उनसे आपको मालूम होगा कि उत्तरोत्तर इस ओर अधिक सख्ती बरती गयी है। जो पकड़े गये हैं उन्हें सजा दिलाई गयी है और जिन कर्मचारियों के बारे में हमको यह सूचना मिली कि वे गड़बड़ करते हैं, घूस लेते हैं, उनको भी सजा दी गयी। जो आपको उस संख्या से मालूम हो जायगा जो अभी आपके सामने रखूंगा। इनसे आप यह नतीजा निकाल सकते हैं कि अपने प्रदेश की सरकार इस मामले में सोई नहीं है।

वर्ष		मुकद्दमे चलाए गये	सजा हुई	छूट गये
१९४९-५०	..	१,२५४	१,२१२	३९०
१९५०-५१	..	३,५५५	३,१३५	७१२
१९५१-५२	..	४,४३५	३,४०२	२७४

इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी जो निकाले गये या अन्य कार्यवाही हुई उनकी संख्या निम्न प्रकार है—

वर्ष			संख्या
१९४९ में	..	..	१४८
१९५० में	..	..	२१३
१९५१ में	..	..	१८८
१९५२ के मार्च तक	..	..	५८

आदमियों की संख्या जो डिटेंशन में रखे गये —

वर्ष			संख्या
१९५०	..	..	१६
१९५१	..	..	३५

इस तरह से यह आंकड़े आपको बताते हैं कि अपने प्रदेश की सरकार इस बारे में सजग है। हमें जब कभी सूचना मिली है और जब कभी किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत हमें मिली है, तो हमने फौरन उसकी जांच कराई है और उसके बाद अगर वह दोषी पाया गया है तो उसको सजा दिलाई गई है। जो विधान हमारे देश में है, उसके अन्तर्गत बिना जांच

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कराये हम किसी को भी सजा नहीं दे सकते। किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना उसका कसूर बताये कि उसने अमुक गलती या बेईमानी की है और जब तक यह साबित न हो जाय, कोई सजा नहीं दी जा सकती। अक्सर चीन और रूस का जिक्र किया जाता है, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में रूस और चीन का तरीका नहीं बरता जा रहा है। हम तो डेमोक्रेटिक ढंग से काम करते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि यहां रूस और चीन का तरीका बरता जाय? क्या आप चाहते हैं कि वहां जिस प्रकार से कार्यवाही की जाती है उसी प्रकार से यहां भी कार्यवाही हो? वहां पर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शक भी हो जाता है तो वहां बगैर उसके बयान लिये ही कार्यवाही हो जाती है। कभी कभी तो फोन पर ही सब कार्यवाही हो जाती है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में भी इन तरीकों का अनुकरण किया जाय। यदि हमें ऐसा करना है तो हमें अपना विधान बदल देना होगा, लेकिन जब तक हम इस विधान के अन्तर्गत काम करेंगे और जब तक शांतिमय तरीकों में विश्वास करते रहेंगे, जब तक हम अपने पूज्य नेता के बताये हुए सिद्धांतों पर काम करते रहेंगे, तब तक कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हम इन विदेशी तरीकों को बरतें जो कि विदेशों में बरते जाते हैं। डेमोक्रेसी का तरीका धीरे धीरे काम करने का तरीका होता है। जहां पंचायतों से सब चीज तय होती है वहां कार्यवाही करने में समय लगता है और विधान के अन्तर्गत हमें चलना पड़ता है? इसलिये आज हमारा मुकाबला चीन से किसी भांति भी नहीं हो सकता। हम शांतिमय तरीकों को मानने वाले हैं और जिस महामान्य नेता को हम जानते हैं उसने हमें प्रेम का तरीका, शान्ति का तरीका सिखाया है और हमें यह बताया है कि जो तरीका दूसरे देशों में बरता जा रहा है वह भ्रांति का तरीका है।

इतना तो मैंने पहले ही कह दिया था कि यह इतना बड़ा विभाग है जिसको जीवन की अनेक समस्याओं को हल करना पड़ता है। जब से मनुष्य पैदा होता है और दुनियां से जाता है उस समय तक की सब समस्याओं को यह महकमा हल करता है, इसी महकमे को वे सब समस्यायें तय करनी पड़ती हैं। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके खाने की व्यवस्था होती है, कपड़े की व्यवस्था की जाती है और जब वह मर जाता है तो उसके कफन, बांस और लकड़ी की व्यवस्था की जाती है। फिर ऐसे प्रदेश के लिये यह कोई हल्का कार्य नहीं है जिसकी जन संख्या ६ करोड़ ३२ लाख हो। उसके कार्य संचालन में त्रुटियां, खराबियां और दोष हो सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में हम जो कुछ कर सकते हैं वह दोषों को निवारण करना है, उनको दूर करने का प्रयत्न करना है। आज भी हम उस कार्य को अपने कंधों पर लिये हुए हैं, हम बराबर इस प्रयत्न में लगे रहते हैं कि हमारे बीच में जो खराबियां, दोष, या कमियां हैं उनको हम दूर कर दें। जहां तक इस विभाग का संबंध है अन्य प्रदेशों में मंत्री आये और चले गये। केन्द्र में भी आये और चले गये, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे विभाग के संचालन की जिम्मेदारी फिर भी मेरे ही कंधों पर डाली गयी है। जब तक मुझ में शक्ति रहेगी मैं उसका संचालन यथासंभव उचित रीति से करने का प्रयत्न करता रहूंगा। इतना मैं और कह देना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने अब तक किया है वह सब उन अधिकारियों के कारण हुआ जिनका सहयोग मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा है। श्री भार्गव फूड कमिश्नर, श्री महेन्द्र, एडीशनल फूड कमिश्नर, श्री पांडे तथा श्री राजा राम सिंह असिस्टेंट फूड कमिश्नरों ने बड़ी योग्यता और क्षमता से कार्य किया। इसके अतिरिक्त प्रांविशियल मार्केटिंग अफसर श्री श्रीराम सिंह और श्री कृष्ण प्रताप, पब्लिकरिलेशन्स आफिसर, ने भी मुझे सदैव सहायता प्रदान की है। यदि इन लोगों का सहयोग मुझे प्राप्त न होता, तो शायद कठिनता से इस विभाग का संचालन कर पाता। मैं इस भवन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिये बिना रह नहीं सकता जिन्होंने समय कुसमय में हमारी योजनाओं के साथ सहयोग प्रदान किया है और हमें अपने

सुझाव दिये हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को भवन की स्वीकृति के लिये उपस्थित करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं।

अध्यक्ष---जब कट मोशन शुरू हो जाय, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। बीच में आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने दोनों अनुदानों पर अपना भाषण दे दिया है। आगे चल कर कट मोशन्स जो हैं वे दोनों अनुदानों के पृथक् पृथक् हैं। तो क्या श्रीमान् ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि दोनों अनुदानों के जो कट मोशन्स सदस्यों ने उपस्थित किये हैं वे सब लोग खड़े होते जायं या क्रमशः आप इसकी व्यवस्था कर रहे हैं?

अध्यक्ष---एक तो मैं पहली बात यह करूंगा अगर भवन उचित समझे कि डेढ़ घंटा जो इस अनुदान के लिये दिया गया है इस पर मंत्री जी ४०, ४५ मिनट बोल चुके हैं और फिर बोलेंगे। तो पहले अनुदान के लिये पौने दो घंटा होना चाहिये और दूसरे अनुदान पर मंत्री जी शुरू में भाषण नहीं देंगे ; इसलिये उसमें सवा घंटा कर दिया जाय। पहला फर्क तो मैं यह कर दूंगा। दूसरी चीज यह कि जो पहले अनुदान पर भाषण देंगे उनको इस बात की सहूलियत होगी कि वे दूसरे अनुदान के संबंध में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा उनको बोलने का अधिकार रहेगा। इसलिये उनको दोनों अनुदानों पर बोलने का अधिकार रहेगा सिवा उनके जिनके कि कट मोशन्स हैं जिन्हें मैं इजाजत दूंगा कि वे अलहदा अलहदा पेश करें। इस तरह से यह बात हो जायगी कि पहले अनुदान पर जो बोल चुके हैं वे दूसरे अनुदान पर नहीं बोल सकेंगे। तो इस प्रकार दूसरों को मौका मिल जायगा।

अब माननीय गेंदा सिंह जी माननीय राजनारायण जी के बजाय कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय अन्न मंत्री जी ने कहा ६ करोड़ ३२ लाख जानें जो इस सूबे में बसती हैं उन सबकी जिन्दगी से यह सवाल संबंध रखता है। मैं सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की मानता हूं कि मंत्रिमंडल ने बहुत पहले से ऐसा इंतजाम कर रखा है कि स्वास्थ्य और अन्न दोनों का काम एक ही व्यक्ति के सुपुर्द है। इसकी याद दिलाने की जरूरत हमको नहीं होगी कि माननीय गुप्त जी ने सन्तुलित भोजन का काफी अध्ययन किया है और एक आदमी के जीने के लिये कितने भोजन की आवश्यकता होती है तथा जिन्दगी के लिये और क्या जरूरी सामान होते हैं, उसका अनुमान लगाया होगा। मौके मौके पर उनके उपदेश सुनने का मौका हमको मिला है। कभी कभी वे कुछ साइंस की बात भी करते हैं, कुछ समाज सेवा की बात भी करते हैं, कुछ इलाज वगैरह की बात भी करते हैं और कुछ समाज शास्त्र की बात भी करते हैं और हमलोग बहुत गौर से सुनते हैं। वे हमसे बड़े हैं।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---भूखमरी की बात....

श्री गेंदा सिंह---भुखमरी की बात ठाकुर साहब ही करेंगे, ऐसा वक्त आ रहा है। मैं ऐसा समझता था कि माननीय गुप्ता जी अनाज की व्यवस्था कम से कम ऐसी करेंगे कि लोगों को बीमारी का इलाज कराने की जरूरत ही न पड़े। दो तरह के इलाज होते हैं। एक तो बीमारी होने ही न पावे और दूसरा यह कि बीमारी होने के बाद उस बीमारी का

[श्री गेंदा सिंह]

इलाज किया जाय। कुछ आधुनिक जमाने में लोग ज्यादा पसन्द करते हैं कि प्रिवेंटिव मेथड अख्तियार किया जाय और बीमारी होने ही न पाये। मेरा ऐसा खयाल है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रिवेंटिव मेथड को तरजीह नहीं दी बल्कि क्यूरेटिव मेथड को ज्यादा पसन्द किया कि जब बीमारी बढ़ जाय तब उसका क्योर (इलाज) किया जाय, उनको क्योर करने में ज्यादा मजा मिलता है। उसी का हम कुछ प्रत्यक्ष परिणाम देखते हैं कि जो उन्होंने पिछले पांच छः वर्षों में किया वह सूबे के एक थोड़े से हिस्से की परवाह की है। उस पर शुक्रगुजारी उनको नहीं दी जा सकती और उनका शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। शहर के ७२, ७३ लाख आदमियों के खाने पीने के मसले पर अरबों रुपया खर्च किया गया और इतना ही नहीं, बल्कि यह भी किया गया....

एक सदस्य—तो क्या शहरवालों को भूखों मार डाला जाय?

श्री गेंदा सिंह—जी नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि गांववालों और शहर वालों के बीच दरार पैदा करायी उन्होंने। जब प्रोक्योरमेंट (गल्ला वसूली) की बात आती है तो गांव वाले सोचते हैं कि अनाज कहां जायगा, अनाज उससे सस्ते भाव पर लिया जायगा और उसे लाकर शहरों में बेंचा जायगा। गांव वाले सोचते हैं कि शहरवाले जो हैं वे हमसे जबरदस्त हैं और हमसे सस्ता गल्ला छीनकर ले जाना चाहते हैं और हमारे जीवन की जो जरूरियात है चाहे वह कपड़ा हो, चाहे वह नमक हो, चाहे वह तेल हो, जो जरूरत की चीजें हैं वह उसे महंगे दामों में मिला करे तो फिर वह समझता है कि यह सरकार तो ऐसी है कि जो शहरों की सरकार है, गांववालों की सरकार नहीं है और यह सरकार इस अपराध से बच भी नहीं सकती।

गुप्ता जी ने समाजवाद का तो अध्ययन किया ही होगा, मुझे फिर उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं। इस पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा होता है कि शहरों और गांवों के झगड़े फैलते हैं, बहुत जोरों से फैलते हैं। माननीय गुप्ता जी की हुकूमत में भी अगर गांवों और शहरों के इस तकरार को बढ़ावा मिले तो अफसोस होता है। मैं आपसे अर्ज करूं कि अबकी मरतबा की सेंसस रिपोर्ट (जनगणना प्रतिवेदन) देखें तो जहां इस प्रदेश के शहरों में २९ लाख ६८ हजार आदमी सन् १९४१ में रहते थे अब ३९ लाख से ऊपर आबादी शहरों में है। तो इतने बच्चे तो पैदा हो नहीं गये, इतनी तेजी से तो पैदावार आदमियों की बढ़ी नहीं। ये लोग आज गांवों से भाग भाग कर शहरों में आ रहे हैं, उन्हें शहरों की जिन्दगी कुछ ऐसी लगी कि कम से कम यहां वे भूखों तो नहीं मर सकते।

मैं यह नहीं कहता कि भूखे मरने वाले शहरों में नहीं हैं, शहरों का प्रबन्ध भी कोई ऐसा नहीं है जिस पर संतोष किया जा सके लेकिन मैं दोष लगाता हूं इस सरकार पर कि गांवों और शहरों का झगड़ा इस हुकूमत ने पैदा किया। मैं एक बहुत ताजी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। चीनी का व्यापार हमारे प्रदेश का सब से बड़ा व्यापार है और उस व्यापार में किस तरह से गड़बड़ी पैदा की गयी है, किस तरह से उसकी उपेक्षा की गयी है उसके बारे में दो एक चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। इंडियन शुगर टैरिफ बोर्ड ने बहुत जोरों से इस बात को कहा था कि जो कुछ भी सूबे की गवर्नमेंट केन सेस (गन्ना उपकर) से वसूल करती है उसको ईख की पैदावार के बढ़ाने पर खर्च करे और अगर उसकी पैदावार के बढ़ाने पर खर्च नहीं किया जायगा तो यह चीनी का व्यापार हमारे हाथ से छिन जायगा और जैसा कि खतरा है जिसे मैं ही नहीं सरकार स्वयं इस बात को समझती है कि अगर दक्षिणी भारत में सस्ती चीनी हम पैदा न कर सके तो उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्टरीज उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकतीं लेकिन इस तरफ क्या किया गया? पिछले साल तीन करोड़ नब्बे लाख रुपया

केन सेस से गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया, इस तरह से १२ करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया सरकार ने इस मद से वसूल किया, लेकिन ईख की पैदावार के बढ़ाने में कुछ भी नहीं किया। अगर ईख की पैदावार को बढ़ाने के लिये उसने कुछ किया होता तो आज इस सूबे की हालत कुछ दूसरी होती।

दूसरी चीज का बहुत गुमान किया जाता है कि इस साल हमने गेहूं बहुत सा इकट्ठा कर लिया है। गेहूं इकट्ठा करने में पश्चिमी जिलों के किसानों के साथ क्या-क्या जुल्म किये गये हैं? इसके अतिरिक्त मैं हुकूमत से इसका जवाब चाहता हूं कि जिस वक्त गुड़ बनाने का वक्त था उस वक्त हुकूमत ने गुड़ को क्यों नहीं बाहर एक्सपोर्ट (निर्यात) किया, बाहर क्यों नहीं जाने दिया? मजबूर होकर काश्तकारों ने मिल वालों को अपना गन्ना दिया। मिल वालों ने जिस भाव में चाहा उस भाव में गन्ना खरीदा। अब गुड़ का एक्सपोर्ट (निर्यात) किया जाता है। उस वक्त पश्चिमी जिले के किसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर हो कर अपना गेहूं बेचा। तो मैं तो यह समझता हूं कि हुकूमत इस बात से बाज आये कि वह शहर और गाँव वालों में झगड़ा पैदा करके एक दूसरे को लड़ाये।

मैं आपसे जुलाहों की बात कहूं। आपके सन् १९५१ के एलेक्शन मैनिफेस्टो (निर्वाचन-घोषणा-पत्र) में कहा गया था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योगों) को बढ़ाना है, उसको अहमियत देनी है। उसी के द्वारा देश और सूबे को आगे बढ़ाना है। हुकूमत ने क्या किया? बस्ती में हमने सुना है कि तेरह हजार जुलाहों की हालत बहुत खराब है। उद्योग मंत्री जी से पूछा जाता है तो जवाब नहीं देते हैं कि उनकी क्या हालत है, वे मर रहे हैं, उनको सूत मिल रहा है या नहीं। तो सारी बातों को आप एक योजना के साथ सोचने की कोशिश कीजिये कि सारे सूबे में कितने अन्न की जरूरत है। अगर आपके पास यह आँकड़े नहीं होंगे तो यह हुकूमत नहीं चल सकती है। आँकड़ों के ही आधार पर सारी योजना बनती है। माननीय अन्न-मंत्री ने आँकड़े दिये हैं जिनको २८-२८, ३०-३० रुपये तनख्वाह पाने वाले पटवारियों ने बना कर भेज दिया है। मैं समझता हूं कि उनके आधार पर हुकूमत चलाना सम्भव नहीं है। आप सारी योजना बनाइये जिसके आधार पर कम से कम जो जिन्दगी के लिए जरूरी सामान हैं, भोजन, वस्त्र और मकान इसका बन्दोबस्त हो जाना चाहिए। अगर यह बन्दोबस्त न हुआ तो अपना बन्दोबस्त सोसाइटी (समाज) खुद कर लेती है। चीन का बार-बार नाम लेना मैं ज्यादा मुनासिब नहीं समझता।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता की सरकार जो जनता से चुनकर आती है, वह सरकार अपनी जनता के ऊपर ऐसा कोई भी प्रतिबन्ध लगाना पसन्द नहीं करती जो कि नितान्त आवश्यक नहीं होता है। प्रतिबन्ध उसी समय लगता है जब कि वह जनहित में आवश्यक होता है और इसीलिए हमारी सरकार ने जो प्रबन्ध, जो कंट्रोल लगाया था उसकी नीति को अपनाया था, वह केवल जनहित की दृष्टि से लगाया था। हमने देखा था कि लड़ाई के बाद हमारी तमाम आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो चुकी थी। हमने देखा था कि हमारे यहाँ अन्न की पैदावार कम थी, यातायात के साधन कम थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना सम्भव नहीं था। दूसरे मुद्रा-स्फीति होने के कारण चीजों की माँग में बढ़ती हो रही थी। ऐसी हालत में प्रतिबन्ध लगाना और दूसरी ओर पैदावार को बढ़ाना यह नीति जो सरकार ने बनायी वह प्रशंसनीय है। सबने देखा कि बजट की आमदनी का एक बहुत बड़ा भाग इन कंट्रोलों पर खर्च किया गया। हमने सरकार की कड़ी कड़ी आलोचनाएं सुनीं। मंत्री महोदय की व्यक्तिगत रूप से भी आलोचना की गयी।

मैं अपनी सरकार को, अपने मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बावजूद इतनी मुखालिफत के कंट्रोल की नीति को अपनाये रखा और वह केवल जनहित में किया था। ज्यों ज्यों जरूरत पड़ी, ज्यों-ज्यों परिस्थितियाँ बदलीं, वे कंट्रोल्स (नियंत्रण) ढीले किये गये।

[श्री केशव गुप्त]

आपने देखा कि लोहे के ऊपर कंट्रोल नहीं के बराबर है, कपड़े पर कोई कंट्रोल नहीं है, चीनी पर कोई कंट्रोल नहीं है। केवल दो-तीन चीजों पर रह गया है और आपने देखा कि ३० जून को हमारे सूबे के अन्दर जो कि गेहूं का कंट्रोल था वह भी ढीला हो गया और जोकि राशन के टाउन हैं, वहाँ राशंस भी ले सकते हैं और बाजार में से भी ले सकते हैं। इस तरह से राशन ढीला होता गया। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाजवादी भाई जो बैठे हुए हैं वह कंट्रोल की किस तरह से अवहेलना करते हैं। क्या रूस में स्टैलिन को जब जरूरत पड़ी तो उसने कंट्रोल नहीं किया? क्या उसने उस देश के किसानों से प्रोक्योरमेंट (खाद्यान्न वसूली) नहीं किया था जबकि वहाँ के किसानों ने उसकी नीति से प्रसन्न न होते हुए अपने ढोरों को और अपने उत्पत्ति के साधनों को खत्म कर दिया था और वह अपनी नीति में सफल हुआ था। आज हम चीन की तारीफ करते हैं। मैं मानता हूं कि चीन सफल हुआ। चीन में खाने के साधन उपलब्ध हैं। लेकिन क्या उसने इसी तरह से सफलता प्राप्त की? क्या उसने कंट्रोल की नीति को नहीं अपनाया? उसने भी अपने यहाँ प्रतिबन्ध लगाया था। आज वहाँ की जनता खुश है और वहाँ की जनता को सामान उपलब्ध हैं। इसलिये मैं तो अपने मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस नीति को अपनाया और उस पर कायम रहे। यह जनहित में आवश्यक था।

आज हमारे मंत्री ने इस बात को माना कि हमने ईंट का कंट्रोल जो खत्म किया था उसमें हमसे जल्दी हुई। मैंने तो उसी समय, जब ईंट का कंट्रोल हटा रहे थे, स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आप इस कंट्रोल के हटाने में जल्दी न करें। सम्भव है ईंट की कीमत बढ़ जाय, क्योंकि कोयले की परिस्थिति खराब हो चुकी है और हम पाकिस्तान को कोयला देने के लिये एक ऐग्रिमेंट (अनुबन्ध) कर चुके हैं। लेकिन आपने वही किया और उसका नतीजा तो यह होना ही था और आज यह हालत है कि ईंट ४०—४५ रुपये के भाव से बिक रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि वह नीति ठीक नहीं थी। इस समय जरूरत है कि हम उस नीति को पकड़ें और ऐसी सभी चीजों के बारे में वही नीति पकड़ें जिनके भाव बढ़ रहे हैं। उनके रोकने के लिये चाहे कंट्रोल ही क्यों न करना पड़े।

मैं एक बात देखता हूं कि जब कि ३० जून के बाद आपने अपनी अन्न की नीति को घोषित किया है, उस समय से पश्चिमी जिलों के अन्दर गेहूं का भाव बढ़ना शुरू हो गया है। जहाँ पहले १४ रुपये का भाव था वहाँ १६ रुपये १० आने और २० रुपये का भाव वहाँ पर अन्न का बन चुका है। उसका कारण यही है कि वहाँ पर लोग जखीरा बना रहे हैं। कृष्णा फ्लावर मिल्स और मुरादाबाद की जो मैदा बनाने वाली मिल्स हैं जोकि एक रुपया सेर के भाव से मैदा बेचती हैं उनको तो किसी भाव से गेहूं खरीदने से भी लाभ होता है। वह जखीरा बना रही हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी मशीनरी को मजबूत करें और शुरू से ही इन चीजों में ढिलाई न करें। सख्ती से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जोकि इस तरह से हमारे हर कदम में रोड़े अटकाते हैं और हमारे हर कार्य को असफल बनाने की चेष्टा करते हैं। एक ओर तो व्यापारी लोग चाहते हैं कि कंट्रोल हट जाय और कहते हैं कि हम गवर्नमेंट का इसमें साथ देंगे और दूसरी ओर ऐसे काम करते हैं जो जनहित में नहीं हैं और जिनसे गवर्नमेंट को दिक्कतें पड़ती हैं। इसलिये दोनों बातें नहीं चल सकतीं। अगर कोई भी देश के अन्दर जनहित के विरुद्ध कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना नितान्त आवश्यक है।

इसीलिये मुझे अर्ज करना है कि जहाँ तक आपके महकमे का ताल्लुक है, कुछ लोगों का कहना है और आपने भी कहा है कि उसमें भ्रष्टाचार है। मैं भी मानता हूं कि वह भ्रष्टाचार है, लेकिन उसको रोकना बड़ा कठिन है। चाहे हमारे समाजवादी भाई भी यहाँ आकर बैठ जायं, वह भी इस भ्रष्टाचार को नहीं खत्म कर सकते। क्या आप अपने कर्मचारियों से यह आशा रखते हैं कि वह देवता स्वरूप होकर बैठ जायंगे, जबकि उनकी बेसिक नीड्स (आधारभूत आवश्यकताएं) के अनुसार तनख्वाहें आप फिक्स (निर्धारित) नहीं कर सकते? वह आज भी अस्थायी हैं और उनका सोशल (सामाजिक)

और एकोनामिक (आर्थिक) वातावरण ऐसा है जिससे यह खराबियाँ पैदा हो रही हैं। लेकिन तब भी मंत्री जी ने दृढ़ता से और पत्थर बनकर काम किया और हज़ारों को दंड दिया। मैं कहता हूं कि क्या आप इस ओर नहीं देख रहे हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि यह भ्रष्टाचार की बात अधिक कहना ठीक नहीं है। जिस तरह का हमारा स्तर है उसी तरह का उनका भी स्तर है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हम देवता न बनें और सरकारी नौकर जो काम करने वाले हैं वे देवता बन जायं। अगर हम देवता बनेंगे तो वे भी देवता बन जायंगे। जैसा सब लोगों का मास कैरेक्टर (लोक चरित्र) है वैसा ही उनका कैरेक्टर (चरित्र) है। यह बात बार बार दोहराई जाती है और मैं इसे अनुचित समझता हूं। मैं इसे देश के लिये हितकर नहीं समझता।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। सीमेंट और कोयले की बहुत कमी है। सीमेंट आपको अधिक मिल गया है लेकिन कुछ जिलों में विशेषकर मुज़फ़्फ़रनगर और मेरठ में सीमेंट के अन्दर बहुत ब्लैक-मार्केट (चोर बाजारी) होता है। वहाँ ५ रुपये का बोरा १४-१५ रुपये में मिलता है। इसका कारण यह है कि वहाँ कोटा बहुत कम है और माँग ज्यादा है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कोटा ज्यादा है लेकिन माँग कम है। इसी प्रकार ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में माँग कम है लेकिन कोटा ज्यादा है। मुज़फ़्फ़रनगर और मेरठ में लोगों के पास पैसा है। इसलिये वहाँ पर लोगों की माँग बहुत है और कोटा कम है। मैं समझता हूं कि वहाँ सीमेंट का कोटा बढ़ना चाहिये। हम देहरादून या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स से सीमेंट नहीं ला सकते हैं क्योंकि उसके लाने पर प्रतिबन्ध है। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और सीमेंट और कोयले में जो ब्लैकमार्केट हो रहा है उसको रोकने का प्रयत्न करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (ज़िला गोरखपुर)--मान्यवर, मैंने अभी विरोधी पक्ष के माननीय श्री गेंदा सिंह का भाषण सुना, उसमें उन्होंने एक बात पर ख़ासतौर से ध्यान दिलाया है कि पूंजीवादी व्यवस्था होने के कारण हमारे प्रदेश में शहरों का जीवन आकर्षक हो गया है और देहाती जीवन बहुत गिर गया है। इस विषय में मैं एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। अमरीका की इंस्टीट्यूट आफ पैसिफिक रिलेशंस एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसका यह कार्य है कि प्रत्येक एशियाई देश के राज्यों की प्रगति की समीक्षा करती रहे। उस संस्था ने भारतवर्ष के विषय में जो समीक्षा की है उसमें उसने यहाँ की समाजवादी पार्टी की जितनी प्रशंसा की है उतनी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने नहीं की होगी। इसलिये उसकी तटस्थता में संदेह नहीं किया जा सकता। उसने आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बतलाई गई है।

सन् १९३९ से १९५१ ई० के बीच में आस्ट्रेलिया की आबादी १५ लाख बढ़ गयी यानी ८५ लाख हो गयी लेकिन आस्ट्रेलिया की समाजवादी सरकार ने अपने यहाँ शहरों में इतने अधिक उद्योग-धन्धे खोले और इतना अधिक व्यवसाय पनपाया कि आस्ट्रेलिया के किसानों की ७० हज़ार जन संख्या देहातों से आकर शहरों में बस गयी। इससे वहाँ खाद्य का प्रोडक्शन (उत्पादन) इतना कम हो गया कि सन् १९५२--५३ के वर्ष में जो इसी जून में समाप्त हुआ है, ६० लाख पौंड़ का डेफिसिट (कमी) हो गया है। अन्त में इस दशा के समीक्षाकार रौश इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वहाँ समाजवादी दल के पास कोई ऐग्रेरियन पालिसी नहीं है और न वह कोई ऐसी पालिसी बना सकी है जिससे देहातों और शहरों के रहने वालों में सामञ्जस्य हो सके। दूसरी बात यह है और जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आस्ट्रेलियन समाजवादी व्यवस्था में बेसिक वेजेज (आधारभूत मजूरी) का मिनिमम (निम्नतम) स्तर बना दिया जाता है और यही व्यवस्था वहाँ भी की गयी जिसके कारण हर तीसरे महीने प्राइसेज [मूल्यों]

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

का रिवीज़न (पुनरीक्षण) होता रहता है और इसका प्रभाव वहाँ के किसान पर इतना बुरा पड़ा कि आज वहाँ एक मूवमेंट (आन्दोलन) चला है जिसको एक वाक्य में यह कहा जाता है।

"Make city life more uncomfortable to push back people to the villages."

[नागरिक जीवन को अधिक कष्टप्रद बना दो जिससे लोग गांवों को वापस जाने को बाध्य हों।]

आज तक मैंने ऐसी कोई भी समाजवादी सरकार नहीं देखी जो शहर तथा देहात के जीवन में सामंजस्य पैदा कर सकी हो। माननीय गेंदा सिंह ने तो माननीय खाद्य मंत्री से पूछा कि उन्होंने समाजवाद का अध्ययन किया होगा। वह तो मुझसे बहुत अधिक पढ़े-लिखे हैं मैं तो कुछ नहीं जानता। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, मैं जानता नहीं कोई ऐसी समाजवादी शासन व्यवस्था हो सकती है जिसमें कोई अनकंट्रोल्ड एकोनामी (अनियंत्रित आर्थिक व्यवस्था) हो। बिना कंट्रोल के समाजवाद पनप नहीं सकता और बड़ी बड़ी समाजवादी सरकारें चुनाव में हार गयीं केवल इस कारण कि उन्होंने अपने कंट्रोल की एकोनामी को छोड़ना अस्वीकार कर दिया। इसलिये कंट्रोल और समाजवाद का बहुत ज़बर्दस्त गठबंधन है। मुमकिन है कि भारतवर्ष की समाजवादी पार्टी के विषय में यह चीज न लागू हो परन्तु विश्व के समाजवाद में यह गठबंधन काम कर रहा है। स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश में और देहात के सम्बन्ध के विषय में कोई विषमता उत्पन्न नहीं की गयी है बल्कि जब समाजवादीकरण होगा तभी विषमता अधिक से अधिक उत्पन्न होती जायगी। मैं केवल यही निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे भी मौका मिल गया कि मैं भी अपने विचारों को प्रकट करूं। मैं पूर्वी ज़िले का रहने वाला हूं और मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बड़ा स्वार्थी हूं। स्वार्थी इसलिये हूं कि उस ज़िले के लोग घास की रोटी खा रहे हैं। मेरे पास चिट्ठी आयी है जिसमें लिखा हुआ है कि एक स्त्री ने अपने दो बच्चों को भूख के मारे कुंयें में डाल दिया। आज वहाँ चारे की समस्या बड़ी टेढ़ी हो गयी है। जो पशु बहुत मज़बूत रहा करते थे वे आज दुबले-पतले हो गये हैं। इतना ही नहीं, वहाँ आज मज़दूरों को मज़दूरी इसलिये नहीं मिल रही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, अन्न नहीं है। मज़दूर बेकार हो रहे हैं। हमारे यहाँ टेस्ट वर्क्स खोल कर जो सरकार की तरफ से वहाँ कृपा की गयी थी उससे हमें बड़ी मदद मिली। लेकिन आज वे टेस्ट वर्क्स भी बन्द हैं। बरसात में बाँध बाँधे जा सकते हैं। इस तरह से वहाँ टेस्ट वर्क्स फिर चालू होने चाहियें जिस तरह से देवरिया में अभी सरकार ने कृपा करके वर्क्स चालू करने की आज्ञा दी है।

हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि यह कंट्रोल जो सरकार ने लगाया है यह गलत लगाया है, ठीक नहीं है और भी बहुत से लोगों ने कंट्रोल का विरोध किय है। लेकिन मैं तो एक गाँव का रहने वाला हूं, गांवों में हमारे यहां तो पहले से कंट्रोल चला आता है कि जब चैत में हमारे घर अन्न पैदा होता है तो हमारे घर की देवियां दोनों समय बनाकर बच्चों को खिलाती हैं, खुद खाती हैं और कुछ पशुओं को भी दे देती हैं। लेकिन जब भादों के दिन आते हैं तब हमारे घिसाबन चौधरी कहते हैं कि अब तो एक जून घुघरी खाओ और एक जून रोटी खाओ क्योंकि अनाज घट गया। तो कंट्रोल बुरी चीज़ नहीं है। वह बुरी चीज़ तब होती है जब हम में, आप में बेईमानी आ जाती है। कंट्रोल हमारे यहाँ बराबर पुश्त दर पुश्त से चला आता है। हाँ, उनके यहाँ कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है जिनके गोदाम भरे हैं। कंट्रोल तो तब होता है जब कमी हो जाती है। इस समय हमारे यहाँ अन्न की कमी है इसलिये कंट्रोल लगाया गया।

यह सही है कि कंट्रोल के नाते बहुत सी गड़बड़ी हो गयी और जो हमारा व्यापारी वर्ग है, हालाँकि हमारे माननीय मंत्री महोदय बड़े सतर्क हैं, फिर भी वह गड़बड़ी कर देता है। गड़बड़

करने के लिये वे ऐसा करते हैं कि लोहे का चद्दर लिया, उसे मोड़ करके दो कुन्डे लगा दिये और कंट्रोल से अलग हो गये। सूत को लिया और काट कर गोले बना दिये, बस कन्ट्रोल से अलग हो गया। लोहे के छड़ लिये दोनों सिरे मोड़ कर कन्ट्रोल से अलग कर लिया। इसी प्रकार बराबर गड़बड़ी किया करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये जो कंट्रोल से गड़बड़ी हो रही है। कंट्रोल जो ढीला किया गया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं। साथ ही साथ मैं स्वार्थी हूं इसलिये मैं अपने जिले की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सावन और भादों मास में जब कि सुग्गा भी उपवास करता है। वहाँ हमारे लिये फिर से टेस्ट वर्क्स दो महीने के लिये और सरकार चलाये। इससे हम सरकार का भी काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और अपने जिले का नाम भी ऊंचा कर सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)--अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय खाद्य मन्त्री जी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले माननीय खाद्य मन्त्री महोदय ने जो अन्न पर डिकन्ट्रोल (विनियन्त्रण) की घोषणा की है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं अन्न की समस्या पर डिकन्ट्रोल की नीति का बहुत पुराना समर्थक हूं और इस समय भी जो डिकन्ट्रोल की घोषणा की गई है। मैं उसका स्वागत करता हूं मैं समझता हूं कि देश के सामने ऐसी परिस्थिति रही है जिसकी वजह से हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार कन्ट्रोल करने के लिये विवश हो गई। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह सोचना चाहिए कि कन्ट्रोल के द्वारा हम देश में कितने अधिक सहायक हो सके हैं और कितने अधिक हम देश का स्तर गिराने में सहायक ही बनें हैं। इसकी तौल करना आवश्यक है।

मैं देखता हूं कि कन्ट्रोल के द्वारा एक एक जिले से दूसरे जिले को चीज भेजने में और ले जाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार का मुकाबला करना पड़ा है। अगर यह सोचा जाय तो इसके द्वारा हमें देश का स्तर गिराने में ही ज्यादा मदद मिली है। यह कहना कि कन्ट्रोल से जो राशन मिल रहा है उसी पर लोग बसर कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। किसी न किसी तरह से लोगों ने गल्ला लाने की चेष्टा की है और उन्होंने अपना जीवन तथा अपने बच्चों के जीवन को बिताया है। इसलिये उनको एक प्रकार से नियन्त्रण रखने से उनको भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करना था। इसलिये डिकन्ट्रोल की नीति एक सराहनीय नीति है।

आज हमको यह भय नहीं होना चाहिए कि कमी की ही समस्या हमारे सामने आ जायगी। मैं समझता हूं कि अगर यातायात की सुविधा बनी रही तो कमी नहीं हो सकती क्योंकि हमेशा व्यापार प्रतियोगता पर चला करता है, एक दूसरे के मुकाबले पर चला करता है और एक जगह से दूसरी जगह गल्ला भेजने में सुविधा हो तो वह फायदा उठा सकता है? इसलिये अगर सबको यह सुविधा हो सकती है तो ऐसी आपत्ति उकभी नहीं आ सकती है। मैं कहता हूं कि श्री राजगोपालाचारी जी ने जो कदम अपने यहाँ उठाया है इस दिशा में उनका मार्ग सबसे बिकसित रहा है। उन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ डिकन्ट्रोल की घोषणा की है और आज भी उनका प्रदेश डिकन्ट्रोल की नीति पर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि यह उचित काम किया गया है।

जहाँ तक नमक की समस्या का संबन्ध है, नमक की कमी हो गई है। लेकिन मैं देखता हूं कि व्यापारी बराबर आते हैं और कहते हैं कि यह रुकावट हटा दी जाय तो नमक की परेशानी न होगी। सी साल्ट (समुद्री नमक) आ जाय या दूसरा नमक आ जाय। यह जरूर है कि सेंधा नमक की परेशानी है। बहुत से खानदान ऐसे हैं, मैं स्वयं ऐसा हूं, जिन्होंने कभी दूसरा नमक नहीं खाया, लेकिन आज सेंधा नमक का एकादशी के दिन भी किसी कीमत पर मिलना दुस्तर हो गया है। अगर इस सम्बन्ध में हमारी सरकार कुछ भी कोशिश सेंधा नमक

[श्री भगवान दीन मिश्र]

पाकिस्तान से मंगाने में कर सके तो उससे प्रदेश को बड़ा लाभ होगा, जबकि केन्द्रीय सरकार ने बहुत से मामलों में झुककर पाकिस्तान से व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखने की नीति अपनाई है। नमक पर कन्ट्रोल रखना ज्यादा अच्छा मालूम नहीं होता।

जहाँ तक कपड़े का सम्बन्ध है उसके कन्ट्रोल में काफी ढिलाई कर दी गई है। उससे बाजार में यह पोजीशन (स्थिति) हो गई है कि कपड़े के व्यापारी ग्राहकों को बुलाकर कपड़ा देना चाहते हैं। कन्ट्रोल के समय में हम लोग परेशान होते थे और क्यू (पंक्ति) बना कर खड़े होते थे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि शनैः शनैः कपड़े पर से कन्ट्रोल हटा देना चाहिए। धोती जोड़े की बात कही गई कि हमने ५० परसेंट धोतियाँ बनाने की आज्ञा दे दी थी लेकिन इस बात को नहीं देखा गया कि कौन सी धोतियाँ बनाई गई जनानी धोतियाँ मिल मालिकों ने अधिक से अधिक बनाई जिसके कारण मरदानी धोतियों में बड़ी कमी हो गई। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि कपड़े का कन्ट्रोल अब भी है, हालाँकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। अतएव अच्छा हो अगर मरदानी धोतियों के बनाने की संख्या निर्धारित कर दी जाय ताकि उसकी कमी न रह जाय।

जहाँ तक भ्रष्टाचार रोकने की बात है हम शान्तिमय तरीके से चलना चाहते हैं और वह तरीका नहीं अख्तियार कर सकते जो चीन और रूस का है। लेकिन मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के रोकने में जो कानूनी वितन्डा चलता है, नौ नौ महीने इन्क्वायरी (परिप्रश्न) चलती है इससे भ्रष्टाचार दूर करने में अड़चन पड़ती है। इसको रोकने के लिये समरी ट्रायल्स (संक्षिप्त मुकदमें) की अदालतें हर जिले में कायम कर दी जायं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिये समरी ट्रायल से अच्छा तरीका और नहीं हो सकता है। उसमें आप एक पब्लिक (जनता) का आदमी ले लें, एक एक्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) का ले लें, और एक सिविल विभाग का ले लें और वह अदालत फिर समरी ट्रायल्स करे। मैं समझता हूं कि इससे भ्रष्टाचार जरूर रुक सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस भवन में खाद्य मन्त्री जी से करप्शन (भ्रष्टाचार) के बारे में कुछ सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। डेमोक्रेसी की बड़ी दुहाई इस भवन में दी गई। डेमोक्रेसी की बात जब कही जाती है तब चीन और रूस की मिसाल पेश कर दी जाती है और कहा जाता है कि वहाँ पर टोटेलिटेरियनिज्म (एकतन्त्र) का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है करप्शन [भ्रष्टाचार] को दूर करने के लिये। मैं पूछता हूं कि कौन सा रास्ता ऐसा है जिससे आप इस देश की करप्शन दूर करेंगे। हमारे प्रदेश में करप्शन इतना ज्यादा है कि उसको मिटाने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जब हम शिकायत करते हैं तो कहा जाता है कि हाँ साहब इंक्वायरी (परिप्रश्न) होगी। इंक्वयारी होती है, लेकिन आफिसर उसी जगह रहता है। उसको सारी सहूलियतें दी जाती हैं और नतीजा यह होता है कि उसके खिलाफ शहादत नहीं मिलती। आपही बतायें कैसे हम करप्ट आफिसर (भ्रष्ट अधिकारी) को सजा दिलायें। छोटे-छोटे पुलिस के सिपाही, चपरासी या क्लर्क जो एक-एक या-दो दो रुपये ले लेते होंगे उनके खिलाफ तो शहादत मिल जायेगी क्योंकि उनके पास कोई एक्जीक्यूटिव (कार्यपालिका सम्बन्धी) अधिकार नहीं होते लेकिन जो बड़े बड़े आफिसर्स होते हैं और रिश्वत लेते हैं और जिनको अधिकार होते हैं उनके खिलाफ शहादत मिलना मुश्किल हो जाता है। डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) की बात करके आप क्या इस करप्शन को हमेशा के लिये इस प्रदेश में रखना चाहते हैं। तरीका आपको जरूर निकालना पड़ेगा। हम यह तो नहीं कहते कि चीन का रास्ता पकड़ा जायेगा, लेकिन कोई रास्ता करूर पकड़ा जायगा।

यहाँ पर कुछ भाइयों ने हम लोगों के खिलाफ यह चार्ज (अभियोग) लगाया कि देहात और शहर के झगड़े का सवाल पैदा करते हैं और हमारे मित्र

परिपूर्णानन्द जी ने तो आस्ट्रेलिया और अमेरिका तक की बात कह डाली। आप वहाँ की बात छोड़िये। देवरिया में आप जाइए और पहाड़ी इलाकों में जाइए और देखिए कि वहाँ की क्या हालत है। आप अमेरिका की बात करते हैं। वहाँ की हालत से यहाँ कोई लाभ होने वाला नहीं है और न कोई सलाह सोशलिस्ट पार्टी आप से लेना चाहती है। हम मना नहीं करते हैं, कन्ट्रोल रहे और इसको हम मानते हैं कि कन्ट्रोल रहे। गाँधी जी की बड़ी दुहाई दी जाती है और बहुत से दोस्त कहते हैं कि साहब सोशलिस्ट ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं। प्रोक्योरमेंट नहीं करने देते हैं और शहर वालों को खाने को नहीं देना चाहते हैं। मैं गाँधी जी का एक आर्टिकिल (लेख) है उसमें से कुछ पढ़ना चाहता हूं कि वह क्या कहते थे :—

"Let no one try to justify the glaring differences between the classes and the masses, the prince and the pauper, by saying that the former needs more. That will be idle sophistry and a travesty of my argument. The contrast between the rich and the poor today is a painful sight. The poor villagers are exploited by the foreign government and also by their own countrymen, the city-dwellers. They produce the food and go hungry. They produce milk and their children have to go without it. It is disgraceful"

[कोई भी व्यक्ति वर्गों और जनता, राजों तथा निर्धनों के मध्य स्पष्ट अन्तर को यह कह कर न्यायसंगत ठहराने का प्रयत्न न करे कि पूर्वोक्त की आवश्यकतायें अधिक हैं। यह मेरे तर्कों का गलत सिद्धांताभास तथा व्यति क्रम होगा। धनी और निर्धन का अन्तर एक दुःखदायी दृश्य है। निर्धन ग्रामवासी विदेशी सरकार द्वारा तथा अपने ही देशवासी नगर निवासियों द्वारा शोषित किये जाते हैं। वे अन्न उत्पादन करते हैं और भूखे रहते हैं। वे दूध उत्पन्न करते हैं और उनके बच्चों को बिना दूध के रहना पड़ता है। यह लज्जाजनक है।]

यह महात्मा जी ने कहा था जिसकी दुहाई दी जाती है। आज जहाँ तक इस तरह के कन्ट्रोल का सवाल है उसके लिये हमने बजट के बहस के समय भी कहा था और आज भी कहते हैं कि यह ठीक है। जनता चाहती थी कि कन्ट्रोल उसके सिर पर से हटे क्योंकि इससे बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ था। लोगों ने खूब रुपया कमाया और खूब ब्लैक मार्केट चला। वह हटा तो लोगों ने इसका स्वागत किया और हमने भी इसका स्वागत किया। अगर पिछले जमाने में यह कुछ अच्छा चलता तो हमने भी यही कहा होता कि साहब यह अच्छा चला और अच्छा काम हुआ, लेकिन हालत बहुत खराब हो चुकी थी। भुखमरी बढ़ती जा रही है और उनका भी इन्तजाम माननीय मन्त्री जी को करना पड़ेगा। जैसा कि उन्होंने स्वयं भी कहा है कि उनको जीवन में पैदा होने से मरने तक का इन्तजाम करना पड़ता है। भला जब भूख की बीमारी है तो उसका भी तो इलाज करना है और उस बीमारी को दूर करना है। आपने कहा है कि जहाँ पर संकट आया है वहाँ पर हमने टेस्ट वर्क शुरू कर दिये हैं तो उस पहाड़ी इलाके में भी अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पर ओले गिरे और गेहूं का दाना भी पैदा नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई टेस्ट वर्क शुरू नहीं किया गया। कागजों में वह तो जरूर चलता रहा। वहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर सरकार से कोई बात कही जाय तो वह उसको सुनने के लिये तैयार नहीं है। जब वहाँ के लोग मर जायेंगे तो टेस्ट वर्क शुरू किया जायगा और क्या परिपूर्णानन्द जी वहां पर काम करने जायेंगे।

जहाँ तक सीमेंट और लोहे का सवाल है, इसका जिस तरह से वितरण हुआ वह तो एक अजीब बात है। उसका जिक्र करते हुए भी बड़ा दुख होता है। जो लोहे का काम करने वाले थे उनको लोहे का परमिट नहीं मिला। परमिट मिला उनको जो इस काम को जानते भी नहीं है और उन्होंने उसमें खूब पैदा किया और खूब ब्लैक मार्केटिंग किया गया।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अखबार में पढ़ा था कि एक डिप्टी आयरन और स्टील के अफसर थे उनके यहाँ चोरी हो गई। चोर १० हजार का सामान ले गये। कहाँ से यह रुपया आया और इसको इकट्ठा करके रईस हो गये। डैमोक्रेसी (लोकतन्त्र) की दुहाई दी जाती है और माननीय मन्त्री जी इस बात को मानते हैं कि करप्शन (भ्रष्टाचार) हट गया है और अब उनके विभाग में नहीं है। यह करप्शन हटने वाला नहीं है। इस सिलसिले में मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि समय कम है, बहुत से मित्र बोलने वाले हैं और यह कह कर अपनी स्पीच खत्म करता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री अब कदम उठायें और आपही इसका श्रेय लें। यह जो करप्शन है इसको हमारे प्रान्त से आप हमेशा के लिये मिटा दें, चाहे इसके लिये आपको मुसीबत उठानी पड़े, चाहे इसके लिये किसी का भी सहयोग लेना पड़े, मगर करप्शन यहाँ से हट जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि हमको इस करप्शन पर अगले साल कुछ कहना नहीं पड़ेगा।

श्री राम शंकर रविवासी (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अन्न मन्त्री जी को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने जो कन्ट्रोल की व्यवस्था कायम की थी वह बहुत ही सुन्दर व्यवस्था थी और हमारे अन्न मन्त्री ने इस प्रदेश में जो वितरण व्यवस्था कायम की वह बहुत ही सराहनीय थी। उसका यह परिणाम है कि हमारे सूबे में जो आम चुनाव में सफलता मिली है वह इस वितरण व्यवस्था के कारण ही मिली है वर्ना मैं समझता हूं कि हमारे खिलाफ पार्टी के लोग जो एक तरह का प्रोपेगेन्डा (प्रचार) करते हैं कि इस सूबे में कन्ट्रोल के कारण बड़ी तकलीफ है। लेकिन गरीब किसान और गरीब मजदूर समझता था कि आज तक यहाँ कोई ऐसी सरकार नहीं आई कि जिसने समानता का व्यवहार सबके साथ बरता हो। यही ऐसी सरकार हमारे प्रदेश में कायम हुई है कि जिसने गरीब और अमीर जनता को एक तरह से माना और ऐसी कन्ट्रोल व्यवस्था कायम की कि जिससे सबको बराबर अनाज, कपड़ा, शकर वगैरह मिलती है। यह आपके यहाँ बहुत बड़ा काम हुआ है, वर्ना हम जानते हैं कि पहले जो हमारे गाँव के गरीब मजदूर होते थे वे बड़े-बड़े लोगों के यहाँ काम पर लगाये जाते थे और गेहूं का दाना भी उनको देखने को नहीं मिलता था और उनको सड़ा-फुड़ा जौ, सड़ी हुई ज्वार और सड़ा हुआ चना-बाजरा खाने को मजदूरी के रूप में दिया जाता था। लेकिन जब से यह कन्ट्रोल व्यवस्था कायम हुई है तब से उन्होंने अनाज देना बन्द कर दिया है और अब वह उसकी एवज में पैसा देने लगे हैं। इसलिये मैं अपने अन्न मन्त्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। उस गरीब जनता की ओर से और मजदूरों की ओर से कि जिनको समानता का अधिकार देकर और समान रूप से वितरण करके उनको जीवित रखा है।

गाँवों में, मजदूरों में आज भी सुनाई देता है कि ऐसी सरकार हमारे बीच में आज तक नहीं आई और न आवेगी। जबकि उनको दूसरे बरगलाते हैं तब भी वह इसी तरह की बातें करते हैं और उनके बरगलाने की बात गलत साबित होती है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय अन्न मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही एक सुझाव भी देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे जो बुजुर्ग पचास-पचपन साल के हैं और जिनको कृषि और संसार का ज्ञान है और ज्योतिषी भी हैं उनके लिये यह होना चाहिए कि सरकार उनको कुछ धन देने की व्यवस्था करे, ताकि वह लोग दौरा करें और किसानों को बतलावें की किस समय किस ढंग से जुताई-बुवाई और कटाई आदि करना चाहिए और इसके एवज में सरकार उनको कुछ पुरस्कार देने की व्यवस्था करे। अन्त में मैं एक बार फिर अन्न मन्त्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री फतेह सिंह राणा (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक कन्ट्रोल और डिकन्ट्रोल का सम्बन्ध है मैं उसके ब्यौरे में न जाकर केवल जो कन्ट्रोल के सम्बन्ध में कायदे हैं उन्हीं के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे कन्ट्रोल के नियमों में यह त्रेष्टा नहीं की जाती

कि कंट्रोल की वस्तु कन्ज्यूमर्स (उपभोक्ता) तक ठीक ढंग से पहुंचाई जाय। किया यह जाता है कि जो कोई चीज बनाता है उसे कन्ट्रोल के मातहत परमिट दे दिया जाता है परन्तु जो चीज वह बनाता है उस पर कन्ट्रोल हटा दिया जाता है, जैसे भट्ठा। भट्ठे वालों को कोयला कन्ट्रोल से देते हैं तो आपको ईंटें भी कन्ट्रोल से बिकवानी चाहिए। आप ईंटों पर से कन्ट्रोल हटाकर पूंजीपति के घर को भरने की चेष्टा करते हैं। इस तरह आप कन्ज्यूमर की परवाह नहीं करते। ऐसे ही लोहे वगैरह के बारे में है। इसकी कोई परवाह नहीं की जाती की लोहा ठीक दाम पर किसानों को मिले। इसके मैन्युफैक्चरर (प्रनिर्माता) खास तौर से शहरों में ही हैं, वह भी कानपुर में। मैंने कई बार सरकार को इसके बारे में लिखा भी, मगर कोई उत्तर तक नहीं मिला और कोई परवाह अभी तक नहीं की गई। कुछ समय हुआ हमारी केन्द्र की सरकार की ओर से प्रदेश का आधा कोटा किसानों के लिये निर्धारित किया गया था। मगर इसके खिलाफ यह किया गया कि कुछ औजारों के लिये चीफ ऐग्री-कल्चरल इंजीनियर की सिफारिश से वह मिलता था लेकिन छोटे-छोटे औजारों के लिये किसान बाजारों में मारा-मारा फिरता था और चोर बाजार में जाकर उसे खरीदना पड़ता था। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ऐसा कन्ट्रोल हमारे हित में नहीं है। यदि हमारे सूबे की सरकार इन छोटे कन्ट्रोलों को रखने के लिये मजबूर है, तो उसे केन्द्रीय सरकार को लिखना चाहिए कि वह ऐसे कन्ट्रोल को न रखे जिनसे जनता का हित नहीं होता।

देखने में आता है कि हमारे संविधान के आर्टीकिल १९ के मातहत कुछ पाबन्दी सूबे की सरकार लगाती है और वह पाबन्दी जनता के हित में न होकर कुछ व्यक्तियों के हित में इस्तेमाल की जाती है। कोई नया आदमी किसी व्यापार में नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि यह पाबन्दी सिद्धांत के विरुद है। अगर कोई पाबन्दी लानी थी तो ऐसे लोगों पर लानी चाहिए थी जो पहले से उस ट्रेड (व्यवसाय) में थे और जिनकी माननीय मन्त्री ने खुद एक लम्बी-चौड़ी सूची पढ़कर सुनाई कि इतने आदमी पकड़े गये और उन पर मुकदमे चले। मगर फिर हुआ क्या ? हुआ यह कि इन्हीं लोगों को जो पकड़े जाते हैं, चूंकि ये व्यापार में हैं, इसलिये लाइसेंस इन्हीं को दिये जाते हैं। यहाँ तक हुआ कि जो सहकारी समितियाँ हैं उन्होंने अगर कोटा लेने की चेष्टा की तो लिखित रूप से कन्ट्रोलर साहब बहादुर की यह इत्तला पहुंचती है कि चूंकि सहकारी समिति पहले से व्यापार में नहीं है इसलिये उसे कोटा नहीं दिया जा सकता है। चाहे उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत आंसू पोंछने के लिये दे दिया हो परन्तु सैद्धांतिक रूप से इसे नहीं माना कि सहकारी समिति को बेसिक सालों में ट्रेड में न होते हुए भी कुछ कोटा दे दिया जाय। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उन्हें लाइसेंस न दिये जायं और सहकारी समितियों को दिये जाय।

कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिनके लिये हमारी सरकार यह कहती है कि एजेंट बनाने के अधिकार उन्हें खुद को है, जैसे सीमेंट और किरोसिन। जैसे सीमेंट के हैं, किरोसिन आयल के हैं। मैं अर्ज करूंगा कि अगर कोई वैधानिक आपत्ति हो तो इस सरकार को खुद या केन्द्रीय सरकार को अपना ऐसा विधान, ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिनके द्वारा जो कंसर्न (व्यापारिक संस्था) हैं उनको यह अधिकार न हो कि वे आमतौर से खुद एजेन्ट मुकर्रर करें, बल्कि यह अधिकार केन्द्र की या प्रदेश की सरकार को हो। क्योंकि जो बड़े-बड़े कंसर्न हैं उन्हीं के एजेन्टों द्वारा अधिकांश भ्रष्टाचार किया जाता है और उससे सरकार भी बदनाम होती है और जनता को भी लाभ नहीं होता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि वह ऐसे नियम बनावे जिससे फैक्ट्री वगैरह जो कंसर्न हैं वे खुद एजेन्ट न बना सकें, बल्कि केन्द्रीय सरकार को या सूबे की सरकार को यह अधिकार हो कि वह ऐसे कंसर्न के एजेन्ट्स (अभिकर्त्ता) खुद नामिनेट (नाम निर्देशित) करें।

अध्यक्ष--माननीय अन्न मंत्री जी अगर आप अभी कुछ कहना चाहें तो उत्तर दे दें नहीं तो वे बाद में भी बोल लेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी मुझको कुछ नहीं कहना है; दूसरे अनुदान पर ही मुझे उत्तर देने का मौका आयेगा तो कहूंगा ।

अध्यक्ष--माननीय गेंदा सिंह जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल लें । कटमोशन का समय समाप्त हो रहा है ।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय,एक गलतफहमी हो रही है जिसको मैं सब से पहले साफ कर देना चाहता हूं । जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा जाहिर किया कि हम नियन्त्रण के विरोध में हैं । परन्तु ऐसी बात तो नहीं है । कोई समाजवादी नियन्त्रण का विरोध नहीं कर सकता लेकिन जो आज का नियन्त्रण है उस नियन्त्रण से अनियन्त्रण अच्छा । वह नियन्त्रण नहीं है, अगर उसका नाम अव्यवस्था कहा जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा और इसीलिये हम लोग आज उसकी जितनी भी शिकायत हो सकती है, करते हैं । हम समझते हैं कि अगर यह नियन्त्रण अधिक दिनों तक टिका रहेगा तो जितना हमारा पतन हुआ है उससे और अधिक पतन होगा ।

हमारे अन्न मंत्री जी ने एक लम्बी फेहरिस्त पेश की जिसमें कुछ हजार नाम थे ऐसे लोगों के जिनको भ्रष्टाचार के मामले में सजायें दी गयीं । जिस विभाग में इतने हजार लोग भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सजा पाते हों उस विभाग में न मालूम ऐसे और कितने लोग होंगे । अगर उस विभाग के कर्मचारियों की संख्या भी मंत्री जी बतलाते तो इससे उसका कुछ अन्दाजा होता । मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग का इससे सम्बन्ध नहीं होगा । वह तो सिर्फ राशनिंग विभाग ही है जिसकी चर्चा हम इस वक्त कर रहे हैं । अगर एक एक विभाग में इस तरह से हजारों की संख्या में भ्रष्टाचारी होंगे तो फिर उस विभाग का कहना ही क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि हजारों की संख्या मैंने नहीं बतलायी बल्कि सजा पाने वालों की संख्या २५१ और १८८ का ही जिक्र किया । हजारों की संख्या में वे लोग हैं जो कंट्रोल ला (नियंत्रण क़ानून) का उल्लंघन करते हैं जिनके ऊपर मुक़द्दमे चलते हैं और उसके उपरान्त उन्हें सजा होती है ।

श्री गेंदा सिंह--गनीमत है कि सिर्फ २५१ आदमी ही ऐसे निकले । माननीय अन्न मंत्री जी की एक बड़ी फौज है और अगर वह फौज ठीक से काम कर सकती तो उससे बड़ा भारी भलाई का काम हो सकता था । मैं समझता हूं कि जो डिकन्ट्रोल की पालिसी (विनियंत्रण की नीति) है, अगर वह पालिसी सफल हुई तो सारे मुल्क के लिये एक बहुत अच्छी चीज होगी । लेकिन हाफ हार्टेडली (अर्ध-रुचि से) होकर वह पालिसी कामयाब नहीं हो सकती और फिर जब कोई योजना उसके पीछे नहीं है तो मुश्किल होगा उसका कामयाब होना । कुछ बातों का जिक्र करना मैं भूल गया था लेकिन उन बातों का जिक्र इस समय नहीं करना चाहता । केवल एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज (नियोजन संस्था) ऐसा विभाग है जिससे कम से कम हमको तो बड़ी शिकायत है और एक रोज यहां चर्चा भी हुई थी कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की सिफारिश को बहुत से लोग नहीं सुनते । माननीय अन्न मन्त्री जिस समय हम लोगों से कुछ कहें एक्सचेंज की उपयोगिता पर भी प्रकाश डालें । क्योंकि काफ़ी छः, सात लाख रुपया खर्च होता है और अगर अनएम्प्लायमेंट (अनियोजन) इस क़दर बढ़ता है तो कुछ आदमियों को काम देने के लिये इतना लाख रुपया खर्च करने में हमें विशेष लाभ नहीं दिखता है ।

सीमेंट वगैरह की भी चर्चा हुई । मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमेंट या कुंए वगैरह बनवाने के जो सामान हैं उनका अगर ठीक से उपयोग हो, अगर ये चीजें ठीक से किसानों तक पहुंचाई जा सकें तो उससे उत्पादन के बढ़ाने में बड़ी मदद मिले । आस्टेरिटी प्राविजनिंग स्कीम (मिताहार योजना) जो आज चल रही है मैं माननीय गुप्त जी को याद दिलाता हूं कि वह जिस समय देवरिया में दौरे पर गये हुये थे उस समय पडरौना के बाजार में मैंने उनको दिखलाया था, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह और लोग भी थे कि जो उनको राशनिंग की बजड़ी

थी वह ओपेन मारकेट में बेची जा रही थी और यह कोई इस क़िस्म की बात नहीं है, यह भ्रष्टाचार तो ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है जो बहुत मुश्किल से पकड़ा जा सके। इसे बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है और इस भ्रष्टाचार को दूर करने की चेष्टा भी की जा सकती है। बारबार इस बात का ज़िक्र करना कि चीन में तो डिमोक्रेटिक (लोकतंत्रात्मक) हुकूमत नहीं है इसलिये वहां पर मुक़दमे बहुत जल्द फैसल होते हैं। तो मैं माननीय अन्न मन्त्री जी की ख़िदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि समरी ट्रायल तो उनके लिये हुआ था जिन लोगों ने सत्याग्रह किया था और सैकड़ों आदमियों को दो दो मिनट में फैसला हो गया और छः छः महीने और पांच पांच सौ रुपये की सज़ा हुई। उन्होंने जेलखाने बड़ी ख़ुशी से काटे। अगर समरी ट्रायल सत्याग्रहियों का हो सकता है तो घूस लेने वालों को समरी ट्रायल करने में क्या दिक्क़त पड़ सकती है। यह तो क़ानून की बात है, कोई डिक्टेटरशिप या अधिनायकवाद की बात नहीं है। अगर घूस लेने वालों का, भ्रष्टाचारियों का समरी ट्रायल किया जाय तो मैं समझता हूं कि उसमें किसी भी आदमी को शिकायत नहीं होगी बल्कि देश उसका स्वागत करेगा।

जिस समय पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था कि हम जो घूस लेने वाले या भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जायेंगे उनको फांसी दे देंगे, उस समय देश ने उसका स्वागत किया था। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात की दुहाई देना इस समय बेकार बात दिखलाई देती है। कुछ ऐसा खतरा हमको दिखलाई देता है और इसकी चेतावनी दे कर खत्म कर देता हूं। एक लम्बी फौज जो माननीय गप्ताजी के साथ खड़ी है वह फौज भी कुछ दिनों के बाद ही एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के पास दौड़ने वाली है। अगर उन्होंने एम्प्लायमेंट एक्सचेंज इसीलिये रखा है तब तो कुछ कहना नहीं है लेकिन यह नहीं कि उनको भी अनएम्प्लायड (अनियोजित) बनाया जाय बजाय इसके कि यह जो फौज है वह किसी दूसरे काम में लगायी जाती। अगर वे उनको किसी दूसरे काम में लगा सकेंगे तभी तो अन्न मन्त्री जी स्वास्थ्य मन्त्री होना सही सिद्ध करेंगे जिसे हम भी बहुत अच्छी बात समझते हैं और बहुत पसन्द करते हैं और आगे चल कर यह सवाल करने वाले हैं कि बैलेंस्ड डायट (संतुलित भोजन) का अर्थ कुछ हम लोगों को भी बताया करें और उसका प्रबन्ध भी किया करें।

अध्यक्ष--क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री गेंदा सिंह--जी नहीं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१, असाधारण व्यय (लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय) के अन्तर्गत ३,५६,६६,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(२) अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०-लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ४०,६५,७८,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मुझे इस अनुदान के सिलसिले में इस समय कुछ कहना नहीं है। मैं बाद को जवाब उन तमाम बातों का दूंगा जो इस अनुदान तथा इससे पहले वाले अनुदान के सिलसिले में कही गयी हैं

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये की कमी का प्रस्ताव करता हूं।

इस अनुदान में क़रीब ४१ करोड़ रुपये की मांग की गयी है। जो सदस्य यहां बैठे हैं वे जानते हैं कि ४१ करोड़ रुपया हमारे खजाने का एक नया चोर बाजार पैदा करने के लिए लिया जा रहा है। आप इस रुपये से जो राज्य में अव्यवस्था फैलती है उस पर गौर कीजिये। सरकार कहती है कि इस रुपये से हम उन लोगों को जो गल्ला नहीं पैदा करते उनको गल्ला देंगे। मैं देखता हूं तो मुझे मालूम होता है कि एक रुपये का दो छटांक गल्ला अगर बिके तो जिन लोगों के लिए यह रुपया खर्च किया जा रहा है वह खरीद करके खा सकते हैं और जिन से गल्ला लिया जायगा उनकी हालत आप देखिये क्या है। चले जाइये आप पूर्वी जिलों के गांवों में। लोग खाने बिना मर रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले साल लगभग २४ लाख आदमियों को गल्ला दिया गया है उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। क्या खाना दिया गया इसकी तरफ आप देखिये। बजरी दी गयी है जिसको पूर्वी जिलों के लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। ९५ फीसदी आदमी वहां के ऐसे हैं जिन लोगों ने जिन्दगी में कभी बजरी नहीं खायी होगी। उसकी वजह से कितने आदमी मरे हैं, कितने आदमी भूख से मरे हैं। लगभग बराबर के होंगे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य विभाग उन्हीं मंत्री जी के हाथ में है।

जिस बजरी का जिक्र मैंने किया है यह भी कैसे मिलती है यह सुनिये। आजमगढ़ जिले के बिसौली गांव में दो साल के अन्दर तीन मरतबा बजरी मिली है और वहां का एक आदमी भीख मांगते मांगते परेशान हो गया। ऐसी कई घटनायें हुई हैं। यह क्रिया आठ दिन तक बराबर चलती रही। उसके बाद हाथ पैर बांध कर वह कुएं में कूद पड़ा। वहां की हालत यह है कि आज भिखमंगे गांव-गांव मांगते हैं तो भी उनको भीख नहीं मिलती। जब उसको प्रकाश में लाया गया तो डिप्टी कलेक्टर, क़ानूनगो साहब, पटवारी साहब सब पहुंचे और उस गांव को दबाना शुरू किया कि तुम लोग यह मत कहना कि भूखों मरा है और जब कहा गया तो कलेक्टर साहब ने कहा कि यह तो खाने बिना नहीं मरा है उसने भूख के कारण अपनी जान नहीं दी है, बीमार था। डाक्टर लोग स्वास्थ्य मंत्री के अधीन ही हैं। इस भवन में जब रोज कहा जा रहा है कि कोई भूख से नहीं मरा है तो इसका असर मेडिकल अधिकारियों पर पड़ता है क्योंकि उनका मिनिस्टर तो कह रहा है कि खाने बिना लोग मर नहीं रहे हैं तो उनके अधीन जो डाक्टर है वह तो लिखेंगे ही कि मृतक बीमारी से मर गया है। यह विभाग अगर दो सज्जनों के मातहत होता तो शायद इसमें न्याय होता। आज न्याय नहीं होता है। जहां आदमी भूख से मर जाता है वहां आफिसर लोग कह देते हैं कि विसूचिका बीमारी से मर गया। बिसौली ग्राम में जो आदमी मरा उसके संबंध में कलेक्टर, आजमगढ़ की तरफ से काफी वादविवाद हुआ लेकिन वह कोई बीमारी नहीं बतला सके और थाने में पंचायतनामे में भी यही बात लिखी गयी कि वह भूख से मरा है।

यह जो ४१ करोड़ के लगभग हम पैसा खर्च करने जा रहे हैं गरीब जनता का, किसानों का, वह इस सूबे में एक बाजार पैदा करेगा और वह चोरबाजार होगा। उस बाजार से कुछ थोड़े से आदमियों को, जो धनी हैं, उनको ही लाभ होगा। पर जो गल्ला पैदा करते हैं, ख़ास तौर से पश्चिमी जिलों के किसानों को आमदनी मारी जायगी और उसकी वजह से पूर्वी जिलों के किसान भी मारे जायंगे। जहां कहीं सरकार गल्ला खरीदती है वहां अपना एकाधिकार कर लेती है। एक जिले से दूसरे जिले को गल्ला नहीं जाने देती है और न किसी दूसरे को गल्ला खरीदने देती है। मनमाने भाव पर खुद गल्ला खरीदती है। वहां का किसान घाटे में पड़ता है। व्यापारी दूसरी जगह जो गल्ला ले जाना चाहते हैं व्यापार के लिये वह नहीं ले जा पाते।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अबकी बार उन्होंने खांडसारी खरीदना बन्द कर दिया है। शायद उनको यह भय हुआ है कि पिछले साल भारी घाटा हुआ। इसलिये अबकी बार नहीं खरीद रहे हैं। याद रखिये जो इतना रुपया उन्होंने मांगा है वह चोर बाजार को बढ़ावा देने के काम में लगेगा।

अब आप कपड़े की हालत देखिये। अभी इस भवन में जो बहस हुई है कि ढाई-तीन सौ आदमी सप्लाई विभाग के कर्मचारी या भ्रष्टाचारी दुकानदार पकड़े गये हैं उनको सजा हुई है। मेरी समझ में नहीं आता है कि कंट्रोल के व्यापार में जो आदमी लगा हुआ है उसमें से कोई भ्रष्टाचारी नहीं है क्या ? महीने में सवा सौ रुपये का कपड़ा जिस आदमी को बेचने को देते हैं और साढ़े सात परसेंट उससे मुनाफा लेते हैं, इसके लिये आप सोचते हैं कि वह ईमानदार रहेगा। जिस आदमी को ३० रुपया मासिक देते हैं क्या वह ईमानदार रहेगा ? आप तो खुद भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आप तो भ्रष्टाचार की जड़ लेकर बैठे हैं। इसलिये अगर आप ईमानदारी से सोचें तो यह आपको मालूम हो जायगा कि रुपया ऐसी जगह जा रहा है जो बड़ा अनर्थ पैदा करेगा हमारे राज्य में। हमको एक पैसा भी देना नहीं चाहिये था, लेकिन हमने जो कटौती की है वह महज एक रुपये की की है। हम चाहते हैं कि इस एक रुपये को आप जरूर मान लीजिये।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)--माननीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष अन्न योजना में ९,५१,७९,६०० रु० की घटी और लगभग १ करोड़ रुपया इसके संचालन पर, कुल लगभग साढ़े दस करोड़ का व्यय, प्रस्तावित है। प्रश्न यह है कि क्या राजकीय बजट का लगभग १७ फीसदी धन हमें इस मद पर व्यय करना चाहिये ? इस संबंध में महात्मा गांधी जी के तारीख ६-१०-४७ के भाषण का उद्धरण सदन के सामने उपस्थित करता हूं--

"मुझे भय है कि खाद्य सामग्री का केन्द्रीयकरण (सेंट्रलाइजेशन) नाशकारी है। विकेन्द्रीय-करण (डिसेंट्रलाइजेशन) से काला बाजार पर प्रहार होता है और इधर उधर ले जाने से होने वाला समय और धन का अपव्यय बचता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ले जाने के क्रम में रोडेंट, घुन और चूहे उस अन्न को खाते हैं और देश के करोड़ों रुपये नुक्सान में आते हैं और टनों अन्न जिसकी हमें जरूरत है बरबाद होता है। मेरी अपनी राय है कि यदि राशनिंग का कोई प्रयोग है तो वह बहुत ही सीमित है। यदि अन्न उपजाने वालों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाय तब वे उसे बाजार में अवश्य लावेंगे और प्रत्येक को अच्छा और खाने योग्य अनाज मिलेगा जो आज आसानी से नहीं मिलता"।

मुझे विश्वास है कि सदन का प्रत्येक वर्ग केवल श्रद्धा और सिद्धांत के आधार पर ही नहीं, बल्कि तजुर्बे के आधार पर भी उस महान व्यक्तित्व के इन अमर वाक्यों को सही मानता है। राष्ट्रपिता की सीख मानकर हिम्मत से काम लेकर यदि हम इसी घटी वाले धन्धे को बन्द कर दें तब हम बजट को सरप्लस (आधिक्य का) कर लें और नये टैक्सों की बात सोचने का अवसर भी न आवे।

अध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य लिखित भाषण पढ़ रहे हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--सात मिनट का समय इतना कम है कि मुझे ब्यौरे से विचार करने में कठिनाई है। इसलिये मैंने मदद के लिये सिर्फ इतना किया।

अध्यक्ष--क्या ये नोट्स हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--जी हां। मेरा निवेदन यह है कि जब राज्य की जनता ने डिकंट्रोल की बात सुनी तो खुशी की लहर फैल गयी। वर्षों बाद कूड़ा, कीड़ा वाले विदेशी, देशी

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

छुटका लाल गेहूं छोड़ कर अपने राज्य के बड़े और सफेद गेहूं का सफेद आटा खाने को मिला। तबियत खुश हुई। गेहूं के वजन में फर्क था मगर आटे के वजन में कम फर्क था और जीवन शक्ति बहुत अधिक थी जिसके लिये हम अन्न खाते हैं। गांव में हम भर पेट खाते थे। शहर में आये तो चोरी से खा सकते थे। यह दीवार माननीय मंत्री के उपयोग से टूट गयी, यह भी अच्छा हुआ। डिकंट्रोल के एलान के बाद ही आवाजें आने लगीं और बंदिशें लगने लगीं कि फिर ऐसा मौका लाया जाय और कंट्रोल कर दिया जाय। मैं निहायत अदब से, माननीय अध्यक्ष जी, अर्ज करूंगा कि जैसे सब लोग होते हैं, हमारे कर्मचारीगण भी सत्ता के भूखे हैं। कंट्रोल से उन्हें सत्ता मिलती है और वे चाहते हैं कि कंट्रोल कायम रहे। यह दुख की बात है कि हमारे माननीय मंत्रियों पर इन कर्मचारियों का रोब सा छाया हुआ है। इमैजिनेशन, राष्ट्रनिर्माण की कल्पना राज्य कर्मचारियों में होना असंभाव्य है। उनको कार्यनीति और कार्यक्रम को चलाना है। इसको बनाना नहीं। यह कार्य तो इस सदन का और इसके विश्वासपात्र मंत्रियों का है जो एक स्वप्न से प्रेरित हैं और जिनकी इस राज्य को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। मैं मंत्री जी से, मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि जब तक वे इस सदन की स्वीकृति न ले लें तब तक इस डिकंट्रोल की ओर बढ़ाये हुए कदम को वापस न लें। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि 'दैट गवर्नमेंट इज दि बेस्ट व्हिच गवर्न्स दि लीस्ट' (वही शासन सर्वोत्तम जो सब से कम शासन करता है)। यह ही सही दिशा है जिधर हमें जाना है।

डिकंट्रोल करके मद्रास ने हमें ही नहीं सारे देश को रास्ता दिखाया है। माननीय राजगोपालाचारी अंधकार में प्रकाश दिखाने के लिये बधाई के पात्र हैं। हमारे हृदय और मस्तिष्क बरबस उनकी ओर खिंचे हैं। उन्होंने डिकंट्रोल को अपनी सफलता और असफलता का प्रथम प्रश्न कह कर इस दृष्टिकोण को सराहनीय बल दिया है और इस प्रकार महात्मा गांधी के बताये हुये रास्ते पर देश को चलाने का प्रयास किया है।

केन्द्रीय खाद्य मंत्री माननीय श्री रफी अहमद किदवई ने इधर उधर दौड़ धूप कर देश में खाद्य स्थिति को डिकंट्रोल की ओर ले जाने में काबिले तारीफ धक्का दिया, किन्तु यह सुन कर बड़ा अफसोस हुआ जब दिल्ली में जाकर उन्होंने यह बयान दिया कि वे कंट्रोल्ड इकोनामी (नियंत्रित अर्थतंत्र) में विश्वास करते हैं। यह विश्वास बहुत ही खतरनाक है। कंट्रोल्ड इकोनामी (नियंत्रित अर्थतंत्र) कम्युनिस्ट इकोनामी (साम्यवादी अर्थतंत्र) है। अगर उनके दिमाग में सफाई नहीं है तो वे आज नहीं तो कल गलत रास्ते पर जा सकते हैं और इससे हमारी हानि होगी। हमारे खाद्य मंत्री जी भी जो सैद्धांतिक मामले में दलीलें देते हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। उनको हिम्मत से काम लेना चाहिये और छोटी मोटी जो बातें आयें उनको दूर करके डिसेंट्रेलाइज्ड इकोनामी (विनियंत्रित अर्थतंत्र) को लाने का प्रयत्न करना चाहिये। आज न केवल हमारी सर्विसेज का, बल्कि हमारे समाज का चरित्र जिस प्रकार गिर रहा है उसका कारण कंट्रोल है। यह किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। यदि हमारे समाज का चरित्र इसी प्रकार गिरता रहा तो सर्वोदय के स्थान पर सर्वपतन हो जायगा. यह अवश्यंभावी है। हमारे माननीय खाद्य मंत्री हमारे प्रान्त में चरित्र की पवित्रता के प्रतीक हैं। इसी उच्चता के कारण वे तो महादेव जी की तरह इस गिरावट के महान विष को गले में रख कर सहन कर गये, किन्तु हमारे राज्य का समाज आज इस विष से जर्जरित हो रहा है। कृपया इस विष से रक्षा कीजिए।

अन्त में मैं उस नंगे फिलासफर (दार्शनिक) की कहानी याद दिलाता हूं जिससे मिलने सिकन्दर महान गया और बोला कि "मैं संसार विजयी तुम पर प्रसन्न हूं, कहो क्या दूं।" फिलासफर ने जवाब दिया, "केवल यह दो कि जो भगवान ने दिया है वह हमसे मत लो। सूर्य के और मेरे बीच में जो खड़े हो गये हो हट जाओ और सूर्य की रश्मियां मेरे शरीर पर

पड़ने दो।" मैं खाद्य मंत्री से कहूंगा कि उस फिलासफर की आवाज ही इस प्रान्त की जनता की आवाज है और उसका नियंत्रण न कीजिए।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--श्रीमान् उपाध्यक्ष जी महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारे विरोधी दल ने आक्षेप किया ह यह बिल्कुल निराधार है। मुझे अफसोस है कि जिन दोस्तों ने बड़े जोरदार शब्दों में हमारे मिनिस्टर साहब और उनके डिपार्टमेन्ट को क्रिटिसाइज (आलोचना) किया उनमें से एक या दो सज्जन ही यहाँ मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वे आ जायं और मैं उनके सामने अर्ज करूं। खुशी की बात है कि वे पूर्वी जिलों की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं। पूर्वी जिले का रहने वाला मैं भी हूं। अगर उस तरफ कोई सहायता पहुंचेगी तो मेरा भी फायदा हो। इसमें दो रायें नहीं हैं। लेकिन हुजूरवाला, आप जानते हैं कि यह बार बार का प्रोपेगैंडा जरूरत से ज्यादा करना इस काम के काबिल जरूर है कि अखबारों में छपे, प्रोसीडिंग्स में आये और यह कहा जाय कि हमने बड़ा काम किया पूर्वी जिलों के लिये। लेकिन बार बार पूर्वी जिलों का नाम लेकर, बार बार उनका जिक्र करके और जरूरत से ज्यादा कह कर नुकसान पहुंच जायगा उन जिलों को, क्योंकि 'अति सर्वत्र वर्जयेत'। अपनी सरकार है, अपने मंत्री हैं, एक बार भी कहा गया ध्यान आकृष्ट हो गया। हमारे माननीय गुप्ता जी वहाँ तशरीफ ले गये हैं और हमारे माननीय प्रधान मंत्री पं० पन्त जी वहाँ तशरीफ ले गये और देख आये हैं। आर्डर (आदेश) हो चुका है, काम शुरू हो गया है। इन्तजाम हो रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बार बार कह कर नुकसान न करिये क्योंकि जब बार बार कोई बात कही जाती है तो उसका महत्व घट जाता है।

साथ ही साथ मुझे अपने काँग्रेसी साथियों से भी कहना है कि तारीफ के साथ साथ सुझाव दीजिये, कोई शिकायत नहीं। लेकिन तारीफ के साथ साथ शिकायत भी कर दी जाती है यह बड़ी खतरनाक चीज हुआ करती है।

अभी अभी पूर्वी जिलों की गरीबी का चित्र खींचा गया। क्या पूर्वी जिलों की गरीबी काँग्रेस गवर्नमेन्ट के आने के बाद आ गयी है या पहले से भी है? भ्रष्टाचार काँग्रेस सरकार के आने के बाद आ गया है या पहले भी था? पहले भी था और जोर का था। उसी को मिटाने के लिये स्वराज्य की जरूरत थी। क्या आप जानते हैं कि चन्द दिनों में ही भ्रष्टाचार मिटा जायगा? यह कैसे मुमकिन है? अगर हमारी सरकार इस पर ध्यान न दे तब तो शिकायत की जा सकती है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किन्तु जब सरकार ध्यान दे रही है और भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश कर रही है तब भी शिकायत कर दी जाती है। यह कहाँ तक ठीक है? अभी अभी दो साहबों ने कहा कि यह भ्रष्टाचार हुआ, वह अन्याय हुआ और बड़ा अफसोस जाहिर किया। इसके उत्तर में मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्हें सजा दे दी गयी है, किन्तु जब यह सुना तो विरोधी साहब ने कहा कि ओफ ओह सजा दे दी गयी। इतने गरीबों की रोटी चली गई, यह भी बड़ी मुश्किल हुई। सजा देते हैं तो बुरे बनते हैं और नहीं देते हैं तो बुरे बनते हैं। लेकिन खैर आपको तो विरोध करना है और आप विरोध करेंगे। परन्तु मैं अपने इधर के दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं कि जरा सोच समझ कर कहा करिये।

कहा गया कि चीन में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, रूस में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि जरा चीन और रूस में जाकर तो देखिये। वहाँ पूरी आजादी नहीं है। कोई विदेशी जहाँ चाहे वहाँ घूम नहीं सकता है। जहाँ उनकी

[श्री सीताराम शुक्ल]

मर्जी होगी वहाँ जाना होगा। सरकार विरोधी अखबार नहीं निकाल सकते। थोड़ी देर के लिये मान भी लेते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मगर साथ ही यह भी है कि बहुत से बेकसूरों को सजा भी हो गयी है वहाँ जहाँ बहुत बेकसूरों को गोली मार दी दी गयी, तो वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया या घट गया? मैं अर्ज करता हूं कि कोई इज्म अथवा वाद बड़ा नहीं हुआ करता है। एक अच्छा थानेदार अथवा एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आता है तो सबको आराम दे जाता है। लोग कहते हैं कि वाह वाह क्या कहना अच्छे आदमी थे। किन्तु उसी जगह पर जब बुरा आदमी बैठ गया तो लोगों को तकलीफ हो जाती है और उसकी बुराई होने लगती है, हालाँकि कायदा और कानून दोनों के जमाने में एक ही रहता है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि इज्म कोई बड़ा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है। कहा भी गया है राजा समय को बनाता है, समय राजा को नहीं बनाता "राजा कालस्य कारणम्"।

कल मेरी एक माननीया बहिन ने फरमाया कि आदरणीय गुप्ता जी ने बहुत अच्छे काम किये लेकिन स्त्रियों की ओर कम ध्यान दिया। इस पर श्री विश्वम्भरनाथ जी ने कहा कि गुप्ताजी बैचिलर (अविवाहित) हैं इसलिये स्त्रियों की ओर उनका कम ध्यान देना एक मामूली बात है। इस पर मैं कल बोलना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे बोलने का मौका मिल गया है। मैं अर्ज करता हूं कि महिलाओं के उत्थान में ब्रह्मचारी ज्यादा ध्यान दे सकता है। सब से बड़े ब्रह्मचारी हमारे यहाँ स्वामी दयानन्द थे। उन्होंने स्त्रियों को काफी ऊंचा उठाया है। मैं आपके सामने एक संस्कृत का श्लोक रखना चाहता हूं। वह यह है कि——

"मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्तिशूराः केचित्प्रचण्ड मृगराजवधे च दक्षाः।
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कन्दर्पदर्प दलने विरला मनुष्याः।।"

(बिगड़े हुये हाथी को पकड़ा जा सकता है और प्रचण्ड मृगराज का भी वध किया जा सकता है परन्तु कामदेव के अभिमान को चूर्ण करने वाला बिरला ही कोई मनुष्य होता है।)

हमारे मंत्री महोदय ने शादी पर ठोकर मारी है। उन्होंने देश की भलाई के लिये अपनी शादी तक नहीं की। वह इतनी कुर्बानी कर सकते हैं जितनी कि कम लोग कर सकते हैं। इसीलिये उनके सामने यह टोपी गिरती है, सिर झुकता है। उनकी तारीफ करने के बजाय आप शिकायत करते हैं, यह अच्छा नहीं है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)——अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर इस ओर और उस ओर के माननीय सदस्यों ने अपने भाषण करते हुये फूड कंट्रोल पर अपने विचार सदन के सामने रखे हैं। श्रीमान्, सरकार की अब जो फूड पालिसी है उसके बाद और डिकंट्रोल (नियंत्रण) के बाद मैं समझता हूं कि फूड कंट्रोल पर अपने विचार यहाँ रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। माननीय खाद्य मंत्री जी ने अपने भाषण में गल्ला पैदा करने वालों और बेचने वालों को जो चुनौती दी है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसके लिये उनको बधाई देता हूं।

मुझे खेद है, श्रीमान् कि एक भयंकर परिस्थिति की ओर माननीय सदस्यों का और हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया है। जब से सरकार ने राज्य के बजट को भवन के सामने रखा है उस समय से ही भुखमरी की चर्चा भवन में चल रही है। हमारी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य यह दावा करते हैं कि पूर्वी इलाके में भुखमरी से मृत्यु हुई है। लेकिन सरकार उसको गलत कहती है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह समस्या बड़ी गम्भीर है और हंसकर टालने के काबिल नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि भुखमरी के कारण मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। लेकिन आखिरकार

जब इस भवन के कोई माननीय सदस्य यह कहें कि भूख से मृत्यु हुई है तब तो समस्या बहुत ही गम्भीर हो जाती है। मैं यह नहीं समझता कि हमारे सोशलिस्ट सदस्य इतने इर्रिस्पांसिबिल (उत्तरदायित्वहीन) हैं। उनके संबंध में यहाँ पर यह कहा गया है कि लीडरी के शौक में वह किसानों का नुकसान न करें। मैं नहीं समझता कि यह ठीक हो सकता है। कोई न कोई बात ऐसी जरूर होगी जिस पर वह बार-बार दोहराते हैं कि भूख से मृत्यु हुई हैं। परन्तु इधर सरकार के पास भी जरूर कुछ ऐसी इनफारमेशन (सूचनाएं) होंगी और सरकार अपनी जगह पर उनको मजबूत समझती होगी जो कि इस भवन में भी और बाहर भी बार-बार यह कहती है कि भूख से मृत्यु नहीं हुई है। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार के लिये बहुत मुश्किल बात है कि वह कोई ऐसी योजना बनाये, कोई ऐसा प्रबंध करे, जिससे हमेशा के लिये यह तय हो जाय कि भूख से मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। श्रीमान्, किसी राज्य में अगर एक भी आदमी भूख से मरता है तो वहाँ बड़ी भयंकर परिस्थिति समझी जानी चाहिये और यह उस राज्य के लिये बड़े शर्म की बात है। इसी तरह से अगर अपने यहाँ भी सचमुच में एक व्यक्ति भी भूख से मरा है तो सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है और मुझे दुख है यह कहते हुए कि जब कोई नहीं मरा है तो हमारे सोशलिस्ट सदस्यों के लिये शर्म की बात है, वे बार-बार कहें कि मृत्यु हुई, मृत्यु हुई, जबकि कोई मृत्यु नहीं हुई। मुझ से कहा जाता है कि काँग्रेसी सदस्यों ने भी कहा है। उन्होंने कहा होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस भवन को ही नहीं, सारे प्रदेश को यह हक हासिल है कि वह यह जाने कि भूख से मृत्यु पूर्वी जिलों में हुई है या नहीं। मुझे याद है श्री गेन्दा सिंह जी ने सरकार को चैलेन्ज (चुनौती) भी दिया था और यह कहा था कि कोई कमेटी मुकर्रर की जाय। सरकार को ऐसा कोई प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये जिससे इस भवन और प्रदेश को मालूम हो जाय कि इधर से ठीक कहा जा रहा है या उधर से ठीक कहा जा रहा है। श्रीमान्, यह खिलवाड़ नहीं है। खाने की समस्या इस प्रदेश के गरीब लोगों के जीवन-मरण की समस्या है। यदि कोई भी व्यक्ति भूख से मरता है जैसा मैंने पहले कहा यह हमारी सरकार और हमारे राज्य के लिये शर्म की बात है और फिर दोहराता हूं कि अगर यह गलत है तो हमारे सोशलिस्ट भाइयों के लिये यह शर्म की बात है और यह भवन यह डिमाँड (माँग) करता है कि हमेशा के लिये यह साफ हो जाय कि पूर्वी इलाके में भूख से मृत्यु हुई है या नहीं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस ५० नम्बर के अनुदान को जिसमें ४० करोड़ से अधिक रुपया लिखा हुआ है, स्वीकृति के वास्ते हमारे खाद्य मंत्री ने इस सदन के समक्ष पेश किया है।

मैं बड़े गौर से खाद्य मंत्री के भाषण को सुनता रहा। उन्होंने इस अनुदान के सिलसिले में यह बताया कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुदान है। वास्तव में जिस अनुदान से जीवन और मरण का सम्बन्ध हो यह ठीक है कि वह बड़ा महत्वपूर्ण अनुदान हो सकता है। फिर हम यह देखते हैं कि किन हालात में हमारे प्रदेश के निवासी गुजर रहे हैं जिसका दिग्दर्शन अपने भाषण में हमारे खाद्य मंत्री ने कराया है और आज ही नहीं बल्कि अनेक बार सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है इस सदन में। खास तौर से खाद्य के सम्बन्ध में और जीवन की जितनी उपयोगी सामग्रियाँ हैं उनके सम्बन्ध में उन्होंने प्रकाश डाला है। हमारे सामने एक तजुर्बा है और उस तजुर्बे के आधार पर हम कुछ फायदा उठाते रहे हैं। उपाध्यक्ष जी महोदय, हमारी तो दशा ठीक वैसी ही है, जैसे--

भइ गति साँप छछूंदर केरी,
उगलत, निगलत पीर घनेरी।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

सरकार के सामने जिलों की स्थिति कहाँ से कहाँ छन कर आती है इस पर जरा हमको प्रकाश डालना है। सरकार के पास एक तो स्थिति का समाचार हमारे ये जो माननीय सदस्य हैं उनके द्वारा मालूम होता रहता है। दूसरे जो फुटकर तरीके से नान-आफिशियल्स (असरकारी व्यक्ति) आते हैं उनसे इत्तिला मिलती रहती है और तीसरे जो खास एजेन्सी हमारी सरकार की है वह आफिशियल्स की है। बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है। कल जबकि एक उत्तर के सिलसिले में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी महोदय ने यह कहा था कि पूर्वी जिलों में जहाँ अन्न की कमी है वहाँ पर चारे की भी कमी है और चारे की लम्बी सूची में यह भी जिक्र किया गया कि वहाँ पर घास का भी वितरण किया गया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि देर से यह माँग की गई लेकिन आनरेबिल चीफ मिनिस्टर को हमें बहुत पहले चारे के सम्बन्ध में इत्तिला करनी चाहिये थी, वह हम नहीं कर सके। अन्न के विषय में कुछ जरूर चर्चा हुई थी और उसका जो प्रतिफल हुआ उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। तो उस जवाब में यह कहा गया कि वहाँ पर चारे का वितरण किया गया। अगर ये एजेन्सियाँ जिनके द्वारा आप अपने यहाँ शासन कार्य करते हैं जरूरी समझी जाती हैं तो इससे जनता की सेवा उस रूप में नहीं हो सकती है जैसा कि हम चाहते हैं। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से क्षमा चाहता हूं कि अगर वह उन पर यकीन करते हैं तो वह भूल करते हैं।

मनुष्य जीवन की कौन कहे, वहाँ पर चारे का प्रश्न एक जटिल प्रश्न है। जामुन, पीपल और बरगद के पत्तों को काट काटकर पूर्वी जिलों में किसान लोग अपने जानवरों को जिन्दा रख रहे हैं और उस वक्त ऐसा किया जा रहा है जबकि वही बैल आगे चलकर दूसरी फसल को बोयेंगे और जोतेंगे। खासतौर से उन खेतों पर जहां कि लेवा को तैयार करना है। पानी में मिट्टी को जोतना होता है जिससे धान की फसल तैयार होती है और उसमें धान जड़हन रोपा जाता है। जब उनको आधा पेट खाने को मिलेगा तो फिर कैसे वह जोत सकते हैं और वह कैसे इतनी मेहनत का काम कर सकते हैं? इसलिये उपाध्यक्ष, जी महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किसी बिडम्बना की दृष्टि से नहीं, किसी अवहेलना की दृष्टि से नहीं, बल्कि इस दृष्टि से कि हम लोग इस प्रान्त के निवासी हैं और जो लोग इस समय कष्ट में हैं वह भी इस प्रान्त के निवासी हैं उनके जीवन को ऊंचे उठाना हमारा फर्ज है ताकि हमारे प्रान्त की शान ऊंची हो और दूसरे देशों को दिखा सकें कि हमारा मुल्क इस समय स्वतन्त्र है। हालांकि हमारी आर्थिक कठिनाइयाँ हैं लेकिन हम स्वतन्त्र हैं और हम अपनी तकलीफ का निवारण कर सकते हैं। हमारे पास तरीका है और उन तरीकों से हम अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। जब ऐसी एजेन्सियों के जरिये से आपको इत्तिला मिलेगी जो किसी आधार पर अवलम्बित न हों तो समस्या और भी उलझ जाती है।

मुझे तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ जबकि वह इस लहजे में जवाब दे गये कि चन्द मिनट के लिये रफी साहब बस्ती गये थे, चूंकि पूर्वी जिलों में इस समय काफी कठिनाइयाँ हैं, वहाँ पर जीवन-मरण का प्रश्न सामने आ गया है। मैं यह नहीं कहता कि वहाँ पर कोई मर गया है। अगर हमारे सोशलिस्ट भाई ऐसा कहते हैं या और कोई पार्टी के लोग ऐसा कहते हैं चाहे वह काँग्रेस पार्टी के हों या और किसी पार्टी के हों वह सब सरकार के अंग हैं और हम सब सरकार के अंग हैं। हम सब चाहते हैं कि यहाँ की परम्परा, यहाँ की शान और यहाँ की मर्यादा ऊंची हो। हम केवल इसी भाव से कहते हैं और ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे यहाँ की शान ऊंची हो। माननीय रफी अहमद साहब किदवाई बस्ती पहुंचे क्योंकि उनसे प्रार्थना की गयी थी और विनती की गई थी कि लोगों को तकलीफ है चाहे वहाँ पर कोई आदमी भले ही न मरा हो लेकिन बस्ती के लोग भूखे हैं और नंगे हैं।

माननीय रफी अहमद किदवाई वहाँ गये और मैं यह कह सकता हूं कि वह बस्ती १० बजे दिन में पहुंचे और ३ बजे तक ठहरे रहे। माननीय रफी अहमद साहब ने वहाँ के लोगों के आर्थिक संकट को देखा, अकाल पीड़ित की जो जो कठिनाइयाँ हैं उनको भी पूछा। यह कहना ठीक नहीं कि एक घंटे के लिये गये थे। मैं और भी इस विषय पर कहना चाहता था लेकिन फिर कभी समय मिला तो इसका जिक्र करूंगा। इस समय तो कम समय के कारण विवश हूं।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में राज्य का व्यापार चलाने के लिये ४० करोड़ ६५ लाख रुपये की माँग की गई है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जबकि एक माननीय सदस्य ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये कहा कि यह बिलकुल निरर्थक है। लेकिन उन्होंने एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। वह नहीं चाहते हैं कि यह रुपया दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस माँग में जो ४० करोड़ ६५ लाख रुपया माँगा गया है उसमें से ३ करोड़ ४३ लाख अनाज को प्रान्त में सप्लाई करने में खर्च होगा। इसके अतिरिक्त कुल ७५ लाख रुपया प्रबन्ध पर खर्च होगा जिसका मतलब यह होता है कि सवा चार करोड़ रुपया इस कंट्रोल व्यवस्था को चलाने में खर्च होगा। तो आज जबकि हमने डिकंट्रोल की नीति को अपनाया है और उस खतरे को दूर करने के लिये व्यापार के लाभ की लिप्सा पर नियंत्रण रखने के लिये. हमने यह सोचा कि यदि राशन की दूकानों को बन्द कर दिया जायगा और सस्ते दामों पर अनाज जनता को न मिलेगा, तो उसको कष्ट होगा। क्या आप उस कष्ट का अन्दाजा लगा सकते हैं? जब से डिकंट्रोल हुआ है सब जिलों में और मैंने अभी बुलन्दशहर में देखा कि वहाँ पर अभी राशन शाप पर ५५ फीसदी लोग अनाज लेते हैं और अलीगढ़ में अभी ६५ फीसदी लोग हमारी दूकानों से राशन ले रहे हैं। यदि वह व्यवस्था न होती तो डिकंट्रोल के बाद अनाज की कीमत ऊपर चढ़ जाती। क्या यह सवा चार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रान्त की कीमतों पर नियन्त्रण रखने लिये और बढ़ते हुये भावों को रोकने के लिये किसी को नाजायज मालूम हो सकती है और अगर ऐसा है तो वह भ्रम है, इसलिये यह बहुत आवश्यक व्यवस्था है।

यहाँ पर अभी कंट्रोल, डिकंट्रोल, प्लानिंग और करप्शन (नियंत्रण, विनियंत्रण, संविधायन और भ्रष्टाचार) आदि की बहुत चर्चा की गई है। चाहे कंट्रोल रहे या न रहे या डिकंट्रोल रहे या न रहे, लेकिन विचारों में सामंजस्य और एक हारमनी (सामञ्जस्य) रहना बहुत आवश्यक है। अभी एक माननीय सदस्य ने गाँधी जी का उदाहरण देकर कहा कि उन्होंने कहा था कि डिकंट्रोल की नीति को उसके पूरे खतरों के साथ अपनाया जाय। यह सिद्धान्त है महान् पुरुषों के चरित्र का। हमें उन के चारित्र्य का अनुकरण करना चाहिये। हम ने गाँधी जी के जीवन में अनेक विशेषतायें देखी हैं और उनका जीवन तो चतुर्मुखी था। बहुत से ऐसे लोग थे जो गाँधी के राजनीतिक विचार के नहीं थे लेकिन उन के अनुयायी बन कर चलते थे। गाँधी जी ने जब यह वक्तव्य दिया था तो उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे क्षेत्र स्वावलम्बी होने चाहियें और वह नहीं चाहते थे कि खाने, कपड़े या मकानों के लिये कोई भी इलाका परावलम्बी हो। उन्होंने कहा था कि बाहर से अनाज नहीं मंगाना चाहिये, चाहे देश के लोगों को सब्जी और केले खाकर बसर करना पड़े। वह बाहर से मंगाना पसन्द नहीं करते थे।

एक तरफ तो आप देवरिया और पूर्वी जिलों में भुखमरी और अकाल की बातें कहते हैं और दूसरी तरफ आप यह भी चाहते हैं कि डिकंट्रोल को बिना किसी रुकावट के लागू किया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार से आप परस्पर-विरोधी मांग करते हैं। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि वह तो मनुष्य के विचारों में मानव सद्भावना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि कंट्रोल को हटाने में व्यापारी वर्ग साथ देगा लेकिन अगर महंगाई बढ़ती गयी तो यह कंट्रोल और सख्ती से लागू होंगे। जहां तक नियंत्रण का सवाल है, गांधी जी स्वयं कहते थे कि इंसान

[श्री बनारसी दास]

को अपना आन्तरिक नियंत्रण करना चाहिये और अगर वह नहीं कर पाता तो उसके लिये वाह्य नियंत्रण वाजिब होता ह। इस तरह से डिकंट्रोल की नीति को सफल बनाने के लिये कुछ हद तक कंट्रोल रखना आवश्यक है। किशोरीलाल मशरूवाला ने भी कहा था कि मिल के कपड़े पर भी कुछ लेवी (करारोपण) लगायी जाय ताकि खादी का प्रचार बढ़े और आपको यह भी मालूम होगा कि श्री कृष्णाचारी ने अभी १ आना मिल क्लाथ पर इम्पोज (आरोपित) किया है।

इस तरह से शकर का सवाल है। यदि बाहर की शकर पर टैरिफ द्वारा नियंत्रण नहीं होता, तो शकर का व्यवसाय और गन्ने की उन्नति इस प्रदेश में नहीं हो सकती थी। जिस तरह से डिकंट्रोल की योजना को इस वक्त अपनाया जा रहा है वह कुछ हद तक आवश्यक है। सरकार के सामने कोई रूस या चीन के माने हुए सिद्धांत नहीं हैं। हमारे सामने केवल एक सिद्धांत है और वह यह कि हमारे प्रान्त के लोगों को कष्ट न हो और प्रान्त की आर्थिक अवस्था में सुधार हो। इसलिये हमने कंट्रोल को अपनाया। जहां कंट्रोल की आवश्यकता खत्म हो जाती है वहां डिकंट्रोल आता है। हमारे सामने केवल एक ही सिद्धांत है कि जनता का कल्याण हो। इसलिये अब डिकंट्रोल हमने अपनाया है। हम जानते हैं कि कंट्रोल जारी रखने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। मौजूदा परिस्थितियों में कंट्रोल चलाना कोई खुशी की बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस डिकंट्रोल के काम को सफल बनाने में जनता और हर व्यक्ति हमारा साथ देगा। भुखमरी यदि सरकार के लिये शर्म की बात है तो उन लोगों के लिये भी शर्म की बात है जो इसे होते देखते हैं और कोई चैरिटी (दान) वगैरह का काम नहीं करते। मैं नहीं मानता कि कोई भुखमरी हुई हो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि केवल विरोध के लिये भुखमरी का आरोप लगाया जाता है। मुझे विरोधी पंक्तियों में बैठे हुए सदस्यों की लोककल्याण की भावना पर पूरा विश्वास है। यदि भुखमरी उनकी आंखों के सामने होती तो वे जीवित कैसे उसे सहन कर सकते हैं? वास्तव में इन्हें इस कथन पर स्वयं विश्वास नहीं है केवल राजनैतिक पूंजी बनाने के लिये वह इस प्रश्न को खड़ा कर देते हैं। यह प्रश्न राजनीति से अलग रखा जाना चाहिये।

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और सुझाव दिये हैं। पूर्वी जिलों की अन्न की कठिनाई का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि लोग कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर वहां सचमुच में ऐसी स्थिति है तो वहां पर रिलीफ का काम करना ही चाहिये। मैं कहूंगा कि सरकार ने जो कुछ वहां किया है वह बहुत अच्छा किया है। जो सरकार पर आरोप लगाये जाते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, ये ठीक नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ये आंकड़े सिद्ध करते हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है।

१-५-५१ से ३१-३-५२ तक बनारस जिले में २६ दूकानें गल्ले की खोली गयी हैं जिनसे १९,१०० मन गल्ला दिया गया है। अभी इसी तरह १-४-५२ से लेकर ३०-६-५२ तक बनारस जिले में १९,४६८ मन गल्ला वितरण किया गया और १५ जून को वहां स्टाक में १,०८,७८१ मन गल्ला मौजूद था। मिर्जापुर जिले में १६५ दूकानें इस काम को करती हैं और वहां पर १-५-५१ से ३१-३-५२ तक ७७,०४६ मन गल्ला वितरण किया जा चुका है और १-४-५२ से ३०-६-५२ तक ६०,१३३ मन गल्ला दिया गया। इस समय वहां स्टाक में जो अनाज मौजूद है वह ५५,१७७ मन है।

जौनपुर जिले में १६१ दूकाने हैं जिनके द्वारा १,१८,५४४ मन गल्ला ३१-३-५२ तक वितरण किया गया है और १-४-५२ से ३०-६-५२ तक ३,९४० मन गल्ला वितरण किया गया है। इस समय वहां २०,१५६ मन अनाज स्टाक में मौजूद है और २७,००० मन गल्ला वहां आजकल में पहुंचाया जा रहा है।

गाजीपुर जिले में ७४ दूकानें इस काम के लिये खोली गयी हैं। उन दूकानों ने ३१ मार्च, १९५२ तक १,३०,०१७ मन गल्ला वितरण किया है और उसके बाद ३० जून, १९५२ तक ३३,६०६ मन गल्ला वितरण किया है। इस समय वहां ३०,००९ मन गल्ला स्टाक में है और वहां ३० हजार मन गल्ला और भेजने की व्यवस्था की गयी है।

बलिया जिले में २० दूकानें इस काम के लिये खोली गयी हैं। वहां ३१ मार्च, १९५२ तक ६५,४४६ मन गल्ला वितरण किया गया है और उसके बाद ३० जून, १९५२ तक २३,०७६ मन गल्ला वितरण किया गया है और इस समय वहां स्टाक में ५,५२९ मन गल्ला मौजूद है और १४,०१७ मन गल्ला वहां भेजने की व्यवस्था की गयी है।

गोरखपुर जिले में १६५ दूकानें गल्ला वितरण के लिये खोली गयी हैं। ३१ मार्च, १९५२ तक ३,८२,८१९ मन गल्ला वितरण किया गया है। उसके बाद ३० जून, १९५२ तक १,८६,७९८ मन गल्ला वितरण किया गया और १५ जून को वहां पर २१,२६४ मन गल्ले का स्टाक था। ३२,४०० मन गल्ला वहां भेजने की व्यवस्था की गयी है जो आज-कल वहां पहुंच रहा है।

देवरिया में ३२४ दूकानें खोली गयी हैं। ३१ मार्च, १९५२ तक २,२१,८४७ मन गल्ला वहां बांटा गया है और उसके बाद ३० जून, १९५२ तक १,३६,४३२ मन गल्ला दिया गया है। इस समय वहां पर १,३४,८९९ मन गल्ला मौजूद है और १,२६,४७५ मन गल्ला वहां भेजा जा रहा है।

आजमगढ़ जिले में कुल १९२ दूकानें खोली गयी हैं जहां से ३१ मार्च, १९५२ तक २,५०,६६५ मन गल्ला वितरण किया गया और ३० जून, १९५२ तक ११,०६० मन गल्ला वितरण किया गया है। १५ जून को वहां ७९,३१७ मन गल्ला स्टाक में था और इस समय वहां ३०,३३८ मन गल्ला भेजा रहा है।

इसी तरह से बस्ती जिले में ५२१ दूकानें गल्ले के वितरण के लिये खोली गयी हैं और उन दूकानों द्वारा पहली मई सन् १९५१ से ३१ मार्च सन् १९५२ तक २,८९,६२६ मन गल्ला वितरण हुआ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय उपाध्यक्ष जी, गुप्ता जी के इस विभाग के सवाल को लेकर इस सदन में कुछ सैद्धांतिक बातें कही गयी हैं। मैं चाहता हूं कि आप समय का बटवारा इस अनुपात से करें ताकि हमको अच्छी तरह से मौका मिले कि हम अपनी बातें गुप्ता जी की सेवा में रख सकें और उनका उत्तर भी गुप्ता जी से प्राप्त कर सकें।

गुप्ता जी की ओर से कुछ सम्मानित सदस्यों द्वारा कहा गया है कि क्या सोशलिस्ट लोग शहर के लोगों को मार डालना चाहते हैं? मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी शहर वालों को नहीं मारना चाहती है बल्कि कांग्रेस पार्टी मारना चाहती है और मार रही है। सोशलिस्ट पार्टी तो इस्टेब्लिश्ड पैरिटी (स्थापित साम्य) चाहती है।

"To establish parity between the prices of industrial and agricultural produce."

[औद्योगिक तथा कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य में साम्य स्थापित करने के निमित्त।]

खेती से पैदा होने वाले जो सामान हैं, गल्ला, उसके दाम और कारखाने में पैदा होने वाले जो सामान हैं जैसे कपड़े, लोहे, खाद, सीमेंट, उनके दाम में न्याय के आधार पर सन्तुलन किया जाय। क्या इस नीति पर चलने की कोशिश की जा रही है? यहां पर गांधी जी का नाम लेकर और रूस चीन का नाम ले लेकर अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश न की जाय। सन्

[श्री राजनारायण]

१९४९ से लेकर अब तक हम बराबर कोशिश करते रहे हैं गुप्ता जी की खिदमत में कि आप पैरिटी इस्टेब्लिश (साम्य स्थापित) कीजिए। लेकिन गुप्ता जी ने कुछ नहीं किया। सरकार बतलाती है कि गल्ला बहुत ज्यादा प्रोक्योर (वसूल) हुआ। आखिर क्यों बहुत ज्यादा गल्ला प्रोक्योर हुआ ? बनारस के चकिया का ही उदाहरण है। सरकार ने लिखित उत्तर दिया है कि १८ रुपये मन पर वहां चावल खरीदा जाता था और जो सरकार की ओर से वहां चावल खरीदने जाते थे वह १८ रुपये मन के हिसाब से चावल नहीं पाते थे। २८ रुपये और ३० रुपये मन के हिसाब से चावल उनको मिलता था। अब स्वयं देखिए कि २८-३० रुपये मन के चावल को कोई कैसे १८ रुपये मन पर सरकार के गोदाम में दे सकता है ? यहां पर ब्लैक मार्केट होता है और इसकी रिस्पांसिबिलिटी (उत्तरदायित्व) सरकार के ऊपर है। जितना चावल दूकानदार खरीदता था उतना चावल सरकारी कागज पर नहीं दिखाया जाता था उससे कम दिखाया जाता था और जो उससे अधिक होता था वह ब्लैक मार्केट में ४० और ४२ रुपये मन पर बनारस के होटलों में बिका है खुद चल कर सबूत उसका ले सकते हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से श्री रफी अहमद किदवाई के कुछ फिगर्स कोट (आँकड़े उद्धृत) करना चाहता हूं और इसका जवाब गुप्ता जी दें।

"The Food Minister claimed that internal production has smashed all records. Giving the example of U.P., he said, in 1950 the State's procurement was 19 thousand tons, while last year it was only 7 thousand tons and this year it was 61 thousand tons."

[अन्न मंत्री ने दावा किया है कि आभ्यंतरिक उत्पादन ने समस्त रेकर्ड तोड़ दिये हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि १९५० में राज्य की गल्ला वसूली १९ हजार टन थी, गत वर्ष केवल ७ हजार टन और इस वर्ष ६१ हजार टन थी।]

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि क्या जिन फिगर्स को उन्होंने अखबार से कोट किया है उसको वह सही मानते हैं।

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि हमारे केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री जो फिगर्स देंगे वह गलत होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह फिगर्स उनके नहीं हैं। गलत छपे हैं।

श्री राजनारायण—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खाद्य मंत्री के फिगर्स अगर गलत छपे हैं तो मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इनका खंडन क्यों नहीं गुप्ता जी ने खाद्य मंत्री से करवाया ?

श्री बजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या इस सदन में कोई माननीय सदस्य "गुप्ता जी" "गुप्ता जी" कह कर संबोधित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष—आप 'माननीय' शब्द का प्रयोग भी कीजिए।

श्री राजनारायण—आदरणीय गुप्ता जी, माननीय गुप्ता जी के लिये सब आदरसूचक शब्द लगाने में मैं प्रस्तुत हूं। तो माननीय गुप्ता जी यह जरा बतावें कि उनके सामने सोशलिस्ट पार्टी के जरिये से जो सुझाव रखे गये थे क्या उनको कार्यान्वित किया गया। अगर उनको कार्यान्वित किया गया होता, तो क्या शहर की पब्लिक पर तनिक भी जोर पड़ा होता, या उनको कोई कठिनाई पड़ी होती। शहर की पब्लिक क्या चाहती है, शहर की पब्लिक कपड़ा चाहती है, शहर की पब्लिक लोहा चाहती है, सीमेंट चाहती है, खाना चाहती है और आज मैं शहर की पब्लिक को खूब अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि पिछले सालों में जो ग्रेन प्रोक्योरमेंट (गल्ला वसूली) कम हुआ और जो शहर की पब्लिक के लिये राशन-मात्रा घटाई गई उसकी

सारी जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार की दकियानूसी और प्रतिक्रियावादी नीति पर है। अगर सोशलिस्ट पार्टी का सुझाव माना गया होता तो राशन-मात्रा घटाने की परिस्थित न पैदा हुई होती।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक कांग्रेसी सदस्य श्री बनारसी दास जी कहते हैं कि इस समस्या को राजनैतिक कैपिटल नहीं बनाना चाहिये। मैं अच्छी तरह से मानता हूं कि खाद्य समस्या को लेकर राजनैतिक कैपिटल नहीं बनाना चाहिये लेकिन क्या सोशलिस्ट पार्टी इसको राजनैतिक कैपिटल बना रही है या कांग्रेस पार्टी बना रही है और बनायेगी? इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री वंशनारायण सिंह जी, जो कि बनारस स्टेट में कांग्रेस सरकार के एजूकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वह बयान देते हैं कि दो जाने गयी हैं भूख से भदोही के पास के गांव में। सरकार प्रेस नोट निकाल कर उसका खंडन करती है कि नहीं ऐसा नहीं है। श्री वंशनारायण सिंह जी से मैंने परसों खुद मुलाकात की। तार आया है कि वंशनारायण सिंह जी ने वहां के पचीसों आदमियों के दस्तखत करवाये हैं जिन्होंने बयान दिया है कि वहां जानें गयी हैं भूख से और खाने की कमी से। मुझे अफसोस होता है कि जब सदन का कोई सम्मानित सदस्य स्वतंत्र विचार का प्रदर्शन करता है तो उस पर पार्टी व्हिप (दलीय कोड़ा) लगाया जाता है। यह कैपिटल कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं या सरकार की ओर से बनाया जा रहा है? इसका उत्तर मिलना चाहिये। क्या कारण है कि सन् १९४० ई० में जितने गल्ले का उत्पादन हुआ सन् १९५० और ५१ में उससे कम गल्ले का उत्पादन हुआ? यह सोशलिस्ट पार्टी की नीति से हुआ है या सरकार की नीति से हुआ है? इसके बाद में बहुत अदब से उपाध्यक्ष महोदय के जरिये कहूंगा कि कंट्रोल का जो सवाल है यह सवाल किसी उसूल को ले कर हर समय, हर परिस्थिति में एक तरह से नहीं चलाया जा सकता है। कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें कंट्रोल आवश्यक होता है और कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें कंट्रोल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है।

माननीय परिपूर्णानन्द जी आ गये। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा आप दो मिनट समय और दे दीजिएगा। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने पूंजीवाद के संबंध में सोशलिस्ट पार्टी की क्या नीति है इसके लिये आस्ट्रेलिया, अमेरिका और न मालूम कहां-कहां की मिसाल दी। मैंने उनसे निहायत अदब के साथ कई बार अर्ज कर दिया था कि भारतीय सोशलिस्ट पार्टी का जहां तक प्रश्न है समाजवाद को स्वरूप देने वाले समाजवादियों ने कहा है कि समाजवादी व्यवस्था हर देश के स्वरूप को देखकर के ही लागू होगी। हर देश में एक ही ढंग से काम करने की बात किसी भी वैज्ञानिक सोशलिस्ट ने कभी भी नहीं कही है। अगर किसी ने ऐसा कहा है तो वह दकियानूसी सोशलिस्ट होगा और भारतीय सोशलिस्ट पार्टी उसको सोशलिस्ट नहीं मानती। फिर सोशलिस्ट पार्टी तो चाहती है कि मीन्स आफ प्रोडक्शन और रिलेशन्स आफ प्रोडक्शन (उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों) में सामंजस्य स्थापित किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्पादन के साधन क्या हों, उनका संबंध कैसे हो, क्या इस संबंध में कांग्रेस सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं रही है। पुराने उत्पादन के संबंधों को कायम करते हुए वह एक नीति चलाना चाहती है। प्राचीन उत्पादन के संबंधों को कहीं भी यह सरकार ढीला करने जा रही है? प्राचीन उत्पादन के संबंधों को कहीं बदलते जा रही है? हर्गिज नहीं। सरकार की ऐसी ढुलमुल नीति है तो मैं गुप्ता जी से स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि किसी भी स्टेट में किसी भी परिस्थिति में अनकंट्रोल्ड कन्ट्रोल (अनियंत्रित नियंत्रण) को सोशलिस्ट पार्टी चलाने के लिये तैयार नहीं है। अगर सोशलिस्ट पार्टी स्थापित करेगी तो कंट्रोल्ड कंट्रोल (नियंत्रित नियंत्रण) को स्थापित करेगी। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कई बार बाहरी मुल्कों का उदाहरण दिया। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं और आगे कभी वह साफ करें कि कंट्रोल के क्या मानी होते हैं। यही

[श्री राजनारायण]

होते हैं कि जिस सामान का कंट्रोल हो वह सामान हर इंसान को समुचित मात्रा में मिलता रहे। कंट्रोल इसी लिये लगाया जाता है। लेकिन अगर कंट्रोल के बावजूद सामान के मिलने में आफत और परेशानी होती है, मनुष्य भूखों मरता है तो कंट्रोल के क्या माने होते हैं ? ऐसे अनियंत्रित नियंत्रण से जनता परेशान होती है चाहे वह जनता शहर की हो चाहे देहात की और जनता का नैतिक पतन भी होता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कई व्यक्तियों ने इन अनुदानों से संबंधित अपने सुझाव और आलोचनायें इस भवन के सामने उपस्थित की हैं। उन आलोचनाओं में से कुछ का उत्तर तो मेरे सहायकों ने दे दिया है। परन्तु आलोचनाओं की संख्या इतनी बड़ी है कि मैं सबका उत्तर इतने थोड़े से समय में नहीं दे सकूंगा।

एक बात जो बार बार इस सदन में कही जाती है वह हमारे साधनों और हमारे आंकड़ों के संबंध में है। कई रोज हुए, माननीय गेंदा सिंह जी ने एक प्रश्न के उत्तर में मुझसे यह जानना चाहा था कि क्या सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वालों की खाद्यान्न की जरूरतों के आंकड़े इकट्ठे किये हैं या नहीं। मैंने उत्तर में निवेदन किया था कि सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज फिर इस भवन में उन्होंने यह बात दोहराई कि सरकार के पास यदि कोई आंकड़े प्रदेश की अन्न की जरूरत के नहीं हैं, तो फिर सरकार प्लानिंग कैसे करती है। मैंने बजट के जनरल डिस्कशन के समय उनके इस प्रश्न का उत्तर साफ तौर पर दे दिया था। हमारे पास इस प्रदेश की पैदावार के आंकड़े हैं, जनसंख्या के आंकड़े हैं। हमें यह जानकारी भी है कि एक मनुष्य को जीवित रहने के लिये कितने अन्न की आवश्यकता है। तब फिर हम क्यों घर घर जावें और जा कर हर एक व्यक्ति से वह कितना खाता है उसके आंकड़े इकट्ठा करने का प्रयत्न करें ? आज फिर वही बात हमारे माननीय सदस्य ने दोहराई कि सरकार के पास तो जरूरत के कोई आंकड़े नहीं हैं। मैं आज उन्हें इस भवन में वह आंकड़े भी पढ़कर सुन देत हूं जो हमारी पैदावार के आंकड़े हैं और जितने अन्न की हमें जन संख्या के अनुपात में उसके खर्चे के लिये आवश्यकता पड़ती है।

अभी माननीय राजनारायण जी ने माननीय रफी अहमद के कुछ आंकड़ों को यहां सदन के सामने कोट (उद्धरित) किया। मैं ऐसा समझता रहा हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे विरोधी दल के साथी कुछ पुस्तकों को पढ़ कर आते हैं, कुछ अपने विषय के संबंध में तैयार हो कर आते हैं। उन्होंने यदि एग्रिकलचरल स्टेटिस्टिक्स का अध्ययन किया है तो वे कभी भी माननीय रफी अहमद के आंकड़े, जो अखबारों में छपे हैं, उन पर विश्वास नहीं करते। यदि उन्होंने इन बातों का अध्ययन किया होता तो वे इस सदन में उन आंकड़ों को कोट नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से वह आंकड़े अखबारों में छपे हैं वह बिल्कुल गलत और बे बुनियाद हैं। माननीय रफी अहमद किदवाई भी जो आंकड़े केन्द्रीय संसद के सामने उपस्थित करते होंगे, वह किन्हीं आंकड़ों की बुनियाद पर तो करते होंगे, किन्हीं किताबों को बुनियाद पर, किन्हीं चीजों की जानकारी की बुनियाद पर तो ही करते होंगे। मैंने भी ऐग्रिकलचरल स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन किया है और आज आपके सामने उन्हें उद्धृत करता हूं। जो हमारी पैदावार १९४३-४४ से रही है उसके आंकड़े मेरे सामने हैं। इन्हें देखते माननीय किदवाई साहब के अखबार में छपे कथित आंकड़े गलत हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि खरीफ और रबी की जो इम्पार्टेन्ट फूड ग्रेंस (मुख्य अनाज) हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि, उनकी पैदावार हमारी जरूरतों के अनुपात से सन् १९४३-४४ में ७ लाख २८ हजार टन अधिक हुई थी।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास भी सन् १९४० से लेकर १९५०-५१ तक के आंकड़े मौजूद हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किये गये हैं। जो आंकड़े मंत्री जी पेश कर रहे हैं और जो हमको सप्लाई किये गये हैं, दोनों मेल नहीं खाते हैं। हो सकता है कि वे आंकड़े गलत हों।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो आंकड़े मैं उपस्थित कर रहा हूं, वे उन स्टैटिस्टिक्स से लिये गए हैं जो ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और जिनकी बुनियाद पर हम अपनी पैदावार आंकते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम सब इस बात का भी अंदाज लगाते हैं कि इस उपज में से कितनी जानवरों और कितनी बीज के लिये खर्च होती होगी। उस दिन जनरल डिसकशन के समय मैंने बतलाया था कि जो हमारी ग्रास पैदावार है उसमें से करीब साढ़े १७ फीसदी जानवरों और बीज के लिये निकाल देना पड़ता है। अभी मैंने सन् १९४३-४४ के आंकड़े पढ़े, वह हमारे प्रदेश की ग्रास पैदावार थी। इसी तरह से सन् १९४४-४५ में हमारे यहां ८८ लाख ५९ हजार टन गल्ला पैदा हुआ। उस वक्त हमारे प्रदेश की जन-संख्या की आवश्यकता से २ लाख ८० हजार टन गल्ला कम पैदा हुआ। सन् १९४५-४६ में ९७ लाख ७६ हजार टन गल्ला पैदा हुआ जो हमारी आबादी की जरूरत से करीब ३ लाख ८२ हजार टन अधिक था। सन् १९४६-४७ में ८६ लाख ७६ हजार टन गल्ला पैदा हुआ जो हमारी आबादी की जरूरत से ६ लाख ३६ हजार टन कम था। सन् १९४७-४८ में ९२ लाख २० हजार टन गल्ला पैदा हुआ, जो हमारी जरूरतों से ३ लाख ३० हजार टन कम था। सन् १९४८-४९ में ९४ लाख ७७ हजार टन गल्ला पैदा हुआ जो हमारी जरूरत के अनुपात से २ लाख २८ हजार टन कम था। सन् १९४९-५० में ९२ लाख ६९ टन गल्ला पैदा हुआ जो हमारी जरूरत के अनुपात से ५ लाख ४ हजार टन कम था। सन् १९५०-५१ में ९४ लाख ९५ हजार टन गल्ला पैदा हुआ जो हमारी जरूरत से ५ लाख ५८ हजार टन कम था। सन् १९५१-५२ में ९४ लाख ४२ हजार टन गल्ला पैदा हुआ जो हमारी जरूरतों के अनुपात से ६ लाख ९२ हजार टन कम प्रतीत हुआ।

यह कहा गया कि जब हम आंकड़े नहीं रखते हैं तो प्लानिंग क्या करेंगे। इस तरह की विचाराधारा समय-समय पर हमारे सामने आती रहती है। हमारे समाजवादी भाई वैज्ञानिक ढंग पर काम करने में विश्वास करते हैं और वैज्ञानिक ढंग हमें यह सिखाता है कि हम सही बात करें जो बिल्कुल सही ही साबित हो। बगैर आंकड़ों को पढ़े हुए किसी बात को यहां उपस्थित कर देना न हमारे विचारों का ही एक वैज्ञानिक ढंग हो सकता है और न हमारे वादविवाद का ही वैज्ञानिक ढंग हो सकता है। इसलिये इस सदन से मेरा यह अनुरोध है कि महज अपने उद्देश्य को साबित करने की कोशिश न की जाय। हो सकता है कि हमसे गल्तियां हों और अगर हों तो आप अवश्य हमारी गल्तियों को भवन के सामने रखिए। उनसे जो कुछ हमें सीखने को मिलेगा उसे हम सीखेंगे और इसके लिये हम सदैव उद्यत रहते हैं, लेकिन गलत बुनियाद पर बातों का रखना सही नहीं है।

एक भाई ने लोहे के कोटे के सिलसिले में कहा कि कांग्रेस की सरकार ने लोहे के जितने परमिट दे रखे हैं वे सब पोलिटिकल सफरर्स को दे रखे हैं, जो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस सिलसिले में आंकड़े जानने की कोशिश की है। हमारे यहां प्रदेश में करीब बारह-तेरह सौ फैक्टरीकर्स हैं और उनमें शायद ५० या ५५ पोलिटिकल सफरर्स भी होंगे। हमने उनको कोटा दिया है, हमने उनकी मदद की है और आइन्दा भी करेंगे। हम उन व्यक्तियों की मदद करेंगे जो देश के लिये लड़े हैं, मरे हैं और खपे हैं और जो आज परेशानियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। फिर उन चीजों का बार बार जिक्र करना मुनासिब नहीं मालूम होता है। आप लोगों में से भी बहुत से पोलिटिकल सफरर्स मेरे पास आते हैं और मुझसे मदद पाते हैं, पैसे की मदद भी ले जाते हैं। पोलिटिकल सफरर्स तो उनके साथ रहे हैं और साथ काम किया है। उनका इस तरह से मजाक बनाना यह किसी राजनैतिक संस्था को शोभा नहीं देता।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

गेंदा सिंह जी ने जिक्र किया था कि सरकार ने करीब ३ करोड़ रुपया किसानों से 'सेस' के रूप में वसूल कर लिया, लेकिन उस रुपये का मुआविजा किसानों को क्या दिया ? मैं अदब के साथ उनको बताना चाहूंगा कि सरकार ने अवश्य 'सेस' का रुपया उनसे वसूल किया, लेकिन आज क्या गन्ने की पैदावार की हालत वही है जो चार-पांच वर्ष पहले थी ? क्या प्रति एकड़ जितना गन्ना आज पैदा होता है, उतना ही पहले भी पैदा होता था ? क्या सरकार ने लाखों मन गन्ने का बीज देकर किसानों को नये तरीके से गन्ने की खेती करने की बातें नहीं सिखायीं ? क्या लाखों रुपये का गन्ने का बीज इस तरह से किसानों को बांट कर उनकी आमदनी को बढ़ाने के साधनों में एक नयी शिक्षा नहीं दी है ? क्या नये प्रकार के खेती के औजार उन्हें नहीं बांटे गये ? क्या तरह तरह की इर्रीगेशन फैसिलिटीज (सिंचाई की सुविधायें) उनको नहीं दी गयीं ? क्या नये कुएं सरकार ने नहीं बनवाये हैं ? क्या तालाब आदि नहीं खुदवाये गये हैं ? क्या पुराने कुओं को ठीक नहीं कराया है ? क्या उनके बीच में नयी सड़क और नये रास्ते नहीं बनवाये जिनमें करोड़ों रुपये सरकार ने खर्च किये हैं ? और क्या उनके बीच में शिक्षा के केन्द्र नहीं खोले हैं ? वह रुपया जो किसानों से लिया गया है, किसानों पर ही खर्च हुआ है। आज उन्हीं की हालत को सुधारने के लिये यह सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। यदि आपने इस साल के बजट का अध्ययन किया है और सरकार की पंच वर्षीय योजनाओं को देखा है तो बताइये कि वे योजनायें किनके फायदे के लिये की जा रही हैं? क्या वे योजनायें किसानों के फायदे के लिये नहीं हैं ?

फिर वे यह कहते हैं कि प्राइसेज में पैरिटी (समानता) होनी चाहिये। यद्यपि हमारे आज इस तरह की पैरिटी लाने के प्रश्न को हल नहीं किया है, तथापि वह पैरिटी का क्यों सवाल उठाते हैं ? क्या एग्रीकल्चरल कमोडिटीज (कृषि सम्बन्धी पदार्थों) की जो कीमतें आज हैं क्या वही सन् १९३९ में भी थीं ? अन्न तथा उन वस्तुओं और पदार्थों के जो मिलों से तैयार होते हैं, दामों में क्या आज कोई सामंजस्य है ? सन् १९३९ में हम गेहूं २ रु० ६ आने मन प्राप्त कर लेते थे। मिलों से तैयार की हुई वस्तुओं के दाम आज पांच गुने, छै गुने से अधिक नहीं बढ़े हैं। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के दाम आज आठ गुने हो गये हैं। तो फिर इस प्रश्न को भवन में क्यों उठाने की चेष्टा करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम किसानों के प्रति दुर्व्यवहार कर रहे हैं ? मैं अदब से उनसे कहूंगा कि यह तरीका चीजों के रखने का नहीं है। हमारे और आपके दृष्टिकोण में अन्तर हो सकता है, किन्तु जहां तक मेरा संबंध है मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे और उनके दृष्टिकोण में ज्यादा अन्तर नहीं है। वे शायद हवा की बातें करते हैं, मैं जमीन पर रहना पसन्द करता हूं और उसी दृष्टिकोण की तरफ जाना चाहता हूं जिसकी वे बातें करते हैं। इसलिये आज इन बातों का भवन में जिक्र करना मैं निरर्थक समझता हूं। हां, हमारे कामों में बहुत सी त्रुटियां हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी भी अभी उस स्तर को नहीं पहुंच पाये हैं। लेकिन आज सारे कर्मचारियों के बारे में यह कहना कि वे सब बेईमान हैं, ठीक नहीं है। क्या हमारे गजटेड स्टाफ में ऐसे आदमी नहीं हैं जो कम तनख्वाहें पाकर भी अधिक जिम्मेदारी की जगहों पर काम कर रहे हैं ? आज हमारे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर और टाउन राशनिंग आफिसर तीन सौ और साढ़े तीन सौ में काम करते हैं, जब कि उसी जगह पर अंग्रेज के जमाने में दो हजार, ढाई हजार पाने वाले अफसर काम करते थे। परन्तु आज वे किस योग्यता से काम कर रहे हैं ? किस ईमानदारी से काम कर रहे हैं ? जो छोटे कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं, उनमें जरूर भ्रष्टाचार है। लेकिन जैसा मैंने कहा है, हमने भ्रष्टाचार को रोका करने का प्रयत्न किया है। हम जिसको पकड़ पाते हैं, जिसकी जानकारी हो जाती है, वह हमारे विभाग में रह नहीं पाता है। हम उत्तरोत्तर तरक्की करते जा रहे हैं। इसलिये बार बार भ्रष्टाचार का सवाल उठाना क्या हमको दूसरों की नजरों में गिराना नहीं है ? आखिर जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तभी से यह बात अधिक क्यों कही जाती है ?

एक माननीय सदस्य ने कंट्रोल आफ आयरन एंड स्टील के बारे में कहा है कि उनके यहां चोरी हो गयी। इसकी बड़ी बात बना ली गयी जैसे कोई बड़े भारी ताज्जुब की बात हो। चोरी तो अक्सर हो जाया करती है। लेकिन मतलब यह निकाला गया कि उनके यहां चोरी इसलिये हुई कि वह रिश्वत लेकर पैसे खूब कमाता था इसलिये इसके अलग अलग माने लगाये जाने लगे। मैंने ५ वर्ष प्रदेश के इस विभाग में इसी पद पर काम किया है। पुरानी पार्टी के नेताओं ने मेरे और मेरे सहयोगियों के बारे में क्या क्या कहानियां नहीं कही हैं? लेकिन इस प्रदेश की जनता ने असली स्वरूप देख लिया। हम तो अपनी उसी जगह पर बैठे हैं और जो झूठी और बेबुनियाद बात फैलाते थे वह आज कहां हैं? इस इलेक्शन ने बतला दिया है कि असलियत क्या थी?

मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने राजनैतिक विचार जनता के सामने जरूर रखें लेकिन झूठी और मिथ्या बातों का प्रचार जनता में न करें। इससे राजनीतिक स्तर गिरता है। यदि आप अपने स्तर को उठाना चाहते हैं तो इधर ध्यान देना चाहिये और ऊंचे स्तर से हर मामले पर दृष्टि डालना चाहिये। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी विचारधारा भी ऊंची उठ सकेगी और हम उन बातों को कर सकेंगे जिनके द्वारा देश का कल्याण हो।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कई वक्ता बोल चुके हैं और सबको हम बड़े गौर से सुनते रहे। पंडित सीताराम जी ने बतलाया कि जब अंग्रेज थे तब इससे भी ज्यादा गरीबी थी। आप सबको मालूम है कि जब अंग्रेज थे तो उनके जमाने में कितने मुर्दों को बिना कफन के फूंका गया और कितने आदमी ऐसे हैं जो भूख को बुझा न सकने के कारण हाथ पैर बांध कर कुएं में गिरते थे। आप सड़क पर जाइये, लेकिन आप तो कार लेकर जाते होंगे। एक पत्ता भी सड़क के पेड़ों पर दिखाई नहीं देता है। एक एन० एल० ए० ने इसका बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। लखनऊ से आजमगढ़ की ओर जो सड़क जाती है उस पर यदि आप जायं तो आपको सड़क पर एक पत्ता भी नजर नहीं आयेगा। मैंने पिछले सेशन में बतला दिया कि वहां पर लोग पीपल के फल खाकर गुजर कर रहे हैं। आज वहां जो हालत हो रही है उसे जा कर देखिए। पूरब के किसी स्टेशन पर अगर जावें तो देखेंगे कि नन्हें नन्हें बच्चे जिनके लिये नहीं कहा जा सकता है कि कौन उनमें से जवाहर लाल हो सकता है, वह बच्चे सड़क पर गिरा हुआ शीरा चाटकर पेट की आग बुझाते हैं और आप लम्बी लम्बी बातें कर रहे हैं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—आप लोगों ने क्या सहायता पहुंचाई?

श्री उमाशंकर—हम लोगों ने कोई सहायता नहीं पहुंचाई मगर यहाँ आकर उनकी बात कहते हैं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो समय इस अनुदान के लिये रखा गया था वह समाप्त हो चुका है। इसलिये अब जो बहस की जा रही है वह नियमानुकूल नहीं है।

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आनरेबिल सदस्य अब खत्म करने वाले हैं।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि समय का विभाजन श्री मंगला प्रसाद, लीडर आफ दी अपोजीशन, और खेर साहब के सामने निश्चित हुआ था। तो क्या आप या ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कोई सदस्य परिवर्तन करना चाहते हैं? मुझे निहायत अदब से अर्ज करना है कि आपकी तरफ से लाइट जल जाती है

[श्री राजनारायण]

और उसके बाद भी दस मिनट तक मंत्री जी बोलते रहते हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है और हमारे उमाशंकर जी ने जब बोलना आरम्भ किया तो "पेट में लगे चूहे कूदने" और उनको तीन मिनट भी बोलने नहीं दिया जाता है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)--मैं प्वाइंट आफ आर्डर (विधान सभा का प्रश्न) प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो समय निश्चित हुआ था वह भवन की अनुमति से निश्चित हुआ था। वह समय समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूं कि सभी पक्ष के लोग समय के अन्दर कार्य समाप्त करने में मेरी सहायता करेंगे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)--मैं प्वाइंट आफ आर्डर (विधान सभा का प्रश्न) प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी विरोधी दल के नेता जो शब्द प्रयोग में लाये हैं उसके संबंध में प्वाइंट आफ आर्डर प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि आज्ञा दें तो मैं प्रस्तुत करूं।

उपाध्यक्ष--हाँ, आप रेज (प्रस्तुत) कर सकते हैं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता ने यहाँ के सदस्यों को 'चूहा' कहा है। यह शब्द पार्लियामेंटरी है या नहीं, इस पर मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्णदोष है। उसको दूर करने के लिये मने कहा है। "पेट पर लगे चूहे कूदने" हिन्दी का यह मुहाविरा है, अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मैं जनाब की तवज्जह दिलाता हूं कि जिन अल्फाज को अभी राजनारायण साहब ने इरशाद फरमाया है वे कभी भी इस ऐवान के शायानेशान नहीं हो सकते। कभी किसी मेम्बर को इस किस्म के अल्फाज किसी दूसरे मेम्बर के लिये इस्तेमाल करने का हक इस मोहज्जब दुनियाँ में हासिल नहीं है। यकीनन ये अल्फाज अनपार्लियामेंटरी हैं। मैं बहुत से अल्फाज सुनता रहता हूं और उन पर खामोश रहता हूं। कभी कोई दखल नहीं देता। एक साहब ने प्वाइंट उठा दिया है तो मैंने जनाब की जरूर तवज्जह दिला दी कि यह प्वाइंट ऐसा है जिस पर खास तवज्जुह की जरूरत है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो बहस होती है उसका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है।

श्री राजनारायण--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मैंने कर्णदोष शब्द का प्रयोग किया। कर्णदोष के क्या मानी होते हैं कृपा करके वे समझ लें। मैं फिर कहता हूं कि कर्णदोष अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उन्होंने कहा कि लगे चूहे कूदने छाती पर। ये शब्द कोई भी शरीफ आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह मुहाविरा है। अनपार्लियामेंटरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके माननीय सदस्य ऐसे शब्द प्रयोग न करें तो अच्छा है। मैं यह भी समझता हूं कि अब यह बहस समाप्त कर दी जाय, क्योंकि अनुदान का समय समाप्त हो चुका है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना (विधान सभा का प्रश्न उठाना) चाहता हूं। जब हमारी तरफ से कोई सदस्य बोलता है तो ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर दिया जाता है। अगर इसी तरह से इधर से भी प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर दिया जाया करे तो ट्रेजरी बेंचेज का एक भी

सदस्य नहीं बोल सकता। लिहाजा एक रूलिंग चाहता हूं कि जितना वक्त प्वाइंट आफ आर्डर रेज करने में खत्म कर दिया जाय उतना वक्त हमें बोलने को मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि प्वाइंट आफ आर्डर रेज करने का अधिकार दोनों पक्षों को है। अब इस बहस को समाप्त करना ही ठीक होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जितना समय प्वाइंट आफ आर्डर रेज करने में लग जाता है वह समय हमें मिल जाय ताकि उनकी बात भी पूरी हो जाय और हमारी बात भी पूरी हो जाय।

उपाध्यक्ष--इस अनुदान का समय समाप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर लें। मैंने जो कहा है उस पर आप कार्यवाही करेंगे।

श्री उमाशंकर--मैं समाप्त करता हूं मगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने अभी हमारे विरोधी दल के नेता के संबंध में भी जो आपत्ति की उसमें उन्होंने यह अल्फाज इस्तेमाल किये कि "निहायत लगौ है और किसी शरीफ आदमी के काबिल नहीं है"। मुझे इन पर एतराज है।

उपाध्यक्ष--यह एतराज तो आपको उसी वक्त उठाना चाहिये था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं चैलेंज करता हूं। मेरे अल्फाज यहाँ पर लिखे गये होंगे उनको पढ़वा लिया जाय कि मैंने क्या कहा था।

श्री राजनारायण--ऐसे अल्फाज, जैसे कि मैंने कहे थे, साधारण तौर पर इस्तेमाल हुआ करते हैं। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सदन में जो वादविवाद चल रहा है उस वाद-विवाद का स्तर हमको ऊपर की तरफ उठाना चाहिये या नीचे की तरफ। माननीय हाफिज साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जो समय का विभाजन हमारे और माननीय भंगलाप्रसाद जी के बीच तय हुआ था जिसमें माननीय अध्यक्ष की भी सम्मति थी, उस शिडयूल को तोड़ा जा रहा है। अगर इस तरह से तोड़ा जायगा और यह चाहा जायगा कि अपोजीशन की तरफ से सरकार की कमियों को न बतलाया जाय तो आप ऐसी रूलिंग (व्यवस्था) देवें, हम यहाँ से उठकर चले जायेंगे।

उपाध्यक्ष--जो समझौता हुआ था यह काम तो उसी के अनुसार चल रहा है।

श्री राजनारायण--जिस समय माननीय मंत्री जी अपना भाषण कर रहे थे तो उनका समय पूरा होने पर आपने लाइट जलाई थी और फिर उसको बन्द कर दिया था। उसके बन्द होने के १० मिनट बाद तक वे बोलते रहे। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हमारे सदस्य उनकी आलोचना करने के लिये अपना जवाब दे रहे थे तब माननीय केशवगुप्त जी ने तुरन्त ही कहा कि समय पूरा हो गया है और वह बैठ जायं।

उपाध्यक्ष--अपना भाषण करते समय माननीय मंत्री अगर दो-चार मिनट ज्यादा ले लेते हैं और अपनी पूरी बात कह देते हैं, तो यह साधारण बात है और उनको इतना

[उपाध्यक्ष]

समझ दिया जा सकता है और फिर उन्होंने तो १० मिनट के अन्दर ही समाप्त कर दिया।

(कुछ ठहर कर)

तो क्या माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री उमाशंकर--मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१८

विपक्ष में--२१६)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--राज्य व्यापार की योजनाओं (लेखा शीर्षक--८५-क-राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत ४०,६५,७८,९०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ८३--पेंशनों की संराशि का भुगतान।

वित्त मंत्री (श्री मुहम्मद हाफिज इब्राहीम)--मैं जनाब गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९--पेंशनों की संराशि (लेखा शीर्षक ८३--पेंशनों की संराशि का भुगतान) के अन्तर्गत १९,६०,००० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

यह रुपया दो चीजों में इस्तेमाल होता है। जो लोग पेंशन पाते हैं उनको कानूनन यह हक है कि वे अपनी पेंशन में से आधी पेंशन तक कम्यूट करा कर रुपया नकद ले सकते हैं। जो इस साल दरख्वास्त दी जायेंगी तो उनके लिये इस रकम में से रुपया दिया जायगा। एक तो यह है। और दूसरी रकम वह है जो दूसरी जगह हमारे यहाँ के आदमी स्टेट्स में और जगह चले जाते हैं और वहाँ उनको पेंशन वगैरह देनी होती है। उनके लिये डिसपोजल पर रुपया कर दिया जाता है। यही दो रकमें इसमें शामिल हैं। सिर्फ इतनी ही बात इसमें है और कुछ नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--मेरे कटौती के प्रस्ताव को श्री नारायणदत्त जी मूव (प्रस्तुत) करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान में से एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

वैसे तो इस अनुदान के अन्दर देखने में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी इस सदन के सदस्य कोई आलोचना करें, लेकिन फिर भी दो एक सुझाव मैं सरकार के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कटमोशन की जो परिभाषा है उसमें 'मेडिकल ट्रीटमेंट' का कोई जिक्र नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पेंशन रूल्स हैं उनको बदलना चाहिये। यह जो 'कम्यूटेड पेन्शन्स' का सवाल है उनके लिये जो नियम हैं उनको दुहराया जाना चाहिये। कल भी मैंने दुहराया था और आज भी दुहरा दूं कि आज भी मैं देख रहा हूं कि इस अनुदान में भी २ लाख ६० हजार रुपया 'कम्युटेड पेन्शन' के लिये इंगलैन्ड में जो हमारे पुराने अंग्रेज आफिसर्स यहाँ पर थे, उनके लिये रखा गया है। वैसे तो आम तौर पर मेरी

आदत नहीं है कि बातों को दोहराऊं लेकिन माननीय परिपूर्णानन्द जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बातें कल कही थीं उनको देखकर आवश्यक प्रतीत होता है कि उन भावनाओं को व्यक्त कर दूं जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के दिल में होंगी।

माननीय परिपूर्णानन्द जी ने भी और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी 'स्टर्लिंग बैलेन्सेज' और 'ट्रीटीज' का हवाला दिया और कहा कि इसी को निभाने के लिये जो अंग्रेज आफिसर्स पुराने यहाँ पर काम कर चुके हैं उनको पेंशनें दे रहे हैं और अगर पेंशनें नहीं देंगे तो स्टर्लिंग बैलेंसेज का मामला खत्म हो जायगा। मुझे माननीय परिपूर्णानन्द जी और माननीय वित्त मंत्री जी की बातों को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या यह सब बातें हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी ने जो शब्द कहे थे उनके अनुकूल हैं जो उन्होंने बुलन्दशहर के अपने व्याख्यान में इसी साल के शुरू में कहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारा राष्ट्र किसी भी अपमानजनक शर्त पर किसी भी समझौते को मानने के लिये तैयार नहीं है। आपने देखा कि अमेरिका से 'फूड ग्रेन्स' लेने का मामला आया था। ८० करोड़ रुपये की बचत होती थी और अमेरिका 'फ्री फूड ग्रेन्स' सप्लाई कर रहा था लेकिन हमने कहा था कि हम किसी भी अपमानजनक शर्त पर समझौता करने के लिये तैयार नहीं हैं भले ही, हमारे राष्ट्र को लाखों रुपये का भार उठाना पड़े।

अभी हाल ही में झंडे का सवाल उठा था। ब्रिटिश 'क्वीन' के 'बर्थ डे' के दिन हमारे पार्लियामेंट हाउस में झंडा यूनियन जैक लगा था। पं० जवाहरलाल जी ने कहा था कि यह झंडा नहीं फहराया जाना चाहिये था। वह नहीं डरे जैसे हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी डर गये कि हम अगर पेंशन न दें तो शायद स्टर्लिंग बैलेंसेज पर खलबली आ जाय। मैं कहता हूं कि अगर हमारे स्टर्लिंग बैलेंसेज इंगलैण्ड के पास सुरक्षित हैं तो इंगलैण्ड के भी कुछ 'असेट्स' हमारे पास मौजूद हैं। उनका भी तो खयाल किया जाय। अगर रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट देखी जाय तो मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी को बताऊं कि ६ अरब ४२ करोड़ ४४ लाख के ब्रिटिश 'एसेट्स' यहाँ पर मौजूद हैं। अगर उनके पास स्टर्लिंग बैलेंसेज मौजूद हैं तो हमारे पास भी उनके असेट्स मौजूद हैं। तो दोबारा इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रदेश की जनता किसी भी प्रकार किसी भी पुराने ब्रिटिश अधिकारी को, जिसने यहाँ की जनता का दमन किया, पेंशन नहीं देना चाहती। क्या यहाँ हमारे प्रदेश की जनता उस हार्डी को पेंशन देना चाहेगी जिसने गाजीपुर और बलिया में जनता का दमन किया? क्या हमारी जनता नेदरसोल साहब को भूल सकती है जिन्होंने सालों तक निरीह ग्रामीण जनता पर अत्याचार किया? क्या यह सदन उन सभी अफसरों को पेंशन देने के लिये तैयार है, क्या कोई भारतीय नागरिक डायर और ओडायर जैसे नरभक्षकों को पेंशनें देने के लिये तैयार है, क्या हम उन पर इतनी मेहरबानी करें? मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य की और जनता की यह भावना नहीं है कि उनको पेंशनें दी जायें। अगर प्रान्तीय सरकार और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम कह तो सकती है कि प्रान्तीय सरकार इन पेंशनों को देने के लिये तैयार नहीं है और उन ट्रीटी की सभी शर्तों को फिर से दोहराया जाय और केन्द्रीय सरकार से कहा जाय कि हमारे प्रदेश की जनता इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है और किसी भी हालत में ऐसे अफसरों को किसी प्रकार की कोई सहायता या पेंशन देने के लिये तैयार नहीं है जिन्होंने सालों तक देश की निरीह जनता को पैरों तले रौंदा है और हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को और हमारे यहाँ के करोड़ों नागरिकों को कुचलने की पूरी-पूरी चेष्टा की है। जब हम इसमें यह रकम देखते हैं तो हमें बड़ा दुःख होता है। इतना कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--चूंकि यह ट्रीटी का मामला है, यह भारतीय सरकार से संबंध रखता है, इस प्रदेश की सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात साफ कर देना चाहता हूं। माननीय नारायणदत्त जी ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट को पढ़ा तो लेकिन उसे समझा नहीं। जिसको रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ब्रिटिश असेट्स माना है वे लिक्विड असेट्स नहीं हैं जिनको हम स्टर्लिंग बैलेंसेज के साथ मिला सकें। वे वे असेट्स हैं जो बृटिश कंपनियों के हैं, जैसे ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन व बैग सदरलैण्ड वगैरह जो यहाँ भारत में काम करती हैं। दूसरी वह रकम है जिसे इंडिया गवर्नमेंट ने खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन (औद्योगीकरण) के लिये निमंत्रित किया है, उसको रिजर्व बैंक ने मिला कर एक लिक्विड असेट के रूप में दिखलाया है। स्टर्लिंग बैलेंसेज को और पेंशनों को मिलाकर उन्होंने भूल की है। स्टर्लिंग बैलेंसेज के बाद जब पेंशन की बात आई तो उसमें बहुत से ऐसे आइटम्स थे जिनको यहाँ स्पष्ट करना उचित नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे संबंध है। यदि मैं उनको यहाँ स्पष्ट करूं तो माननीय सदस्य यह मानेंगे कि हिन्दुस्तान की रकम कहीं ज्यादा वहाँ फंसी है। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी दल की तरफ से यह हल्ला मचाया गया था कि ब्रिटेन की पूंजी बहुत काफी हमारे देश में फैली है। अगर ६,४०० करोड़ को जो हमारे व्यापार की लेन-देन समझा जाता है उसकी तुलना में ६८२ करोड़ देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जावेगा कि समाजवादी हल्ला गलत था और इसकी सफाई हमारे समाजवादी दल ने कर दी। मुझे हर्ष है कि उन्होंने ऐसा कर दिया। जो हो, स्टर्लिंग बैलेंस के साथ ६८२ करोड़ भी विदेशी पूंजी के साथ मिलान गलत है। यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, जो दो बातें कही गयी हैं उनसे मेरे नजदीक एक भी जवाबतलब नहीं है। जहाँ तक पेंशन रूल्स के तरमीम होने का सवाल है, कोई रुकावट इस कटमोशन के पेश करने वाले मेम्बर साहब के रास्ते में नहीं है कि अगर वे उसमें कोई तब्दीलियाँ करना चाहते हैं तो वे हमको लिख कर दे सकते हैं और हम उन पर गौर कर सकते हैं। अगर वे मुनासिब होंगी तो जरूर कर दी जावेंगी। तो उस बात को दोबारा और तिबारा कहने की जरूरत नहीं है। इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि उसका इनीशियेटिव गवर्नमेंट की तरफ से हो। जो कुछ वे चाहते हैं वे बतलावें।

जहाँ इंगलैण्ड को रुपया दिया जाता है मैं कल कह चुका हूं और मुझे ताज्जुब मालूम होता है कि अब भी किसी मेम्बर साहब की यह राय रहे कि जो रुपया वहाँ दिया जाता है वह न दिया जाय। वे लोग यहाँ नौकरी कर चुके हैं। इंटरनेशनल कानून और इंटरनेशनल मारेलिटी (अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता) का सवाल है। समझौता हो चुका है जिसे हमने मंजूर किया है। दुनिया में इस तरह काम नहीं चलता है कि इस शख्स ने मेरे भाई को कत्ल किया तो मैं इससे कोई भी वास्ता न रखूं। कुल १५ मिनट इस अनुदान के लिये हैं, इसलिये मैं इस वक्त ज्यादा नहीं कहना चाहता। तो जो बातें कही गयीं हैं वे बिलकुल आफ दि प्वाइंट (विषय से असम्बद्ध) हैं। मैं समझता हूं कि मेरे लिये इतना ही कह देना काफी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने मेरी बात आफ दि प्वाइंट की बात कही। यह स्टर्लिंग बैलेंसेज का सवाल तो माननीय परिपूर्णानन्द जी ने उठाया था। मैंने 'इंटरनेशनल' कोई बात नहीं कही। मैंने तो प्रान्त की बात कही कि प्रान्त का रुपया दिया जा रहा है। अगर इंटरनेशनल बात थी तो सरकार उसे 'चार्ज्ड' (भारित) में रख देती ताकि हाउस उस पर बहस ही न कर सकता। 'कान्स्टीट्यूशन' में लिखा है कि जिस पर सदन में बहस नहीं होगी वह 'चार्ज्ड' में रखा जाय। तो मैं समझता हूं कि यह बेकार की बहस नहीं है। अगर 'आफ दि प्वाइंट' बातों की शुरुआत की तो माननीय परिपूर्णानन्द जी ने की। 'लिक्विड एसेट' (तरल पूंजी) की जहाँ तक बात है, ब्रिटेन के ही तो लिक्विड एसेट यहाँ पर हैं। अगर स्टर्लिंग बैलेंस

के लिये डर की बात है तो ब्रिटेन को भी अपने एसेट के लिये, जो कि यहाँ मौजूद है, अवश्य डर होगा। मेरे कहने का दरअसल मतलब यह है कि इस प्रश्न को श्री परिपूर्णानन्द जी ने ही उठाया था। ऐसे अफसरों को पेंशनें देना हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि यह हमारा अपमान है, सदन का अपमान है, सारे देश का अपमान है और खासकर के हमारे इस राज्य का अपमान है जिसके नाम पर हम ऐसे अफसरों को पेंशन देने का प्रस्ताव पास करें और इतनी बड़ी बड़ी रकमें उनकी पेंशन के लिये दें जिन्होंने पीछे सालों में हमारा दलन और अपमान किया है। यह बात हमारी राष्ट्रीय भावना के भी विरुद्ध है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की जो बात कही गयी है उसका इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कतई ताल्लुक नहीं है। मैंने नारायणदत्त जी की बात को समझने की कोशिश की लेकिन शायद अपनी नासमझी की वजह से मैं उनको समझ नहीं सका। मैं नहीं समझ सका कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या था और उन्होंने क्या कहा।

उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी नहीं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--पेन्शनों की संराशि (लेखा शीर्षक ८३--पेन्शनों की संराशि का भुगतान) के अन्तर्गत १९,६०,००० रुपये की रकम स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(8) अनुदान संख्या ८--लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८--अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क) के अन्तर्गत २६,२३,४०० रु० की माँग स्वीकार की जाय।

जो बिक्री कर, मोटर स्पिरिट कर, इंटरटेनमेंट (प्रमोदकर) और बेटिंग टैक्स (पणनकर) लगा हुआ है इस स्टेट में उनके वसूल करने के लिये जो मशीनरी है, उस पर जो खर्चा होता है, वह खर्चा इस अनुदान के जरिये माँगा गया है। उसकी तफसील इस किताब के अन्दर इस अनुदान के मातहत पूरी लिखी हुई है। इससे ज्यादा इस पर कोई रोशनी डालने की जरूरत नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुदान इस सदन के सामने रखा है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव मैं पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के पढ़ने से यह मालूम हुआ कि पार साल २४,८४,००० रुपया इस अनुदान के लिये स्वीकृत हुआ था लेकिन इस बार २६,२३,४०० रुपया रखा गया है। यानी इस साल १,३९,४०० रुपया की वृद्धि की गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट को पढ़ने से भी मालूम हुआ कि यह जो १,३९,४०० रुपये की वृद्धि की गयी है वह कर विभाग में काम करने वाले अधिकारियों की तनख्वाह और भत्ते के लिये की गयी है। जो कर विभाग में छोटे-छोटे काम करने वाले क्लर्क हैं, ड्राफ्ट्समैन और ओवरसियर

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

हैं, चपरासी हैं और अस्थायी कर्मचारी हैं उनके वेतन को बढ़ाने के लिये यह वृद्धि नहीं की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अनुदान में वृद्धि की जा रही है। दूसरी तरफ मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बजट पढ़ने से यह मालूम होता है कि जिस चीज के लिये इस अनुदान में वृद्धि की जा रही है उसकी आय में कमी हो रही है। जो सरकार की ओर से बजट में आँकड़े उपस्थित किये गये हैं उनको बहुत गौर से हमने पढ़ा है। मनोरंजन कर पार साल १९५१-५२ ई० में आमदनी हुई थी ८५ लाख रुपये की। इस साल १९५२-५३ ई० में ८३ लाख रुपये हो रही है। दो लाख की कमी हो रही है। कर की उगाही में पार साल १,२९,९०० रुपया खर्चा हुआ था। इस साल २,०९,५०० रुपये खर्च किये जा रहे हैं। ७९,६०० रुपये की कर की उगाही में वृद्धि हो रही है। बिक्री-कर में इस साल ८५,४०० रुपया अधिक व्यय हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद बाकी कर पर जो व्यय हो रहा है उसमें पार साल जो आमदनी हुई थी, वह १० लाख ४ हजार रुपया हुई थी और इस साल १० लाख रुपये की हो रही है। ४ हजार रुपये की उसमें कमी हो रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ अनुदान में ज्यादा रुपया माँगा जा रहा है और दूसरी तरफ जो साल में रुपया मिलने वाला है उसमें कमी हो गयी है। इसके आगे और डिटेल (विस्तार) में बताना चाहता हूं कि इस आमदनी में दूसरी मदें भी आती हैं। गन्ने पर अबवाब जो लिया जाता है इसी में उसकी भी आमदनी आती है। हमने बजट की आमदनी को जो देखा है तो देखने के बाद यह मालूम हुआ है कि पारसाल १९५१-५२ ई० में ३,९०,००,००० रुपये की प्राप्ति हुई थी और .....।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं जनाबवाला के जरिये से जो साहब तकरीर फरमा रहे हैं उनसे यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि शकर का रुपया किस जगह है?

श्री रामसुन्दर पांडेय---बजट जो है उसमें जो आमदनी लिखी हुई है उसी से मैं कह रहा हूं। अगर वह गलत है तो बजट गलत है इसमें .....।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं यह समझता हूं कि जो वे फरमा रहे हैं उसका मतलब यह है कि जो अनुदान इस वक्त पेश है इसके अन्दर कहीं शकर का रुपया लिखा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं उदाहरण देकर साबित करना चाहता हूं। तो १९५१---५२ में ३,४०,००,००० रुपये की प्राप्ति हुई और १९५२---५३ में ३,२०,००,००० रुपये की प्राप्ति हो रही है। बीस लाख का घाटा इस साल गन्ने में हुआ है।

सन् १९४८ ई० में जो बिक्रीकर लगाया गया था और जो आज भी चल रहा है सोशलिस्ट पार्टी उसके बहुत खिलाफ है। उपाध्यक्ष महोदय, अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिक्रीकर लगाया गया है और शायद फिर आगे लगाया जाने वाला है उससे जो गांवों में गरीब आदमी हैं, शहर में जो गरीब आदमी रहते हैं, उनके ऊपर कर का बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। मैं तो अदब के साथ वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप का यह जो बिक्री कर है इसको उठा देना चाहिए और जो जनता भूखों मर रही है जो लोग खाना नहीं पा रहे हैं, कपड़ा नहीं पा रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है उनके ऊपर बिक्री कर लगाना और उनके उगाहने वालों की तनख्वाहों को बढ़ाना मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता के ऊपर अन्याय करना है। मैं आपसे अदब के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि १९५१-५२ में इसमें प्राप्ति हुई थी ४ करोड़ ९५ लाख की और १९५२-५३ में प्राप्ति हो रही है ४ करोड़ ९० लाख की। ५ लाख रुपये की कमी इस साल भी बिक्री-कर में हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के पढ़ने से यह मालूम होता है कि ७२ लाख रुपये की कमी इस साल पारसाल के मुकाबले में आमदनी में हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, अदब के साथ मैं

कहना चाहता हूं कि जो मनोरंजन पर कर है, सिनेमाघरों पर कर हैं, मैं देखता हूं कि सिनेमाघरों पर बहुत भीड़ हर वक्त हो रहती है। छोटे-छोटे आदमी भी जो कम पैसा कमाते हैं वे भी देखते हैं और बड़े आदमी भी देखने जाते हैं। लेकिन सरकार को चाहिये कि छोटे दर्जे का जो किराया है वह कम कर दे और बड़े आदमी जो ऊंचे दर्जे में जाते हैं, उन पर किराया और अधिक लगाये।

दूसरी तरफ आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि आज जब चारों तरफ बिक्री-कर के विरोध में हल्ला मचा हुआ है। अभी मैंने देखा है कि इस अनुदान पर हमारे बहुत से काँग्रेसी सदस्य भी जो यहाँ बैठे हुए हैं इसी समय में उनकी तरफ से कटौती के प्रस्ताव है कि यह जो बिक्री कर का तरीक़ा है इसको ख़त्म किया जाय। मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हू कि यदि आप प्रदेश में इकोनामी (आर्थिक दशा) की तरक्क़ी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो करोड़ों आदमी भूखे और नंगे हैं जो इस कर के बोझ से दबे जा रहे हैं तो उन टैक्सों को बन्द कीजिये और बड़े बड़े आदमी जो कानपुर, लखनऊ और आपके प्रदेश में फैले हुए हैं, जो छोटी सी तादाद में हैं, मुट्ठी भर हैं लेकिन सारे सूबे के किसानों, मजदूरों और छोटे छोटे कर्मचारियों की कमाई को लूटकर अपना खजाना भरना चाहते हैं उन पर टैक्स लगाइये और टैक्सों की उस आमदनी को इकट्ठा करके और कामों में लगाइये। मैं आप से बार बार कहूंगा कि आप बिक्री-कर को ख़त्म करें और छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों में वृद्धि कीजिये, बड़े-बड़े कर्मचारियों की तनख्वाहें कम कीजिये। छोटों का भला करेंगे तो उससे दोहरा फ़ायदा होगा। जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं वे आपका नाम लेकर आपका सुयश गायेंगे और गाँव में बसने वाली जनता आपको आशीर्वाद देगी।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी वसूली की प्रणाली से भ्रष्टाचार भी फैलता है। मैं देखता हूं कि कर लेने वाले आज घूस लेते हैं और उन करों से सरकार को, जो सही मानों में फायदा होना चाहिये, वह नहीं होता है। सरकार माने या न माने लेकिन सब लोग जानते हैं कि टैक्स लेने वाले आदमी भ्रष्टाचार फैलाये हुए हैं। मैं माँग करता हूं कि आप एक कमेटी मुक़र्रर कीजिये जो इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ जाँच करे और कर की वसूली के बारे में आपको राय दे सके।

श्री सुल्तान आलम खां (ज़िला फर्रुखाबाद)--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, जो मद इस वक्त हमारे सामने ज़ेरे बहस है उसके सिलसिले में माननीय मंत्री ने, जिस वक्त कि वह अपना भाषण बजट को पेश करते वक्त दे रहे थे, कुछ इशारा किया था। माननीय मंत्री ने जो तक़रीर फरमाई थी, उन्होंने उसमें हमको कई एक टैक्सों का इशारा दिया था कि जिसको बजट में बैलेंस देने के लिये हमको लगाना पड़ा। उन्होंने डेवलपमेंट लेवी, बेटरमेंट लेवी, स्टाम्प ऐंड रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मातहत शरहों में इजाफा, मोटर विहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स और यू० पी० सेल्स ऐक्ट, इन चीजों का हवाला किया था जिन पर नये टैक्स लगेंगे या इन टैक्सों की शरह बढ़ाई जायगी।

हुज़ूरवाला, टैक्स दो क़िस्म के होते हैं। एक तो डिरेक्ट टैक्सेशन (प्रत्यक्ष करारोपण) होता है, दूसरा इंडिरेक्ट (अप्रत्यक्ष) क़िस्म का होता है। जाहिर है कि जो टैक्स डिरेक्ट हो और बराहरास्त जिसका जेब पर वजन पड़े वह टैक्स आम तौर पर लोग पसन्द नहीं करते। इस वजह से मैं माननीय मंत्री से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि यह सही है कि बजट का बैलेंस (संतुलन) करने के लिये कहीं न कहीं से रुपया हासिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पेश्तर इसके कि हम टैक्स के नये रास्ते दरियाफ्त करें और मजबूर हों कि टैक्स लगायें, एक सूरत यह बहुत मुनासिब मालूम होती है कि हम इस बात का जायजा लें कि हम कहां तक अपने अखराजात में कमी कर सकते हैं। मैंने उस दिन जब तक़रीर की थी तो मैंने यह बात अर्ज की थी कि इस बात की जरूरत महसूस होती है कि हम एक इकोनामी कमेटी

[श्री सुल्तान आलम खां]

बिठायें और उसके जरिये इस बात का जायजा लें कि हम अपने सूबे में अपने अखराजात में कहां तक कमी कर सकते हैं। मैंने उस दिन यह भी अर्ज किया था कि बम्बई गवर्नमेंट ने अब से बहुत पहले सन् १९४६ में एक ऐडमिनिस्ट्रेशन इनक्वायरी कमेटी (प्रशासन परिप्रश्न समिति) बिठलाई थी और उस कमेटी ने दो साल तक काम किया। उसके बाद उसने एक रिपोर्ट पेश की और उसके जरिये से ५० लाख रुपये की बचत निकल सकी।

अभी हाल में बिहार गवर्नमेंट ने एक इकोनामी कमेटी बिठलाई थी जिसके सदर वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उस कमेटी ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश की है, जोकि अब छप गयी है। यहां पर मुझे मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले सालों में इस बात की कोशिश की कि वह इनक्वायरी कराये और उसके बाद अगर कोई बचत की सूरत पैदा हो सकती है तो वह पैदा करे। ऐसी शायद एक कमेटी भी बिठलाई गयी थी, लेकिन हमें उसकी रिपोर्ट नहीं मिल सकी और मैं समझता हूं कि उसका भी जो नतीजा होना चाहिये था वह नहीं हो सका। इसलिये मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मंत्री इस मामले में गौर फरमायें कि इसकी क्या शक्ल हो सकती है कि एक ऐसी इनक्वायरी और ऐडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बिठलाई जाय जो हमारे सूबे में इस बात की जांच-पड़ताल करे कि डिस्ट्रक्ट लेबिल पर और सेक्रेटेरियट लेबिल पर हम अपने अखराजात में क्या कमी कर सकते हैं। अगर उसके जरिये से रुपये की बचत हो जाय तो यह बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यह तो वाकया है कि हमें डेवलपमेंट (विकास) के काम को आगे बढ़ाने के लिये रुपये की काफी जरूरत है और हमारी गवर्नमेंट इस बात का तहैय्या कर चुकी है कि वह डेवलपमेंट के काम को किसी सूरत से भी स्टाप होने (रुकने) नहीं देगी जैसा कि हमारे बजट से मालूम होता है कि इस साल डेवलपमेंट की मुख्तलिफ मदों पर तकरीबन २० करोड़ रुपया रखा गया है।

हुजूरवाला, मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जहां तक सेल्स टैक्स का ताल्लुक है और जिसका इस ग्राट से खास तौर से ताल्लुक है उस सेल्स टैक्स के मुताल्लिक भी पब्लिक को काफी शिकायतें हो रही हैं। सेल्स टैक्स में एक दो बड़ी खामियां हैं जैसे कि कहा जाता है कि सेल्स टैक्स मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स (बिक्रीकर बहुमुखी कर) है। एक एक चीज की बिक्री पर कई कई जगह टैक्स पड़ जाता है। जब इसकी छान बीन की जाय और इसके शरह के मुताल्लिक कोई नया फैसला हो तो इस मसले के मुताल्लिक भी गौर कर लेना चाहिये।

दूसरा टैक्स जिसका इसमें जिक्र है वह मोटर की स्प्रिट का टैक्स है। इस पर टैक्स बढ़ाये जाने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिये कि अगर जरूरत हो तो यह बढ़ाया जा सकता है मगर यह भी वाकया है कि मोटर गाड़ी अब लक्जरी (विलासिता) नहीं रही, वह अब एक नेसेसिटी आफ लाइफ (जीवन की आवश्यक वस्तु) है। बहरहाल इस टैक्स का मामला हो या किसी दूसरे टैक्स का मामला हो, मैं समझता हूं कि इस हाउस की यह ख्वाहिश होगी कि जहां तक हो सके टैक्स एवायड (कर अपवर्जित) किये जायं और अगर टैक्स लेने की जरूरत हो तो बजाय इसके कि वह डाइरेक्ट टैक्सेशन हो, इंडाइरेक्ट टैक्सेशन हो क्योंकि यह ज्यादा मुनासिब है और वह उस वक्त लगाये जायं जब छानबीन करके हम यह देख लें कि हम इकोनामी (मितव्ययिता) के जरिये से कितनी कमी कर ली है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष जी, बजट के बहस के दौरान में मैंने अर्ज किया था कि जो नये टैक्सेज लगाये जाने वाले हैं आज के हालात में खास तौर पर जबकि बिक्री कम हो रही है लोगों की परचेजिंग पावर (क्रय-शक्ति) बहुत कम है, अगर इस साल न लगाये जायं तो मुनासिब होगा। माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को फरमाया था कि अगर कोई सुझाव ऐसे दिये जायं जिनसे खर्चे में कमी की जा सके या

और कहीं आमदनी बढ़ाई जा सके तो वे उसका खैरमकदम करेंगे और उसका स्वागत करने के लिये तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो आज यह मनोरंजन कर हमारे सामने आया है।

(इस समय ४ बज कर ६ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उसने हमको एक इशारा किया कि कमी कहां मुमकिन है। हमारे साथी ने जिन्होंने अभी फरमाया हमारे मुंह का कौर छीन लिया। मैंने यह देखा कि दो साल के अन्दर खर्च एक लाख से बढ़ कर दो लाख हो गया और आमदनी सिनेमा के टैक्स से उतनी की उतनी ही रही और यह खर्चा जो बढ़ा वह किसी और मद पर नहीं, सिर्फ मुलाजिमीन की तनख्वाहों और भत्ते पर ही बढ़ गया। जब मैंने इसमें यह देखा तो मैंने वह आंकड़े भी देखे कि हम कुल सरकारी मुलाजिमीन पर कितना खर्च करते हैं। तो मुझे इस बात का पता लगा कि हम इस वर्ष मय डियरनेस एलाउन्स के २४ करोड़ ५० लाख रुपये के करीब अपने मुलाजिमीन पर खर्च करने जा रहे हैं और तीन साल पहले के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक २१ करोड़ कुछ लाख खर्च किये थे। दो तीन साल में हमारे सरकारी मुलाजिमीन का खर्च ३ करोड़ बढ़ गया। मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से यह अर्ज करूंगा कि यह ठीक है कि हमारे मुलाजिमीन बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहियें। यह भी ठीक है कि हमारे सरकारी कर्मचारी मुनासिब तरीके पर, अगर उनको अवसर हो तो दरख्वास्त भी करेंगे और जोर भी मारेंगे कि उनकी तनख्वाह बढ़े। लेकिन हमारे बजट का ४० फीसदी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर खर्च होना, यह कुछ मुनासिब नहीं होगा। मैं अर्ज करूंगा कि इस पर आप विचार करें और जोर के साथ गौर करें कि किस तरीके से हम इसमें कमी ला सकते हैं। मैं आपसे कोआर्डिनेशन (सहयोग) के लिये निवेदन करूंगा। मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह जरूरी है कि लखनऊ से लेकर छोटे छोटे गांवों तक में जहां पर सिनेमा खुले हुए हैं वहां आप एक नया महकमा इसका कायम कीजिये। आप इस काम को जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर सकते हैं कि वह अपने यहां के किसी मुलाजिमीन के जरिये इस काम को करवा लें। इसी तरह अगर और सर्विसेज में आप कोआर्डिनेशन का इंतजाम करें तो फायदा हो सकता है और खर्च में कमी हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि हम जो तालीम की अगर कोई तस्वीर है और तफरीह की कोई तस्वीर है तो उन दोनों पर एक सा टैक्स लेते हैं, यह बात गैर-मुनासिब है। मैं अर्ज करूंगा कि तालीम की तस्वीरों पर जिनसे हमारा फायदा होता है टैक्स कम कीजिए और तफरीह की तस्वीरों पर टैक्स दुगुना कीजिए। मैं आपसे यह भी अर्ज करूंगा कि हमने जुये पर टैक्स लगाया है। आज जुए पर और बैटिंग पर टैक्स दूना कीजिये। किसी नागरिक को एतराज नहीं होगा, सट्टे वालों को छोड़ कर। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आप आमदनी बढ़ाना चाहें तो वोकेशनल टैक्स (व्यावसायिक कर) लगा सकते हैं। वकीलों, प्लीडर्स, और ऐडवोकेट्स पर आप सालाना लाइसेंस ले रहे हैं इसी तरह से बहुत से लोग हैं, डाक्टर्स वगैरह जिन पर आप टैक्स लगा सकते हैं। बहुतों का नाम लेना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता, लेकिन वित्त मंत्री अगर गौरो खोज करेंगे तो उनको बहुत से ऐसे लोग मिल जायेंगे जिनसे वह टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो इसलिये वोकेशनल लाइसेंस को लगा कर आमदनी बढ़ायी जा सकती है।

मैं अर्ज करूं कि जहां तक सेल्स टैक्स का ताल्लुक है जो जिन्दगी की जरूरी चीजें हैं जिनको हर फर्द, छोटी सी छोटी तनख्वाह पाने वाला बाजार से खरीदता है उन पर अगर आप सेल्स टैक्स छोड़ें या सिंगिल प्वाइंट टैक्स (एकलमुखी कर) लगायें तो

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

अच्छा हो और अगर आप विदेशों से आने वाली तथा लग्जरी (विलासिता) की चीजों पर टैक्स बढ़ायें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। इसके अलावा जो आपने मोटर स्पिरिट पर टैक्स लगाया है इसमें मैं यह अर्ज करूंगा कि मोटर स्पिरिट जो हमारे सूबे में पेट्रोल में मिलाई जाती है वह बहुत ही खतरनाक है स्टेट के लिये भी और जो मोटर चलाते हैं उनके लिये भी। आप देखें कि आप की बसेज और जितनी गाड़ियाँ हैं उनकी मशीन इंजन को कितना भारी नुक्सान पहुंच रहा है। जहाँ तक मेरी इत्तला है और एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञ) ने बताया है कि इससे आमदनी से कहीं ज्यादा नुक्सान पहुंचता है। इसलिये इस पर आप एक्सपर्ट्स से राय लेकर अपनी राय कायम करें।

दूसरी बात मुझे अर्ज करना है कि आप जो नये टैक्स लगाने जा रहे हैं उनको आप एक साल के लिये रोक सकें तो अच्छा है और कहीं से इधर उधर से बजट को ठीक करके डेवेलपमेन्ट की स्कीम को भी न रोकें और सारा काम चल जाय और टैक्स भी न लगाना पड़े। मुझे यही अर्ज करना है।

श्री झारखन्डे राय (जिला आजमगढ़)---ऐसा कहा जाता है कि गाँधीवाद दर्शन मुख्यतः नैतिकता पर आधारित है। लेकिन बजट के एक हिस्से को पढ़कर यह मालूम होता है कि अब भी ऐसी चीजें बाकी हैं जिनके लिये सामाजिक अपराध होने की घोषणा नहीं की गई है, परन्तु जो सामाजिक रूप से अनैतिक हैं। जुये पर टैक्स लगाया गया है और बाजी पर भी लगाया गया है। इससे साफ जाहिर है कि जुवे को सरकार किसी हद तक अलाऊ (अनुज्ञापित) करती है। मैं समझता हूं कि गाँधी जी के सिद्धांत के अनुसार भी यह अनैतिक है। जुआ तो खुला हुआ जुआ है और बाजी लगाना छिपा हुआ जुआ है। दोनों को सामाजिक अपराध घोषित कर दिया जाय जिससे हमारे सूबे का, हमारे समाज का और हमारी जनता का जो स्तर गिरता है वह ऊपर उठे और जुआ इस तरह से दबा दिया जाय जिससे जनता जुआ खेलकर अपने धन, शरीर और नैतिकता का अपहरण न होने दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें उठाई गई हैं जिनका जवाब देना मैं उचित समझता हूं। काँग्रेस सरकार के पास दो ही हथियार हैं जिनसे वह अपने विरोधियों को जवाब दिया करती है। एक नैतिकता और दूसरा डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र)। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जो राज्य कायम है वह जो जनतन्त्रवाद पर नहीं है, तानाशाही है। रूस में भी, चीन में भी और हिन्दुस्तान में भी तानाशाही राज्य कायम है। रूस में मजदूरों का है और चीन में जनता का है और हिन्दुस्तान में पूंजीपतियों का है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं जनाबवाला की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि यह जो अनुदान पर बहस हो रही है उस पर जो तकरीर हुई है उनमें से किसी में भी यह बात नहीं हुई जिससे इन बातों का तजकिरा किया जाय। पिछले किसी मौके पर कही हुई बातों का इस वक्त जवाब देना रेलेवेंट (सुसंगत) है या नहीं ?

श्री झारखन्डे राय---मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री इस पर ध्यान देंगे कि जो बहस उठाई गई है उनके ऊपर जो बातें इस विषय से विषयांतर में होती हैं उनको कुछ न कुछ कहने की जरूरत होती है।

अध्यक्ष---मैंने तो नहीं कहा कि रेलेवेंट (सुसंगत) नहीं है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री झारखन्डे राय---मैं कुछ सुझाव देकर अगर कुछ समय रहेगा तो दो तीन बातें कहूंगा। पहला सुझाव यह है कि विलासिता की सामग्री यानी जो लग्जरी की चीजें हैं उन पर टैक्स ज्यादा बढ़ाया जाय। लेकिन साथ ही साथ इस तरीके पर टैक्स रखा जाय कि मानो एक सिनेमा जाने वाला है जो फर्स्ट क्लास का टिकट लेता है कुछ सेकेन्ड क्लास का लेते

और कुछ थर्ड क्लास का लेते हैं। इसलिये टैक्सेशन उस हिसाब से होना चाहिए कि अधिक बोझा फर्स्ट क्लास वाले पर पड़े, उससे कम सेकेंड क्लास वाले और सबसे कम आखिरी दर्जे वाले पर पड़े। इस तरह से आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है और गरीब जनता पर टैक्स भी कम हो सकता है।

दूसरी चीज बाजी लगाने और जुवे के बारे में मैं आपके जरिये अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी से अपील करूंगा कि आप इसको बिलकुल सामाजिक अपराध करार दे दीजिए। बाजी लगाना या जुआ खिलवाना यह किसी भी सरकार के लिये बिलकुल अनैतिक काम है। गाँधीवादी सिद्धांत के हिसाब से भी गलत चीज है और जो कोई भी प्रगतिशील तरीका सोचने का हो सकता है उसके हिसाब से भी गलत है। इसे खत्म कीजिए।

तीसरा सैल्स टैक्स के बारे में मेरा सुझाव है। इसका बोझ उन लोगों पर पड़ता है जो चीजें खरीदते हैं। इसलिये सेल्स टैक्स को खत्म करके उससे जो घाटा आपको होता है अपने सूबे के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके ऊपर टैक्स लगाकर वसूल किया जाय।

चौथी चीज शुगरकेन पर सेस (उपकर) है, इसको आधा कर दिया जाय, ताकि शुगरकेन पैदा करने वाले जो गरीब किसान हैं उनको कुछ बचत हो सके।

जहाँ तक डैमोक्रेसी की बात है मैंने पहले ही बतलाया था कि डेमोक्रेसी का नाम लेकर आप सरकार की खामियों को छिपाना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। सोवियट रूस और चीन की बात यहाँ कही जाती है। पोस्टवार सोवियट यूनियन (युद्धोत्तर सोवियट संघ) में चार बार चीजों के दाम कम हो चुके उन चीजों के दाम जिनको जनता रोजाना इस्तेमाल करती है। पिछली बार औसतन १५ फीसदी चीजों के दाम कम किये गये। जनता खाना, कपड़ा, मकान, अपने बच्चों के लिये दवा, पढ़ाई का इन्तजाम यह सब चीजें चाहती है न कि जनतन्त्रवाद और एकतन्त्रवाद के झगड़े में अपनी जान गंवाना। चीन में सन् १९५१-५२ के आर्थिक वर्ष में चीजों के दाम औसतन ८ फीसदी घटाये गये जो हमसे और आपसे पिछड़ा हुआ था। यह एक साल में दूसरी बार किया गया। चीन और रूस की बात कह कर यहाँ अपनी खामियों को छिपाने की चेष्टा की जाती है, यह गलत है।

एक बात और कहूंगा। वह है परिपूर्णानन्द जी के बारे में। उन्होंने यहाँ पर दो तीन बातें ऐसी कहीं जिनको सुनकर अचरज हुआ। मुश्किल यह है कि अगर यह कहा जाय कि हत्यारे अंग्रेजों को पेन्शन मत दो जिन्होंने देश को गुलाम बनाया अभी हाल तक गुलाम रक्खा और जाते वक्त मुल्क को बरबाद कर दिया तो कहा जायगा कि नैतिकता हमारी ऐसी है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता कि च्यांग-काई-शेक को चीन में बनाये रखने .....

अध्यक्ष--माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि असंगत बात हो रही है। परिपूर्णानन्द जी अभी इस अनुदान पर बोले नहीं हैं।

श्री झारखंडे राय--अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बात कही थी।

अध्यक्ष--पिछले अनुदान के वक्त कही होगी, उसका जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता है।

श्री झारखंडे राय--इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं कि डेमोक्रेसी का नाम लेकर खामियों को छिपाने की कोशिश न की जाय। जो जनता की बुनियादी आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करके आप आगे बढ़ें।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सकुचा जरूर रहा था, इसलिये कि मैं उपस्थित ही नहीं था। मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। इस अनुदान में कुछ टैक्स की बातें हैं। मैं समझता हूं कि किसी टैक्स के लगाने से या न लगाने से किसी बजट की अनुकूलता नापी नहीं जा सकती। टैक्स लागू करके भी देश का कल्याण

[श्री पद्मनाथ सिंह]

किया जा सकता है और टैक्स न लागू करके भी ऐसे आँकड़े उपस्थित किये जा सकते हैं जिससे देश में कोई विकास का कार्य न हो तो भी बिना टैक्स के बजट उपस्थित किया जा सकता है। टैक्स लगाने या न लगाने से किसी बजट की अच्छाई या बुराई का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। प्रश्न हमारे सामने वह उपस्थित है कि जो अनुदान की माँग की गई है उसके जरिये जो स्तर नियत किया गया है उस स्तर के अनुसार क्या समाज का बटवारा ऐसा किया गया है कि जिन लोगों पर टैक्स न लगाना चाहिए वे छूट गये हों और जिन पर लगाना चाहिए उन पर लगाया गया हो, यह हमें देखना है। इस अनुदान के जरिये से सिनेमा पर टैक्स लगाया गया है, उन वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया है जो लग्जरी के गुड्स (विलासिता की सामग्रियां) हैं। बजट के देखने से यह मालूम होता है कि सेल्स टैक्स लगाने में यह भावना है कि अधिक रुपया शासन चलाने के लिये मिल जाय। मैं समझता हूं कि यदि यही स्तर है हमारे मापदन्ड का और यही मापदन्ड है टैक्स लगाने का तो हमारा समाज आगे बढ़ने में पूरी तरह से काम नहीं कर सकता।

हमारा देश इस समय जिस परिस्थिति से चल रहा है वह एक कठिन परिस्थिति है। और उसके लिये दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो ज्यादा मुनाफे की तरफ प्रवृत्ति रखते हैं और लग्जरी गुड्स का रोजगार करते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो उस सामान में रुपया लगाते हैं और ज्यादा तादाद में ऐसे सामान को रखते हैं। सिनेमा देखने के लिये वही लोग जाते हैं जो साधारण किस्म के होते हैं और जिनका मनोविनोद का साधन दूसरा नहीं होता है। रात दिन परिश्रम करके वह थक जाते हैं और उनका यही साधन रह जाता है अपने मनोरंजन का कि वह सिनेमा जायं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें यह बात देखने की है कि इस पर किस तरह के सिनेमा पर टैक्स लगे और किस तरह के सिनेमा पर टैक्स न लगे। यानी टैक्स लगाने का भार उन लोगों पर ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए जो मजदूर हैं और कुली हैं और बहुत थोड़ा सा पैसा पैदा करते हैं। इसका भार उन पर ज्यादा पड़ना चाहिए कि जो ज्यादा मुनाफा इस सिनेमा से पैदा करते हैं। ऐसे लोगों पर ही टैक्स का ज्यादा भार होना चाहिए। इस अनुदान में जो माँग की गई है वह इसी आशय को लेकर की गई है कि जो अधिक टैक्स लगाने की प्रणाली प्रतीत होती है और ऐसी प्रणाली प्रतीत नहीं होती कि जिससे हमारे समाज की आवश्यक पूर्ति हो सके।

मैं यह देखता हूं कि जो बजट तैयार होता है उस बजट में दो-तीन दृष्टिकोण रहते हैं—एक तो यह रहता है कि राज्य के लिये धन आ जाय और शासन खर्च की आवश्यकता की पूर्ति हो जाय। दूसरी यह होती है कि हमारा जो काम है वह चलता रहे और जो भी प्रजा का लाभ करने के लिये धन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती रहे। इस अनुदान में जो बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है वह इसी तरह का है। इसमें जो माँग की गई है वह सिनेमा पर टैक्स के बारे में भी है। सिनेमा से कुछ लाभ भी होता है अर्थात् वह शिक्षा का प्रचार भी करता है और समाज की एक ऐसे अंग की आवश्यकता की पूर्ति करता है जिससे हम निश्चय रूप से अपने समाज को किसी रास्ते पर चला सकते हैं और उस रास्ते की पूर्ति करने के लिये वह साधन बन जाता है, क्योंकि सिनेमा हमारे प्रान्त की आमदनी का एक अच्छा साधन है और वह निश्चय ही उस आवश्यकता की पूर्ति करता है जिसकी समाज के लिये आवश्यकता है।

लग्जरी गुड्स पर हमको ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए और जिसका भार साधारण जनता पर पड़ता हो उस पर कम लगाना चाहिए और अगर हो सके तो नहीं लगाना चाहिये। हमारी टैक्स लगाने की बुद्धिमत्ता तो इसी बात पर है कि हम इस बात का निश्चय करें कि कौन सी ऐसी वस्तुयें हैं जिन पर टैक्स लगाना चाहिए और कौन पर नहीं लगाना चाहिए। टैक्स लगाने का एक सिद्धांत हमको निश्चित करना चाहिए और फिर उसी प्रणाली पर हमको काम करना चाहिए जब तक इस सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करने में कमी है तब तक हमारा काम नहीं चल सकता।

वर्त्तमान समाज की अवस्था इस प्रकार की है कि उसमें एक तरफ मुनाफाखोरी है और दूसरी तरफ गरीबी है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर हमको विचार करना चाहिए और टैक्स का सिद्धान्त लागू करना चाहिए। इस अनुदान के अन्तर्गत उसी टैक्स की माँग की गई है। इसलिये मेरी वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना है कि आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर कि किस टैक्स से किस पर कितना भार पड़ता है और किस पर नहीं पड़ता है इस टैक्स लगाने के रास्ते को निश्चित करें और उसी के अनुसार फिर टैक्स लगायें।

श्री इस्तफा हुसेन (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो अपने वित्त मन्त्री से थोड़ा सा डर मालूम होता है और वह यह है कि मुझे दो-तीन दिन की कार्यवाही से मालूम हुआ है कि वह रेलिवेंट (सुसंगत) और इर्रीलिवेंट (असंगत) के बहुत माहिर हैं। जो कुछ मैं कहूंगा उसको बहुत होशियारी से पेश करूंगा क्योंकि जब मैं कुछ कहूं तो उन्होंने उज्र लगा दिया इर्रीलिवेन्सी (असंगति) का तो फिर मुझे बैठ जाना पड़ेगा।

एलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरों के लिये १ लाख ४० हजार रुपया की माँग रखी गई है। यह रुपया इंस्पेक्टर और असिस्टेण्ट इन्सपेक्टर और उनके नीचे जितना स्टाफ है उनके वेतन वगैरह में खर्च होता है। हम उनके कार्य और कर्त्तव्य से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है वह अपना कर्त्तव्य इस तरह से पालन करते हैं कि जहाँ तक प्राइवेट बिजली कम्पनियों का ताल्लुक है वह उन्हीं का पक्ष करते हैं और उन्हीं की बातों की सराहना करते हैं। मैं मिसाल के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि गोरखपुर में जो झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है उस के इंसपेक्टर को जाँच पड़ताल के बारे में कहा गया। जब वह मुआयना करने गये तो गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी जो आजकल सुपरसीडेड (अवक्रान्त) है और जिसका इन्तजाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एक आफिसर इञ्चार्ज के मातहत है, उन्होंने गोरखपुर में जो बिजली की रोशनी का जो इन्तजाम है सब-इन्स्पेक्टर से कहा कि बहुत खराब है और सड़कें बहुत सी ऐसी हैं कि जहाँ अभी तक खम्भे नहीं गड़े हैं और जहाँ पर रोशनी की बहुत सख्त जरूरत है और इस लिये वहाँ पर खम्बे लगाना चाहते हैं। लेकिन इन्स्पेक्टर साहब ने एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की शिकायत को ध्यान में नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि गोरखपुर शहर में बहुत से ऐसे हिस्से अब भी मौजूद हैं जहाँ बिजली नहीं पहुंची है और म्युनिसिपैलिटी जो गवर्नमेंट के इन्तजाम में है, उसकी बहुत बदनामी हो रही है और साथ ही चूंकि काँग्रेस की गवर्नमेंट है इसलिये काँग्रेस की भी बदनामी हो रही है। इसलिये मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से सिफारिश करूंगा कि गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी को वह बिजली के इन्तजाम में काफी मदद दें।

दूसरी बात जो इस बजट में समझ में नहीं आई है वह यह है कि रेटिंग कमेटी ने २३,५०० रुपये का खर्च रखा है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि यह खर्च कैसे होता है। जितनी मुख्तलिफ कम्पनियाँ हैं या सरकार की कम्पनियाँ हैं उन सब का रेट मुकर्रर करने के लिये यह कमेटी मुकर्रर हुई है। गोरखपुर शहर में बिजली का रेट ८ आना है और बहुत दिन से वहाँ एजीटेशन (आन्दोलन) है कि रेट बहुत ज्यादा है और रोशनी भी बहुत कम है। वोल्टेज कम था और १०० और २०० के बल्ब लगाने पड़ते थे और १०० के बल्ब की भी ऐसी रोशनी होती थी कि जैसी कि सोने की कमरे की बल्ब की होती है। ऐसी हालत में बिजली कम्पनी को क्या हक है कि वह ८ आने का रेट चार्ज करे। यह सब शिकायत गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने इन्स्पेक्टर से की है और उसने कलेक्टर के द्वारा एक डेपुटेशन (शिष्ट मण्डल) भी भेजा है और वहाँ के सब हालात समझाये, लेकिन समझ में नहीं आता कि वह बातें क्यों नहीं जल्द से जल्द तय कर दी जाती हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--डेपुटेशन किसका आया, किसके पास आया ?

श्री इस्तिफा हुसैन--वहाँ के अधिकारी उसमें आये थे। मुझे यह नहीं मालूम कि आपके यहाँ आग्रा या इन्स्पेक्टर के यहाँ आया। मुमकिन है कि आपको इत्तला न मिली हो। गोरखपुर शहर में गवर्नमेंट का एक टेकनिकल इन्स्टीट्यूट है और वहाँ पर एक छोटा सा इंजन लगा है और मशीन चलाई जाती है लेकिन उसके पास पावर होते हुए भी दूसरी जगह रोशनी देने की ताकत नहीं है। कमरों में पंखों के लिये बिजली की जरूरत होती है इन्स्टीट्यूट ने दूसरी जगहों को लिखा कि उन्हें गोरखपुर बिजली कम्पनी या रेलवे वर्कशाप के पावर स्टेशन से रोशनी देने का इन्तजाम किया जाय लेकिन वह भी नहीं हो रहा है। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि इन्स्पेक्टर महोदय इन सब बातों को देखेंगे और जो उनके कर्तव्य हैं उनका पालन करेंगे। माननीय वित्त मन्त्री से मेरी प्रार्थना है कि वह गोरखपुर के बारे में शीघ्र ही जितनी तवज्जह दे सकें और जो कुछ भी करा सकें कराने की मेहरबानी करें। मैं उनका बहुत ही आभारी रहूंगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं समझता हूं कि इस्तिफा हुसैन साहेब बोलते हुए डरते थे और शायद मेरे पास आते हुए भी डरते हों। उन्होंने एक जगह की शिकायतों की फेहरिस्त तो बतलाई और मैं कह सकता हूं कि वहाँ ऐसा हुआ होगा और उनका कहना ठीक होगा, मगर वह कभी मेरे इल्म में नहीं लाये वरना मैं शायद उसमें कुछ खिदमत अन्जाम दे सकता। अब मैंने सुन लिया है और इसकी तफसील मालूम करके जो कुछ मैं कर सकूंगा, करूंगा। अगर वहाँ पर किसी की गलती से कोई बात हुई है तो वह यकीनन नहीं होगी। वह इस बात का इत्मीनान रखें। उनको शायद यह गुस्सा आया कि मैंने रेलेवेंसी का यहाँ जिक्र क्यों उठा दिया। मैंने यह उनकी तकरीर के सिलसिले में नहीं उठाया। जब उसका मौका था तब मैंने वह बात अर्ज की थी। बहरहाल, इस वक्त जो असल सवाल है वह इतना है कि यहाँ एक बिक्री-कर और इन्टरटेनमेंन्ट टैक्स लगे हुए हैं। उनके लिये जो खर्चा इसमें माँगा गया है वह मन्जूर किया जाय या न किया जाय।

अभी मेरे एक दोस्त ने जिक्र किया टैक्सेशन का और उसके साथ कमी यानी रिट्रेन्चमेण्ट का ताकि हम विकास के लिये रुपया पैदा कर सकें। मैंने अपनी बजट स्पीच के आखिर में भी यह अर्ज किया था कि हम ढाई करोड़ रुपया बचा चुके हैं। उन्होंने बम्बई का हवाला दिया और यह कहा कि एक कमेटी के जरिये वहाँ कुछ लाख की बचत कर ली गई है। मैंने जिक्र किया कि हमने तो इन तीन सालों के अन्दर ढाई करोड़ रुपये का खर्चा घटा दिया है और हर साल उसे घटाने की कार्यवाही करते रहते हैं। हमने एक एकानामी कमेटी (मितव्ययिता समिति) बिठाई। उसके बाद एक फाइनेंशियल कमिश्नर मुकर्रर किया और उसने रिआर्गेनिजेशन की नजर से तमाम चीजों को देखकर मुख्तलिफ किस्म की तजवीजें दी जिससे खर्चे में कमी वाक्य हुई और उनका टोटल ढाई करोड़ हुआ। उस रोज मैं अपने हाथ में एक पर्चा लिये हुए था। अफसोस है कि इस वक्त वह मेरे पास नहीं है वरना मैं बतलाता कि यह कैसे मुमकिन हुआ। मैंने उस दिन यह भी अर्ज किया था कि आप कितना ही खर्चा घटावें यह कभी मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी रकम का इससे इन्तजाम हो सके कि जो हमारे विकास के काम के लिये काफी हो। अगर कोई ऐसा समझता हो तो मैं वेलकम (स्वागत) करता हूं उसके सजेशन (सुझाव) को और उस पर मैं अमल करने के लिये तैयार हूं। हम टैक्स लगाना छोड़ दें और जो पहले लगे हैं उन्हें भी मौकूफ कर दें। मैं जनाब के जरिये इस ऐवान के तमाम मेम्बरों को दावत देता हूं कि जो कोई भी चाहे उसके मुताल्लिक सुझाव दे सकते हैं और मैं उन पर गौर व अमल करने के लिये तैयार हूं।

हम उस कमेटी को बनायें, उसकी रिपोर्ट आने का इन्तजार करते रहें और उस कमेटी में एक साल लग जाय और तब वह जो सजेशन्स दे उस पर गौर किया जाय, बजाय इस सब के जो भी सजेशन्स आपके हों उन पर हम गौर करने के लिये तैयार हैं। दूसरे इस पर बहस करने की इस लिये भी जरूरत नहीं है कि दस रोज बाद टैक्स लगने ही वाले हैं और जो बिल है वह भी आपके सामने आने वाला है, उनमें कोई चीज गलत है, कोई चीज अच्छी है, कौनसा

काम किया जाय, कौन सा न किया जाय इन सब बातों पर आप बहस कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि उसी वक्त यह बहस ज्यादा मौजूं होगी क्योंकि हम उसी वक्त किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और यह खर्चा तो चलता ही रहेगा बशर्ते कि यह तमाम मकहमे तोड़ ही न दिये जायं।

जिन्होंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया उन्होंने चन्द बातें फरमाईं। मैं और क्या कहूं अपनी नासमझी से उनको पूरी तरह से समझ नहीं सका। वे बजट के मुताल्लिक कह रहे थे कि इतनी रकम बढा दी गई है। रकम बढाने के मुताल्लिक उस किताब में लिखा ही हुआ है। जो इंस्पेक्टर थे उनकी क्वालीफिकेशन (अर्हताएं) बढ़ा दी गई हैं और इसीलिये उनका स्केल भी बढ़ा दिया गया है। पहिले इन्टरमीडियेट हुआ करते थे अब हम ग्रेजुएट लेते हैं। इस लिये उनके रिवीजन (पुनरीक्षण) की वजह से खर्चा बढ़ा है। इसके अलावा जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह में सालाना इजाफा होता है जो हर साल प्रोवाइड (उपबद्ध) किया जाता है। जो सालाना इंक्रीमेंट (वतन वृद्धि) होता है वह बकद्र उसके हर साल बढ़ जाता है। जितने स्केल हैं उनकी पूरी तफसील लिखी हुई है उसके बारे में मुझे कोई रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा अनुदान भी पेश होने वाला है उसके लिये भी आधा घंटा मुकर्रर है। अब सिर्फ २० मिनट बाकी रह गये हैं। यह तो गरीब अमीर दोनों के तनख्वाह का सवाल है इस लिये गरीब अमीर का भी इसमें कोई सवाल नहीं उठता। इसलिये इन गरीब अमीर दोनों के लिये रुपया मञ्जूर किया जाय।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग ५ साथियों ने इस कटौती पर अपनी राय जाहिर की और सिवाय माननीय वित्त मन्त्री के पांचों साथियों में, मैं ध्यान से सुनता रहा, कोई भी ऐसा नहीं था जो तहेदिल से इस अनुदान का स्वागत करता हो। हरएक माननीय सदस्यों ने इस अनुदान के विरोध में भी कहा। चाहे उसने ऊपरी दिल से कुछ भी दिखाया हो व्याख्यान में उन टैक्सों का विरोध ही किया। मैं बड़े अदब के साथ माननीय वित्त मन्त्री से कहना चाहता हूं कि आप अपना दिल टटोलें, आप अपने घर को देखें, आपके घर के लोग ही आपका विरोध कर रहे हैं जो आपके परिवार के आदमी हैं वे ही आपका विरोध कर रहे हैं। यह मानी हुई बात है कि जब घर के ही आदमियों में विरोध हो जाता है तो फिर उस घर की खैरियत नहीं होती, वह घर उजड़ जाता है। वित्त मन्त्री जी उस घर के मालिक हैं जिसके कुटुम्ब के लोग विरोधी हैं। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही हो तो घर के मालिक को उसकी बात को मान लेना चाहिए। अक्लमन्दी इसी में है कि परिवार वालों की बात मानी जाय, नहीं तो वह मालिक डूबेगा ही, साथ में घर वाले भी डूबेंगे। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अदब के साथ प्रार्थना करूंगा माननीय वित्त मन्त्री से कि बिक्री कर के बारे में हमारे जिन जिन साथियों नें विरोध किया है उसका आपको समर्थन करना ही चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में ही सरकार ने और वित्त मन्त्री ने ऐलान किया है और माननीय सदस्य बाहर और यहां लेक्चर भी देते हैं कि जनता की क्रय शक्ति कम हो गई है। यह भी कहते हैं कि इस साल बजट में जो आमदनी में कमी हुई है यह भी बतलाती है कि जनता की क्रय शक्ति कम है। इसमें एक बात हो सकती है। अगर जनता की क्रय शक्ति कम नहीं हुई है तो फिर बजट की आमदनी में कमी नहीं आनी चाहिए और यदि जनता के पास पैसा है तो उसकी क्रय शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजों पर विचार करने से मालूम होता है कि जनता की क्रय शक्ति कम है इस लिये उसके जो टैक्स हैं, आमदनी है, उसमें वृद्धि नहीं हुई है। तो मैं वित्त मन्त्री जी से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब जनता की क्रय शक्ति खत्म हो गयी है तो आप ऐसे ऐसे टैक्स क्यों लगाते हैं और सरकार क्यों लगाती है? जबकि आप भी कहते हैं कि जनता गरीब है, परेशान है, और खासकर जो पूरब के जिले हैं उन पर तो आप बहुत रोते हैं तो मैं नहीं समझ सका कि बिक्री-कर वसूली के लिये सरकार ने जो इतनी बड़ी रकम २६ लाख की पिछले साल से इस साल २ लाख जायद सदन के सामने उपस्थित की है उसका क्या मतलब है? मैं कहना

[श्री राम सुन्दर पाँडेय]

चाहता हूं कि आपको यह शुबहा है कि जनता की क्रय-शक्ति बढ़ी है और जनता के पास पैसा है। इसलिये आपने इस अनुदान में टैक्स वसूल करने वालों के ऊपर खर्चा करने के लिये इतनी रकम रखी है। सरकार समझती है कि जितना ही इस पर खर्च होगा उतना ही ज्यादा टैक्स की वसूली से फायदा होगा।

एक सदस्य--माननीय सदस्य अमुक सदस्य और अमुक मन्त्री कह कर बातें करते हैं, अध्यक्ष की तरफ मुखातिब होकर बात नहीं करते क्या यह उचित है ?

अध्यक्ष--माननीय सदस्य अध्यक्ष की ओर मुखातिब हो कर बातें करें।

एक सदस्य--क्या माननीय सदस्य के शब्द कोष में इतनी भी क्षमता नहीं है कि वे माननीय सदस्यों को माननीय कह कर सम्बोधित कर सकें ?

श्री रामसुन्दर पान्डेय--मालूम होता है कि माननीय सदस्य बहुत दूर बैठने की वजह से मेरी बात समझ नहीं पाते।

अध्यक्ष--आप माननीय सदस्य कह कर नहीं बल्कि अध्यक्ष की तरफ मुखातिब होकर बातें करें।

श्री राम सुन्दर पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता था कि इस तरह से हम लोगों के भाषण में विघ्न डाला जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिक्री-कर की वसूली के लिये जो इतनी बड़ी रकम इस अनुदान में मांगी गई है वह देहातों मे भी भ्रष्टाचार फैलाती हैं। गांवों में हम देखते हैं कि एक इन्सान है जिसके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है, लेकिन उसे नमक तो खरीदना ही पड़ेगा, कपड़े तो खरीदना ही पड़ेगा, दियासलाई तो खरीदनी ही पड़ेगी और रोजमर्रा के जो सामान हैं, वे सब खरीदने ही पड़ेंगे, लेकिन सरकार की ओर से कर वसूल करने के लिये जो आदमी नियुक्त किये गये हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी वजह से करदाताओं के पैसे सरकारी खजानों में नहीं आ सकते हैं। इस तरह से उस करदाता पर दोहरी मार पड़ती है। सरकार के डर से, कानून के लिहाज से जिन सामानों के बिना आदमी जिन्दा ही नहीं रह सकता है उनको खरीदने के लिये पैसा देना ही पड़ता है। वह पैसा गलत ढंग से लिया गया है, लेकिन फिर भी वह जनता की भलाई के लिये जिसका कि वह पैसा है सरकार के पास नहीं आ जाता है। वित्त मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगर कोई सुझाव दिये जायं तो उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि शायद वित्त मन्त्री जी हमारे सुझाव को स्वीकार न करें। यदि स्वीकार करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि बिक्री-कर को बन्द कीजिए और जो दो लाख रुपये की मांग की है उसको खत्म कीजिए। छोटे-छोटे जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह अवश्य बढ़ाइए और अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप की गाड़ी जो चल रही है इस ४ करोड़ ९० लाख रुपये की कमी की पूर्ति प्रदेश के बड़े आदमियों से कीजिए। उसमें कोई रुकावट नहीं आयेगी वह चलती रहेगी।

अध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री राम सुन्दर पांडेय--जी नहीं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८--अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय [लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क] के अन्तर्गत २६,२३,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक-द--ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--श्रीमान्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१--ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण--लेखा शीर्षक -द-राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ३,९५,२३,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस मांग में जो रुपया है वह म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स या और इस किस्म की जो लोकल कमेटीज और लोकल बाडीज हैं उससे कर्ज दिये जाते हैं उनके इम्प्रूवमेंट के कामों के वास्ते यह कर्जा देने के लिये रुपया रखा गया है और इसका कोई मकसद नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा पेश किये हुए अनुदान की रकम में से एक रुपये की कटौती किये जाने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अभी कहा है कि यह कर्जा देने की परम्परा चली आई है कि जहां कहीं भी जरूरत हो स्थानीय संस्थाओं को या संगठनों को और बहुत आवश्यकता हो, पर धन की कमी हो तो वहां पर सरकार उनको ऋण दे ताकि वह अपने कार्य को पूरा कर सकें। इस सिद्धांत को देखते हुए यहां पर ऋण देने की कोशिश तो जरूर की गई है, लेकिन उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं जिनकी ओर मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का और इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें चीनी मिलों को ट्रामवेज बनाने के लिये ६ लाख रुपये की मञ्जूरी दी गई है। पहले तो यही बात अविश्वसनीय है कि इस प्रकार के ट्रामवेज बढ़ाने के लिये जो दावा किया गया है वह सफल साबित हो सकता है या नहीं। दूसरे अगर गवर्नमेंट मोटर ट्रकों से सामान आता जाता रहे या ट्रामवेज से न आवे तो कोई नई बात नहीं हो जायेंगी। तीसरे देहातों में कहां तक ट्रामवेज बना पावेंगी। यों तो मिलों के चारों ओर या अन्दर ट्रामवेज बन सकती हैं लेकिन देहात के अन्दर कितने और कहां कहाँ ट्रामवेज के रास्ते बनेंगे यह समस्या खड़ी होगी। मान भी लें कि ट्रामवेज बनाई जाय तो क्या आप समझते हैं कि चीनी मिल के मालिक पूंजीपतियों के पास रुपया नहीं हैं जो आपको उन्हें ६ लाख रुपया देने की जरूरत पड़ी।

इसमें इ० एच० टी० मेन्स के लिये मार्टिन कम्पनी को १ लाख २५ हजार रुपये की भी बात है। मार्टिन एलेट्रिक कम्पनी जिसके बारें में माननीय वित्त मन्त्री जी स्वयं कह चुके हैं कि उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी है और उनकी फाइनेन्सेंज (वित्त) को सरकार को डील करना पड़ेगा। चूंकि आर्थिक हालत इतनी अच्छी है, मैं समझता हूं कि यहाँ के भवन में कोई सदस्य इस बात को नहीं मानेगा कि मार्टिन कम्पनी के पास ई० एच० टी० मेन जो रामनगर में लगेगा उसके लिये रुपया नहीं है। मैं समझता हूं कि इस भवन के कोई भी माननीय सदस्य इस कमी पर विश्वास नहीं करेंगे।

इसके साथ ही एक आईटम और है, 'लोन्स टू पर्चेज मोटर कार्स।' सरकारी कर्मचारियों के खरीदने के लिए ढाई लाख की ग्राण्ट दी गई है कि वे मोटर कार खरीदें। यह बड़ी ही आब्जेक्शनेबिल क्लाज (आपत्ति जनक खण्ड) है कि हम लाखों रुपया अपना इस लिये रखें कि मोटर गाड़ी खरीदने के लिये बड़े कर्मचारियों को ऋण दें। मैं समझता हूं कि यह कुछ शोभा नहीं देता कि इस प्रकार से हम उनको ऋण दिया करें। चाहिए तो यह था कि निम्न कर्मचारियों के ऋण का कोई प्रबन्ध होता और भी जगहें हैं, जहाँ ऋण देना चाहिए, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे विद्यार्थियों के लिये है। विद्यार्थियों के लिये सहायता इसमें एक लाख रखी गयी है कि एक लाख की सहायता उनको दी जा सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक लाख रुपया सारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को दृष्टि में रखा जाय तो बहुत ही कम है। अगर आप फ्री एजूकेशन का सपना देखना चाहते हैं तो यह एक लाख रुपया शुरुआत के लिये भी कम है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कालेजेज के लिये भी ग्राण्ट का सवाल आता है तो एक लाख रखा गया है। उत्तर प्रदेश में कालेजेज बढ़ते चले जा रहे हैं। शिक्षा योजना के अनुसार, जहाँ पर शिक्षा संस्थाओं को देने का सवाल है, वहाँ केवल एक लाख रुपया रखा गया है। अगर कालेजेज में होस्टल के लिये रुपया देना है तो क्या इससे काम चल जायेगा? विद्यार्थियों को कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, अलीगढ़ में छात्रावास सम्बंधी कितनी कठिनाई हो रही है और हर साल विद्यार्थी बढ़ते चले जा रहे हैं और उनके रहने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। तो छात्रावास के लिये कम से कम १५–२० लाख रुपया तो अश्वय होना चाहिए था जिसके द्वारा प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को ऋण की व्यवस्था हो सकती।

इसके साथ ही साथ कोआपरेटिव सोसाइटी के प्रदेशीय रजिस्ट्रार साहब ने १५ लाख रुपया इस बजट में माँगा था, कोआपरेटिव लोन्स में मकानात के लिये और छोटे छोटे कामों को मिला कर, जिनका उन्होंने हवाला दिया था और मैं खास तौर पर भवन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मद्रास सरकार ने सन् १९४९–५० में ६३ लाख ६७ हजार रुपया इस हाउसिंग स्कीम के लिये कोआपरेटिव्ज के जरिये से रखा था और १९५०–५१ में एक करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था बजट में की गई थी। लेकिन हमारे यहाँ १५ लाख रुपया भी उनके लिये मन्जूर नहीं किया गया। केवल ५ लाख रखा। १५ लाख की सिफारिश की गई और रखा ५ लाख। कोआपरेटिव रजिस्ट्रार की उस योजना को तो सरकार को स्वीकार कर ही लेना चाहिए था। मौका देना था कि कोआपरेटिव्ज के जरिये हमारे देहातों की व्यवस्था ठीक हो सकती।

इसके साथ ही साथ एक और आइटम है जिस पर मुझे खास तौर से एतराज है। वह यह कि चीफ एग्रीकल्चरल इन्जीनियर के हाथ में २१ लाख रुपया रख दिया गया है, जिसके जरिये वह उधार कोआपरेटिव सोसाइटीज को ट्यूबवेल बनाने के लिये और पक्के कुएं बनवाने के लिये रुपये देंगे। इसमें रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाईटीज या कोआपरेटिव बैंक या कोआपरेटिव सोसाईटीज फेडरेशन को कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी इस चीज पर ध्यान देंगे कि यह १५ लाख रुपया जो ट्यूब वेल्स के लिये, या बोरिंग वेल्स के लिये पक्के कुएं या मशीनरी वेल्स के लिये रखा गया है, वह रजिस्ट्रार कोआपरेटिव्ज और फेडरेशन के हाथ में रखा जाय ताकि कोआपरेटिव सोसाइटीज के क्लेमस के ऊपर, उनकी योजनाओं के ऊपर ठीक तरह से विचार हो सके, फेडरेशन का भी उस पर विचार हो सके। न्यू आइटम्स में लिखा गया है कि रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज में लिखा था कि "Financing the coopratives for the productive schemes such as coustruction of tube-wells..."

[सहकारी समितियों को रचनात्मक कार्यों जैसे ट्यूब वेल्स के निर्माण के लिये वित्त प्रदान करना...]

तो जब रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज की यह बात मानी गयी और यह रुपया दिया गया तो फिर क्या आवश्यकता थी कि चीफ एग्रीकल्चरल इन्जीनियर के हाथ में रुपया दिया जाय। इस सुझाव को मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी स्वीकार करेंगे।

इसके अलावा कानपुर में मजदूरों के मकान बनाने के लिये जो ७५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है वह तो बहुत ही कम है। कम से कम सरकार को यह तो करना चाहिए कि यह जो ७५ लाख का कर्जा है, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के अलावा होगा। इस बात को तो मैं समझता प्रान्तीय सरकार को घोषित कर ही देना चाहिए।

अध्यक्ष––अब समय नहीं रहा, इस लिये मैं माननीय वित्त मन्त्री से कहूंगा कि वह जवाब देना चाहें...

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––चार मिनट बाकी हैं।

श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहाँपुर)--मैंने कई एक प्रस्ताव उपस्थित किये हैं, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे थोड़ा सा अवसर दिया जाय।

अध्यक्ष--लेकिन यह इसी बात पर निर्भर है कि अगर सदन थोड़ी देर अधिक बैठना चाहे।

श्री प्रतिपाल सिंह --तो इसे कल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

अध्यक्ष--कल तो नहीं चल सकता है। अगर सदन चाहता है तो १५ मिनट अधिक बैठ जाय।

एक सदस्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, शाम को पार्टी मीटिंग भी है।

श्री प्रतिपाल सिंह --लेकिन आध घंटे का समय इस अनुदान के लिये रखा गया था।

अध्यक्ष--लेकिन सदन ने जो समय इस्तेमाल किया वह कोई ले कर के भागा नहीं।

माननीय वित्त मंत्री, आप नहीं बोलना चाहते हैं?

श्री मुहम्मद इब्राहीम--अगर उनको वक्त देना है ....

अध्यक्ष--समय देने के लिये सदन तैयार नहीं है, ऐसा मालूम होता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कई बातें एक ही साहब ने कही हैं, उनका जवाब देना उस रोशनी में जिसमें मैं उसे देखता हूं मेरे नजदीक इतना जरूरी नहीं है कि मैं बहुत सा वक्त उस पर सर्फ करूं।

फैक्टरी वालों को ट्रामवे बनाने के वास्ते रुपया देना यह खास काश्तकारों के फायदे की चीज है। जमीन उनकी होती है, उसके ऊपर बनाते वह हैं। उस एरिया का गन्ना उसके जरिये से बगैर काश्तकारों के तकलीफ उठाये हुए उस मुकाम पर पहुंच जाय जिस पर वह पहुंचना चाहिये इसी गरज से वह बनायी जाती है। इसी उसूल पर गवर्नमेंट उसके अन्दर मदद करती है।

इसी किस्म की और बातें हैं जिनकी निस्बत कहा गया, अगर उसको अनालिसिस करके निकाला जायगा तो अल्टीमेटली (अन्त में) यही निकलेगा कि असल में वह गरीब के ही फायदे की बात है, फैक्टरी वालों की, अमीरों की फायदे की बात नहीं है।

बाकी और ज्यादा रुपया दिया जाय वह मैं मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी ज्यादा जरूरत हो सकती थी, म्युनिसिपल बोर्ड को भी ज्यादा जरूरत हो सकती थी और कोआपरेटिव को भी हो सकती थी। लेकिन चीफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर के डिस्पोजल पर जो रुपया रखा गया है वह कोआपरेटिव सोसाइटीज के डिस्पोजल पर रख दिया जाय, तो सड़कों के सिलसिले में अगर कोई रुपया किसी के डिस्पोजल पर हो सकता है तो वह चीफ इंजीनियर सड़क या नहर के ही डिस्पोजल पर रखा जा सकता है। किसी दूसरे के डिस्पोजल पर कैसे रखा जा सकता है। और कोई बात मेरी समझ में है नहीं, जिसका मैं जवाब दूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--ब्याज वाले ऋण और अग्र ऋण (लेखा शीर्षक-द--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र ऋण) के अन्तर्गत ३,९५,२३,७०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सार्वजनिक लेखा समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

अध्यक्ष--एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। सार्वजनिक लेखा समिति के २० स्थानों के निर्वाचन के लिये १६ जुलाई, सन् १९५२ ई० को १ बजे तक का समय नामांकन-पत्र प्राप्त करने के लिये नियुक्त किया गया था। समय के भीतर जो नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से दो पत्र अनियमित थे। शेष पत्रों के अनुसार जो सब ठीक थे २६ नाम उचित रूप से नामांकित हुए। वे इस प्रकार हैं--

१--श्री विष्णुदयाल वर्मा
२--श्री नारायण दत्त तिवारी
३--श्री रामनारायण तिवारी
४--श्री मदनमोहन उपाध्याय
५--श्री महीलाल
६--श्री सुखीराम भारतीय
७--श्री बेचनराम गुप्त
८--श्री शिवमंगल सिंह
९--श्री रामजी सहाय
१०--श्री रामस्वरूप गुप्त
११--श्री जयराम वर्मा
१२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी
१३--श्री लक्ष्मणराव कदम
१४--श्री वंशीधर मिश्र
१५--श्री रामस्वरूप
१६--श्री दाऊदयाल खन्ना
१७--श्री गोवर्धन तिवारी
१८--श्री ताराचन्द महेश्वरी
१९--श्री नारायणदीन
२०--श्री शिवदान सिंह
२१--श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह
२२--श्री अब्दुल मुईज खां
२३--श्री नाजिम अली
२४--श्री बालेन्दुशाह
२५--श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा
२६--श्री बलवन्त सिंह

इनमें से श्री विष्णुदयाल वर्मा, श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री रामनारायण तिवारी, श्री महीलाल, श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा और श्री बलवन्त सिंह इन छः सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। अब नामांकित सदस्य केवल २० रह गये हैं। क्योंकि २० स्थानों के लिये २० ही सदस्य रह गये हैं, इसलिये उन्हें उचित रीति से मैं निर्वाचित घोषित करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१७ जुलाई, १९५२।

पी० एस० यू० पी०--२६ एल० ए०--१९५२--८३०